Page No. 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक १] तृतीय विधान सभा के प्रथम सत्र, १९६२ का २२वां दिवस [संख्या १४

मंगलवार, दिनांक ३ अप्रेल, १९६२

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बज कर १७ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[स्वास्थ्य, शिक्षा, खनिज, सिंचाई, कृषि, उद्योग, आयुर्वेद एवं स्वायत्त शासन-विभाग]

श्री अध्यक्ष : श्री जीवराज !

चिकित्सा सम्बन्धी व्यवस्था

८०. **श्री जीवराज (गुढ़ा)** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि उदयपुरवाटी के घनी आबादी वाले क्षेत्र गुढ़ा गोड़जी और पूंख गुढ़ा में कोई चिकित्सा सम्बन्धी व्यवस्था नहीं है ?

(ख) क्या यह सही है कि उपरोक्त दोनों स्थानों पर वहां की जनता अस्पतालों के लिये भवन देने को तैयार है ?

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार वहां डिस्पेन्सरी खोलने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा): (क) एक आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरी गुढ़ा गोड़जी में चल रही है। पूंख गुढ़ा में कोई एलोपेथिक चिकित्सालय नहीं है।

(ख) दोनों स्थानों पर नहीं केवल गुढ़ा गोड़जी में मैसर्स परसराम कॉमर्शियल कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्तावालों ने बिना इस विभाग की स्वीकृति के एक भवन बनवाया है। दानदाता को स्पष्ट लिखा भी जा चुका है कि गुढ़ा गोड़जी में अभी डिस्पेन्सरी खोलना सम्भव नहीं है।

(ग) जी नहीं। तीसरी पंचवर्षीय योजना काल के प्रथम वर्ष में सीकर एवं झुंझुनू जिलों में ६ नई डिस्पेंसरियां खोली जा चुकी हैं। केवल २५ डिस्पेन्सरियां अब तृतीय पंच-वर्षीय योजना में सारे राजस्थान के लिये खोलना है और इस जिले से और स्थानों के लिये भी मांग है। इन सब बातों को ध्यान में

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

रखते हुए ही भविष्य में विचार किया जावेगा, परन्तु आश्वासन किसी प्रकार का नहीं दिया जा सकता।

श्री जीवराज : माननीय अध्यक्ष, जब इलाके के अन्दर इतना पैसा व श्रम करके....

श्री अध्यक्ष : कट-मोशन्स के समय अभाव-अभियोग उठा सकते हैं। आपने सूचना चाही थी सरकारी पक्ष की ओर से वह दे दी गई।

(विराम)

नेक्स्ट।

पोलिटेक्निक स्कूल का भवन निर्माण–बीकानेर शहर

८१. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) बीकानेर शहर में पोलिटेक्निक स्कूल के लिये भवन निर्माण के सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

(२) उक्त संस्था के लिये प्रिन्सिपल का कार्यालय कब स्थापित किया गया ? क्या यह सही है कि भवन के अभाव में उक्त संस्था अब तक चालू नहीं की जा सकी ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री परसराम मदेरणा) : (१) काम शुरू करने की आज्ञा दे दी गई है।

(२) प्रधानाचार्य का कार्यालय २६-११-६० से आरम्भ कर दिया गया। यह सही नहीं है कि केवल भवन के अभाव में ही अब तक संस्था चालू नहीं की जा सकी।

श्री भीमसेन : कौन से कारण थे जिनकी वजह से अब तक बीकानेर की यह संस्था शुरू नहीं की जा सकी ?

श्री परसराम मदेरणा : दो तीन कारण थे। भवन का अभाव भी एक कारण था। टेक्निकल इक्विपमेन्ट अवेलेबल नहीं हो सके यह भी कारण था फोरिन एक्सचेन्ज की कमी के कारण टेक्निकल इक्विपमेन्ट प्राप्त नहीं हो सके। पोलिटेक्निक इन्स्टीट्यूशन स्टार्ट करने से पहले, लाखों रुपये के टेक्निकल इक्विपमेन्ट चाहिये उसको प्रोक्योर करने में लगे हुए थे, कुछ अवेलेबल हो गया और कुछ बाकी हैं। स्टाफ का रिक्रूटमेन्ट भी एक कारण था क्योंकि रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन के व्यक्ति अवेलेबल नहीं हो सकते थे। अब कुछ रिक्रूट कर लिये गये कुछ और शेष हैं। ये तीन कारण हैं।

श्री भीमसेन : तो प्रधानाचार्य को इतना जल्दी नियुक्त क्यों कर दिया गया ?

श्री परसराम मदेरणा : प्रोक्योरमेन्ट के लिये इनकी नियुक्ति की गई थी टेक्निकल प्रोक्योरमेन्ट करने के लिये किसी दूसरे अफसर की नियुक्ति करते उसके बजाय टेक्निकल आदमी की नियुक्ति कर दी ताकि वह आवश्यकता के मुताबिक सब चीजों की कमी को पूरी कर सके।

श्री भीमसेन : क्या नेक्स्ट अकेडेमिक सेशन से यह संस्था चालू हो जायगी ?

श्री परसराम मदेरणा : नेक्स्ट अकेडेमिक सेशन से इस संस्था को चालू करने का सरकार निश्चय कर चुकी है।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : The Hon'ble Members have been taken aback that the office of the Principal has been running for the last two yeras and still there is no buildings while in other divisions, buildings were constructed first and then the office of the Principal was started. I think it is sheer waste of money.

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बरकतुल्लाखां) : It was in the interest of that institution that the Principal was appointed so that he could properly supervise the work. Government intention was merely to see that the institution comes up as early as possible.

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जिस समय प्रिन्सिपल की नियुक्ति की गई थी उस समय कितने समय में यह आशा थी कि पोलिटेक्निक स्कूल का काम चालू हो जायगा ?

श्री परसराम मदेरणा : प्रिन्सिपल की नियुक्ति २६-११-६० को हुई थी और चालू नहीं होने का कारण यह है कि जो बिल्डिंग का पहले प्लान बना था उस प्लान को प्रिन्सिपल मोडिफाई करना चाहता था। उन्होंने अपने सजेशन डाईरेक्टर के पास भेजे। वह रिवाइज्ड प्लान फिर चीफ इन्जीनियर, बिल्डिंग और रोड के पास आये और इसको एप्रूव करने के बाद में........

श्री भैरोंसिंह : मेरा क्वेश्चन यह नहीं है, मेरा तो यह है कि सरकार उस समय कितने दिनों में स्कूल के खोल देने की एक्सपेक्टेशन रखती थी ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) दरअसल में पहले अन्दाजा यह था कि हम ६१ में शुरू कर सकेंगे। पर बाद में बिल्डिंग वगैरह की दिक्कत होने के कारण नहीं कर पाये और अब शुरू कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि मुख्य मन्त्री महोदय ने ऐसे ही एक प्रश्न के उत्तर में इसी सदन में बताया था कि ६१ में शुरू कर दिया जावेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह तो मैं भी कह रहा हूं। मैंने यह निवेदन किया था कि ६१ में शुरू कर सकेंगे। ऐसी उम्मीद थी, पर बिल्डिंग और दूसरे इन्तजाम नहीं हो पाये इसलिये ६१ में नहीं कर पाये।

श्री भैरोंसिंह : आपने यह एश्योरेन्स सदन के इसी सत्र में दिया था कि ६१ में कर पावेंगे, तो फिर चार महीनों में ऐसी कौनसी डिफिकल्टी आ गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : चार महीने पहले तो नहीं। सैशन जुलाई में शुरू होता है।

श्री भैरोंसिंह : इसी लास्ट सेशन में।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। प्रश्न ८२।

खनिज सर्वे, नाथद्वारा तहसील

८२. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा): क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(श्री विजयसिंह झाला)

(१) क्या यह सही है कि खनिज विभाग की ओर से उदयपुर जिले का सर्वे हो रहा है जिसकी एक पार्टी नाथद्वारा तहसील में भी कार्य कर रही है ?

(२) यदि हां, तो कृपया इस जिले में कहां कहां तथा किस किस तरह का खनिज पदार्थ प्राप्त होने की सम्भावना है ?

(३) इस जिले में इस सर्वे के लिए अभी तक कितना धन व्यय हो चुका है ?

उप मंत्री, खनिज (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) हां, पर नाथद्वारा तहसील में राज्य खनिज विभाग की ओर से इस समय कोई पार्टी कार्य नहीं कर रही है।

(२) इस जिले में कई खनिज पाई जाने की सम्भावना है, मुख्यतया नथारा की पाल में लोह खनिज, रिखबदेव व परसाद में शीशे को खनिज, देलवाड़ा और करोली में तांबे की खनिज और झाडोल के पास मैगनेसाइट खनिज।

(३) इन चारों खनिजों के सर्वेक्षण पर व्यय की गई धन राशि रु० ७३,३१४) रु. है।

श्री विजयसिंह झाला : जो खनिज पदार्थ मिलने की सम्भावना है तो उसको कार्य रूप में परिणत करके खनिज प्राप्त करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अभी वहां खनिज सर्वे का कार्य चालू है। उनमें से दो का तो जीओलॉजिकल सर्वे ऑफ इन्डिया सर्वेक्षण कर रही है और बाकी दो का राजस्थान सरकार का खनिज विभाग कर रहा है। अभी यह सर्वे कम्पलीट नहीं हुआ है।

श्री दलपतसिंह (आबू) : क्या दूसरे जिलों में भी ऐसा सर्वे कराया गया है ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

निम्बाहेड़ा हाई स्कूल को कॉलेज में परिवर्तित किया जाना

८३. **श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) निम्बाहेड़ा में हाई स्कूल जो १६३६ में कायम हुआ था आज तक कॉलेज क्यों नहीं बनाया गया ?

(२) निम्बाहेड़ा हाई स्कूल के कॉलेज बनाए जाने में क्या रुकावट है। और अगर रुकावटें नहीं हैं तो कब तक कॉलेज बन जायगा ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री परसराम मदेरणा) : (१) सरकार निम्बाहेड़ा में कॉलेज स्थापित करने की आवश्यकता अनुभव नहीं करती।

(२) विश्व विद्यालय के नियमों के अनुसार किसी भी हाई स्कूल को डिग्री कॉलेज नहीं बनाया जा सकता। डिग्री कॉलेज हाई स्कूल से पृथक एक स्वतन्त्र संस्था होती है। हाई स्कूल कक्षाएं उसके साथ नहीं रह सकती हैं, अतएव निम्बाहेड़ा हाई स्कूल को कॉलेज बनाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अब्दुलजब्बार : ऐसी कौनसी मजबूरी है जिसकी बिना पर हॉयर सेकन्डरी या

(श्री अब्दुलजब्बार)

कॉलेज वहां नहीं बन सकता या किसी किस्म की राहत नहीं दी जा सकती ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : अभी चित्तौड़ खास में कॉलेज शुरू किया जा रहा है। जब इसका पूरा लाभ उठा लिया लिया जावेगा तो आगे देखा जावेगा।

श्री अब्दुलजब्बार : प्राथमिकता चित्तौड़ को दी जा रही है और निम्बाहेड़ा को नहीं; इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री भीमसेन।

सिंचाई योजनाओं पर सुधार शुल्क

८४. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : जवाई बान्ध योजना तथा अन्य मेजर एवं मीडियम सिंचाई योजनाओं में सुधार शुल्क प्रति एकड़ कितना कितना निश्चित किया गया है तथा उसके क्या आधार हैं ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : अभी तक जिन योजनाओं पर सुधार शुल्क निश्चित कर दिया गया है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

यह शुल्क राजस्थान लैण्ड एण्ड स्पेशल इर्रिगेशन चार्जेज• एक्ट तथा अधिनियमों के अनुसार लगाया जाता है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री भीमसेन : इस सूची में भाखरा और चम्बल के बारे में शुल्क क्या है, यह नहीं दिया गया है।

श्री दौलतराम सारण : चम्बल का तो अभी तय नहीं हुआ है और भाखरा का रह गया होगा। आप अब नोट कर लें। २०२) रु० और पहली दर २६४) रु० दस वार्षिक किश्तों में।

श्री भीमसेन : भाखरा के ये चार्जेज क्या पंजाब के चार्जेज से अधिक हैं, यह सही है ?

श्री दौलतराम सारण : जी हाँ, सही है।

एक माननीय सदस्य : यह जो कर लगाया गया है बीघा पर है या एकड़ पर ?

श्री दौलतराम सारण : एकड़ पर।

श्री भीमसेन : राजस्थान में आप अधिक ले रहे हैं, इसका क्या आधार है ?

श्री दौलतराम सारण : आधार मैंने निवेदन कर दिया। पंजाब की भूमि उपजाऊ थी पहले से, वहां पहले से ही कुछ सिंचाई की सुविधाएं थीं, कुंए और दूसरे साधन थे। हमारे यहां की जमीन बंजर थी और इसलिये पानी आने से उसकी कीमत अधिक बढ़ गई, उससे लाभ अधिक हुआ, इसलिये अधिक कर बढ़ गया।

श्री मोहनलाल (बाली) : जवाई जहां जमीन पैरीनियल नहीं हुई इसी तरह का बैटरमेन्ट लेवी वहां पर लगाने में क्या औचित्य है ?

श्री दौलतराम सारण : औचित्य यह है कि पानी वहां आया तो जमीन की कीमतें बढ़ गई और इसका लाभ किसान को मिला। किसान की हालत सुधरी तो बढ़ी हुई कीमतों पर १।३ के हिसाब से वहां भी बेटरमेन्ट लेवी ली गई।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : क्या भाखरा में पैरीनियल सप्लाई अराइज हो चुकी है ?

श्री दौलतराम सारण : अगले वर्ष।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या इस तरह से सुधार कर वसूल करने का आधार सरकार की लागत पूंजी वसूल करना है या यह कि इसके जरिये किसान को जो फायदा हुआ है उसका कुछ हिस्सा उससे लेना है ?

श्री दौलतराम सारण : आप कृपया दुबारा बोलें, स्पष्ट सुना नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सुधार कर वसूल करने का सरकार का आधार जो पूंजी उसमें लगी है उसको वसूल करना है या जो लोगों को फायदा हुआ है उसका हिस्सा लेने की है ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : बैटरमैंट लेवी से पूरी पूंजी तो वसूल होती नहीं है। जो लाभ होता है किसान को उसका कुछ हिस्सा बैटरमेंट लेवी में सरकार लेती है।

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, शहरों में आज जमीन की कीमतें बहुत बढ़ी हैं वहां सरकार कोई सुधार कर शहर वालों से वसूल नहीं करती पर गांवों में काश्तकारों से करती है, इस भेदभाव का क्या कारण ?

श्री अध्यक्ष : यह दूसरा प्रश्न है। इसके लिए आप बिल लाइये, रेजोल्यूशन लाइये।

(विराम)

नेक्स्ट।

भूमि का सोइल टैस्ट

८५. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : क्या कृषि मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि कृषकों को नया खाद देने के पूर्व राज्य सरकार उस क्षेत्र की भूमि का सोइल टैस्ट नहीं कराती जिससे नये खाद के प्रति लोगों में काफी निराशा उत्पन्न हुई है ?

(२) यदि हां, तो भूमि के सोइल टैस्ट के लिये भविष्य में सरकार की क्या योजना है ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) नहीं। रसायनिक खादों की उपयोगिता राज्य के सभी भागों में है। यह परीक्षणों द्वारा ज्ञात हो चुका है व इनमें किसानों का विश्वास भी बहुत तेजी से बढ रहा है।

(२) भूमि जांच का कार्य १९५३ से चालू है। शीघ्र जांच के लिए जोधपुर में एक प्रयोगशाला भी स्थापित की जा चुकी है जहां मिट्टी के नमूनों की जांच की जाकर खादों के प्रयोग के बारे में सलाह दी जाती है।

Page No. 7

श्री विजयसिंह झाला : क्या यह सही है कि एक ही तरह की रसायनिक खाद सब तरह की भूमि के लिये उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकती ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो बिल्कुल सही है ।

श्री विजयसिंह झाला : फिर किस जिले में किस प्रकार की खाद देनी चाहिये इसके बारे में क्या सरकार की कोई योजना है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसकी योजना बनी हुई है । जब से खाद बांटना शुरु हुआ है तब से भिन्न भिन्न इलाकों में किस प्रकार के खाद की आवश्यकता है यह हमने वहां वहां खाद के प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन से, वहां वहां की सोइल टैस्टिंग से आये परिणामों से निश्चित कर लिया है । आमतौर से हर जगह की जमीन में खास तौर से एल्यूमिट्स की डिफिशियेन्सी है । कहीं फासफोरस की कमी है और आमतौर से नाइट्रोजन की भी कमी मिलती है । इसलिये फांस्फोरस और नाइट्रोजन खादें पर्टिकूलरली सब जगह यूज में आती हैं और ये ही दो खामियां हर जगह मिलती हैं प्रमुख रूप से ।

अब हैवी डोजेज देने के बारे में डिटेल्ड सोइल टैस्टिंग का होना जरूरी है । इसके लिये हमने लेबोरेटरियां कायम की हैं, कुछ और भी करेंगे ताकि हैवी डोजेज किस जगह दिया जा सके; इसके बारे में डिटेल्ड सोइल का एनेलिसिस हो सके ।

श्री विजयसिंह झाला : क्या यह झूठ है कि कुछ पंचायत समितियों द्वारा खाद वितरण किया गया और उसके रिजल्ट ठीक नहीं निकले ?

श्री अध्यक्ष : किस खास पंचायत समिति की बात आप पूछ रहे हैं ?

श्री विजयसिंह झाला : खमणोर पंचायत समिति और गिरवां पंचायत समिति के बारे में पूछ रहा हूँ ।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह बिल्कुल किसान जो कहते हैं उससे उल्टी बात कह रहे हैं ।

श्री विजयसिंह झाला : मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ । एक ही तरह की खाद सब जगह सब जमीनों में उपयुक्त नहीं हो सकती । इसलिये सही है । कि इन पंचायत समितियों की मार्फत जो खाद वितरण किया गया उससे किसानों को काफी नुकसान हुआ और इससे उनमें काफी असन्तोष है । इस बारे में आपने क्या स्टेप उठाये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे पास न तो पंचायत समिति की तरफ से अफसोस जाहिर हुआ है न एक भी किसान की तरफ से हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : पंचायत समिति के स्तर पर कोई व्यवस्था है क्या साइल टैस्टिंग की या अब करना चाहते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां, सब पंचायत समितियों को हिदायतें हैं कि जिस किसी को अपने एरिया के साइल टैस्टिंग करवाने की आवश्यकता है वहां से सेम्पल क्लेक्ट करवा कर भिजवा दें और उनको एनेलेसिस हम सिर्फ १० दिन में करके भेज देते हैं ।

श्री विजयसिंह झाला : क्या आपकी तरफ से ऐसी कोई योजना सॉइल टैस्टिंग की बनाई गई कि जहां खाद दें उसका पहले साइल टैस्टिंग करें।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपके उदयपुर मे तो साइल टैस्टिंग लेबोरेटरी बनी हुई है और वहां पर साइल टैस्टिंग करके शाम तक बताया जा सकता है।

श्री निरंजन नाथ आचार्य (राजसमंद): हम उसका बराबर उपयोग कर रहे हैं।

श्री विजयसिंह झाला : आप जवाब दे रहे हैं क्या ?

क्या जो लेबोरेटरी बनी हैं उन लेबोरेटरी के यहां से कोई आज्ञा है कि जिस जिले में लेबोरेटरी बनी हुई है वह वहां का साइल टैस्ट करे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उनका काम ही यही है कि जो चीजें उनके सामने लाई जायें उनको टैस्ट करके रिजल्ट्स लोगों को दिये जायें।

श्री विजयसिंह झाला : नहीं, एक तो लाई जाये वहां या उनकी तरफ से जाकर जांच की जाये; दोनों अलग-अलग चीजें हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह सभी जगह थोड़े ही फिरते हैं। आज फील्ड में काम करने वाले ऑफिसर्स हैं, बी० डी० ओ० हैं, प्रधान हैं उन सब का फर्ज हो जाता है कि जिस जमीन के बारे में डाउट हो वह अपने सॉइल के नमूने टैस्ट करने के लिए लेबोरेटरी में भेज दें उदयपुर या जोधपुर और चाहे जैसी सिफारिश उनसे ले लें।

श्री विजयसिंह झाला : क्या मैं आशा करूं कि हमारे कृषि मंत्री इस प्रकार का आदेश जारी करेंगे....

श्री नाथूराम मिर्धा : यह सब पंचायत समितियां जानती हैं।

श्री विजसिंह झाला: जानती हैं, लेकिन करतीं नहीं हैं। इसलिए मंत्री महोदय ऐसी आज्ञा जारी कर दें कि जो कोई रसायनिक खाद दी जाये वह बिना टैस्टिंग के नहीं दी जाये।

श्री नाथूराम मिर्धा : यहां पर सदन में इतने माननीय सदस्य बैठे हैं सब की पंचायत समितियों से पूछ लिया जाये जाकर।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : मुझे अच्छी तरह मालूम है, पंचायत समितियों में यह ऑर्डर है और उसका पालन सब करते हैं। सोइल टैस्टिंग करवाते हैं। यह बात सही है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : क्या मंत्री महोदय का जिलेवार सोइल टैस्टिंग की लेबोरेटरी बनाने का विचार है ?

ब्यावर में 'बी' श्रेणी के अस्पताल का खोला जाना

८६. **श्री कुमारानन्द** (ब्यावर) : क्या स्वस्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सरकार को विदित है कि ब्यावर शहर में अच्छा उच्च स्तरीय अस्पताल न होने

(श्री कुमारानन्द)

के कारण जनता में तीव्र असन्तोष है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ब्यावर में 'बी' श्रेणी का अस्पताल बनाने पर विचार कर रही है ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

श्री कुमारानन्द : सुनाई नहीं दिया।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : (क) जी नहीं। (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

श्री कुमारानन्द : क्या आपको मालूम है कि ऑनरेबल वांचू जो अभी डाइरेक्टर ऑफ मेडिकल एण्ड हैल्थ सर्विसेज हैं वे जब अजमेर में पी० एम० ओ० थे तो उन्होंने सिफारिश की थी कि ब्यावर में जल्दी से जल्दी 'बी' क्लास का अस्पताल बनाया जाये ? वह अभी तक क्यों नहीं बना ? क्या आप इसका जवाब देंगी ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : स्पष्ट सुनाई नहीं दिया।

श्री कुमारानन्द : जो अभी डाइरेक्टर ऑफ मेडिकल एण्ड हैल्थ सर्विसेज हैं उन्होंने सिफारिश की थी कि ब्यावर में जल्दी से जल्दी 'बी' क्लास का अस्पताल कायम किया जाये ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जी नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री कुमारानन्द : क्या आपको मालूम है कि 'बी' क्लास अस्पताल बनाने के लिए कितने बैड्स चाहिए ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : १५० बैड्स।

श्री कुमारानन्द : क्या आपको मालूम है कि ब्यावर हॉस्पिटल में कितने बैड्स हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : १०२ बैड्स की सैंक्शन है, पर कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर कुछ ज्यादा बैड्स भी लगा दिये जाते हैं।

श्री कुमारानन्द : क्या आपको मालूम है कि कभी-कभी वहां पर १६० बैड्स हो जाते हैं इसलिए हम चाहते हैं कि जो सैंक्शन्ड बैड्स उनको उससे वहां सप्लाई हों।

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): यह तो सैंक्शन्ड बैड्स पर ही होता है।

श्री कुमारानन्द : ऐसी बात है कि ब्यावर में अभी ७५ बैड्स हैं लेकिन वह कभी १६० तक हो जाता है तो क्या आप ज्यादा बैड्स सप्लाई कर सकते हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बरकतुल्लाखां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा होता है कि अस्पतालों के अन्दर सैंक्शन्ड बैड्स तो कम होते हैं लेकिन मरीज ज्यादा हो जाते हैं तो भिचपिच करके लोगों को रहने की सहूलियत दी जाती है। लेकिन गवर्नमेंट यह तय कर ले कि जहां दो हों वहां तीन बैड्स लगा दिये जायें तो लोगों को बहुत परेशानी हो जाती है और यह सिर्फ इमर्जेन्सी के टाइम पर किया जाता है।

श्री कुमारानन्द : क्या आप यह बताने

(श्री कुमारानन्द)

की कोशिश करेंगे कि ब्यावर अस्पताल को सालाना ग्रान्ट कितनी दी जाती है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री सम्पतलाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, जब कि ब्यावर के अस्पताल की ऐसी सामान्य स्थिति रहती है कि वहां पर १६० तक बैड्स लगाये जाते हैं तो इससे क्या यह साबित नहीं होता कि उसको 'बी' क्लास का अस्पताल बना दिया जाये ?

श्री बरकतुल्लाखां : राजस्थान में जितने भी बड़े बड़े अस्पताल हैं वहां पर एक्स्ट्रा बैड्स लगाये जाते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो क्या यह मानें कि राजस्थान सरकार बैड्स आवश्यकता के अनुसार सप्लाई करने के नाकाबिल है ?

श्री बरकतुल्ला खां : यह तो बिल्कुल जाहिर है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह है कि सरकार सप्लाई करने में नाकाबिल है ?

श्री बरकतुल्लाखां : जिस अस्पताल के लिए जितना रुपया होगा उतना ही तो रुपया खर्च किया जायेगा। अगर यह सदन ज्यादा सैंक्शन कर दे तो ज्यादा हो सकता है।

श्री कुमारानन्द : भीलवाड़ा 'बी' क्लास का अस्पताल है या नहीं ?

श्री बरकतुल्लाखां : यह अलग प्रश्न है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ब्यावर की जितनी आबादी के जितने भी शहर हैं आम तौर पर वहां 'बी' क्लास के अस्पताल हैं और ब्यावर में १६० तक बैड्स पहुँच जाते हैं इसके बावजूद क्या सरकार इस निर्णय पर पहुँची है कि वहां 'बी' क्लास बनाने की आवश्यकता नहीं है ?

श्री बरकतुल्लाखां : जहां जहां पर जैसी जैसी आवश्यकता आती है वहां वैसा ही करते हैं। राजस्थान सरकार की नीति है और यह नीति सही है कि जहां तक मुमकिन हो सके अस्पतालों के अन्दर बैड्स को बढ़ाया जाये। लेकिन जैसे जैसे रुपया मिलता है जैसे जैसे जरूरतें सामने आती हैं उनके मुताबिक एक प्लान्ड वे के अन्दर राजस्थान की ओवर-ऑल पिक्चर लेकर इस काम को किया जाता है। आइसोलेशन के अन्दर एक एक अस्पताल को लेकर नहीं किया जाता।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : क्या अस्पतालों के अन्दर रुपया खर्च करने में इस बात का खयाल रखा जाता है कि पर्टिकुलर प्लेस के लिए रुपया लगाया जाये ?

श्री अध्यक्ष : आपका मतलब निम्बाहेड़ा से है ?

श्री अब्दुलजब्बार : मैं तो सिर्फ यही पूछ रहा हूं कि पैसा खर्च करने के लिए पर्टिक्युलर प्लेस का खयाल रखा जाता है ?

श्री अध्यक्ष : तो स्पष्ट ही निम्बाहेड़ा के लिए पूछ लीजिए !

श्री अब्दुलजब्बार : मैं यह अर्ज

(श्री अब्दुलजब्बार)

करता हूँ कि आप इसको पक्षपात कहें या कुछ भी कहें लेकिन यह कहना पड़ता है कि उन्नति या विकास के नाम पर पैसा खर्च करने के लिए इस बात के लिए कोशिश की जाये कि किसी खास जगह को पैसा दिया जाये, मैं इसको उचित नहीं मानता ।

श्री बरकतुल्लाखां : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल का वक्त है या बहस का ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : क्या यह सही है कि बूंदी, ब्यावर और धौलपुर के अस्पतालों को सी० एम० ओ० ग्रेड का बनाने के लिए डाईरेक्टर ने सिफारिश की थी ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह प्रश्न अलग है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री सम्पतलाल ।

शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देने के नियम

८७. **श्री सम्पतलाल** (मावली) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देने के क्या नियम हैं ?

(२) क्या यह सत्य है कि ऑडिट फीस का खर्च मान्य खर्च में सम्मिलित नहीं किया जाता ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या सरकार इस खर्च को मान्य खर्च में सम्मिलित करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

उप-मन्त्री शिक्षा, (श्री परसराम मदेरणा): (१) अनुदान के नियमों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) जी हां । वर्तमान ग्रान्ट–इन–एड रूल्स में ऐसा कोई प्रावधान न होने के कारण अमान्य किया जाता है ।

(३) जी हां । रूल्स में संशोधन करने का सुझाव सरकार के विचाराधीन है । प्रयत्न जारी हैं । नियमों को अन्तिम रूप देने में सरकार प्रयत्नशील है और निकट भविष्य में नये नियम बना कर लागू होने की आशा है ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

श्री सम्पतलाल : यह कब से विचाराधीन है ?

श्री परसराम मदेरणा : सरकार ने ग्रांट-इन–एड रूल्स को अमेन्ड करने के लिए कमेटी बैठाई थी । कमेटी का सरकार के पास ड्राफ्ट पेश हो चुका है और उसकी स्क्रूटिनी हो रही है और उसको फाइनेलाइज करने के बाद से लागू किए जायेंगे ।

श्री सम्पतलाल : कब तक फाइनल हो जायगा ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : शिक्षण संस्थाओं को जो अनुदान देने के नियम आपने बनाये हैं इन नियमों के

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अलावा और कोई एक्सेप्शनल सर्कम्स्टान्सेज ऐसे हों जिन पर आप अनुदान देते हों, नियमों के अलावा ?

श्री परसराम मदेरणा : जहां तक ग्रांट-इन-एड देने का प्रश्न है वह नियमों के अन्तर्गत ही दी जाती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो मैं पूछूं कि हटुंडी को जो सहायता दी गई है वह सामान्य नियमों के अलावा नहीं है ?

श्री परसराम मदेरणा : यदि किसी संस्था को, एज्यूकेशनल इन्स्टीट्यूशन को ग्रान्ट इन-एड दी गई तो जो नियम बना रखे हैं उनके अनुसार ही दी गई है और नियमों का इन्फ्रिन्ज करने की बात नहीं है।

सीमेंट कम्पनी लाखेरी, के लिये जमीन

८८. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन : क्या मंत्री, उद्योग विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि सीमेंट कम्पनी, लाखेरी के लिए सरकार ने कुछ जमीन रिजर्व की है ?

(२) यदि हां, तो कितनी जमीन एवं किस कार्य के लिए तथा रिजर्व कराने के पश्चात् इस भूमि में क्या कार्य हुआ है ?

(३) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र के अलावा क्षेत्र को भी अवाप्त करने की योजना है तथा उस क्षेत्र में नागरिकों के मकान, खेत, सिनेमाघर आदि भी आते हैं ?

(४) क्या इस सारे कार्य के लिये कोई योजना है ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उद्योग मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) जी हां।

(२) कुल ३०. ५६ एकड़ भूमि रिजर्व की गई है, जिसमें से करीब १६ एकड़ भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही की जा रही है। अभी तक कम्पनी कोई कार्य नहीं कर सकी है।

(३) जी नहीं। रिजर्व की गई भूमि में नागरिकों के मकान, खेत, सिनेमाघर आदि भी आते हैं।

(४) कम्पनी द्वारा इस भूमि पर मार्शलिंग यार्ड, जिप्सम व कोयले के स्टोरेज, क्रासिंग पॉइन्ट एवं लेबर क्वार्टर्स आदि बनवाये जाने की मांग है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न ८८ के भाग (३) में पूछा है कि "क्या यह सही है कि इस क्षेत्र के अलावा क्षेत्र को भी अवाप्त करने की योजना है तथा उस क्षेत्र में नागरिकों के मकान, खेत, सिनेमाघर आदि भी आते हैं ?' इसके बारे में स्पष्ट नहीं किया गया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने निवेदन किया कि इस वक्त ऐसा कोई प्रश्न नहीं है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि वहां पर करीब २ हजार किसान और

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

मजदूर मकान बनाना चाहते हैं और दर्ख्वास्त दे चुके हैं लेकिन उनको मकान बनाने के लिए जगह नहीं मिली है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो जानकारी चाही गई है उसके लिए जवाब दे चुका हूं, बाकी कितनी दर्ख्वास्तें आई हैं उसका ध्यान नहीं है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : जब माननीय मुख्य मंत्रीजी एक दफा वहां दौरे पर पधारे थे तो मज़दूरों ने स्वयं उनके समक्ष दर्ख्वास्तें दी हैं कि उनके मकान हटाये जा रहे हैं। वे शायद भूल गये हैं। एक बार नहीं दो, दफा पधारे थे वहां पर मज़दूरों ने और मज़दूर यूनियन ने आपसे निवेदन किया था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं अभी जब गया था तो लोगों ने कहा था कि मकान के लिए स्थान चाहिए। इतनी बात तो जरूर हुई थी। इसके अलावा कोई डेपुटेशन नहीं मिला।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : इस चुनाव के समय नहीं, जब स्कूल का उद्‌घाटन करने के लिए पधारे थे उस समय कहा था और दर्ख्वास्तें दी थी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जमीन पर लेबर क्वार्टर्स बनाने की बात है वह तो इसमें है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह जो जमीन एक्वायर की जा रही है उसके बदले में किसानों को जमीन देने की कोई योजना है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसके लिए कायदे के मुताबिक जो कम्पेन्सेशन की कार्यवाही है वह कार्यवाही की जायगी। यदि आसपास जमीन उपलब्ध होगी तो जमीन दी जा सकती है, वर्ना कायदे से कम्पेन्सेशन पाने के वे हकदार होंगे वह मिलेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार की यह नीति नहीं है कि किसानों से जो जमीन ली जायगी तो उनको बेरोजगार नहीं होने देने के लिए और 'अधिक अन्न उपजाओ' योजना का सफल बनाने के लिए उनको दूसरी जगह जमीन दे दे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जहां तक सम्भव हो हम यह करना चाहते हैं, पर साथ में मैं यह भी निवेदन कर दूं कि जो जमीन एक्वायर की जा रही है वह जमीन १६ एकड़ कुल है। इसमें बहुत बेदखल किसानों का प्रश्न जोड़ा गया है। इतना भी मानकर नहीं चलना चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : किसानों से जो जमीन ली जा रही है उसकी कीमत जो दी जा रही है वह मार्केट रेट के अनुसार दी जा रही है या आर्बिट्रेरी कीमत मुकर्रर की जा रही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उसके लिए लैण्ड एक्वीज़िशन एक्ट स्पष्ट है।

श्री मानिकचन्द सुराना (कोलायत) : यह सीमेंट फैक्ट्री के लिए जो जमीन रिजर्व की गई है उसको कितना अर्सा हो चुका है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : तारीख तो ठीक नहीं बता सकता, लेकिन एक्वायर

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। जमीन जो रिज़र्व की गई है वह १९५८ में की गई थी।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): सीमेंट फैक्ट्री के लिए ज्यादा से ज्यादा कितनी जमीन देनी चाहिए, क्या ऐसा कोई नियम है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: सारी आवश्यकताओं को देख कर निर्धारित करते हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा: कम्पनी ४० वर्षों से वहां है तो इसी वर्ष या गत वर्ष रिज़र्व करने की क्या आवश्यकता हुई जिसके कारण से किसानों और मजदूरों को मकान बनाने के लिए जमीन नहीं मिलती है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: लेबर क्वार्टर्स, मार्शल यार्ड, स्टोरेज के लिए है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: किसानों की जमीन एक्वायर की जा रही है....

श्री अध्यक्ष: श्री बृजसुन्दर शर्मा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी): जब से जमीन रिज़र्व की गई है तब से डेड रेंन्ट में मर्ज किया गया है कम्पनी से?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिनके पास जमीन है उनसे जब तक वह एक्वायर नहीं होगी लगान वसूल होता रहेगा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: एक्वायर १६ एकड़ हो रही है बाकी की जमीन जो कम्पनी के लिए रिज़र्व की गई है उसका डेड रेन्ट या किराया लिया जायेगा?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: जिन किसानों की जमीनें एक्वायर की गई हैं यदि वे किसान उस जमीन पर मकान बनाना चाहें तो क्या उनको प्रायोरिटी दी जायगी?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: जमीन जिस पर्पज़ के लिए एक्वायर की जा रही है उस पर दूसरों को मकान बनाने का राइट कैसे दें?

नये आयुर्वेदिक औषधालयों का खोला जाना

८९. **श्री सम्पतलाल** (मावली): क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

दिनांक २० जनवरी, १९६२ से २५ फरवरी, १९६२ के काल में किस किस स्थान पर कब कब औषधालय खोले गये? कृपया इसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उपमन्त्री आयुर्वेद (श्री दौलतराम सारण): २० जनवरी, १९६२ से २५ फरवरी, सन् १९६२ के काल में जिन स्थानों पर औषधालय खोले गये हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री सम्पतलाल: क्या यह सही है कि जहां तारीख २४-२-६२ को औषधालय खोले गये हैं वहां तारीख २५ को पोलिंग था?

श्री दौलतराम सारण : वोट कब था, यह मुझे पता नहीं है, लेकिन औषधालय जिस तारीख को खोले गये वह सूचित कर दिया गया है ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि जितने औषधालय खोले गये हैं वे पंचायत समितियों और जिला परिषदों की सिफारिश पर खोले हैं ?

श्री दौलतराम सारण : जिला परिषद की सिफारिश पर खोले गये हैं ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : यह कार्यवाही कब से चल रही थी जहां जहां खोले गये हैं उसके बारे में ?

श्री दौलतराम सारण : साल भर से जिला परिषदें अपनी सिफारिशें भेज रही हैं और इससे पहले भी औषधालय खोले गये थे। करीब ६४ कुल खोले गये थे गत वर्ष में। उनमें से ३७ औषधालय इन तारीखों में खोले गये जो प्रश्न में अंकित की गई हैं। उसकी सूची प्रस्तुत कर दी है।

श्री भैरोंसिंह : क्या खुलने वाले अस्पतालों की ऑर्डर लिस्ट बना रखी है कि यहां, यह खोले जायं पहले। इस तरह की मेरिट्स के बेसिस पर आर्डर लिस्ट बना रखी है क्या ?

श्री दौलतराम सारण : ऑर्डर लिस्ट की आवश्यकता नहीं है। सवाल यह है कि जहां जहां से मांग आती रहती है हम खोलते रहते है। सरकार के पास जितना प्रावधान होता है उसके अनुसार।

श्री भैरोंसिंह : आपने बताया कि पिछले साल ६७ औषधालय खोलने की बात थी तो ६७ औषधालय किस किस तरह से खोले जायेंगे, इस सम्बन्ध में कोई ऑर्डर लिस्ट बना रखी है ?

श्री दौलतराम सारण :-उस ऑर्डर लिस्ट की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जैसे जैसे जिला परिषद की तरफ से सुझाव आये औषधालय खोलते रहे और उसके मुताबिक यह खोले गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : सुझाव ६७ औषधालयों को खोलने के लिए आये थे। वे उस तारीख से पहले पहले आ चुके थे जिस तारीख के लिये आपने कहा था कि इस तारीख तक अपने सुझाव भेज दें। तो उन सुझावों के भेजने के बाद आपने भी एक लिस्ट प्रिपेअर की होगी कि जिस लिस्ट के आधार पर इन-ऑर्डर औषधालय खोल दिये जायं।

श्री दौलतराम सारण : जितने औषधालय खोलने थे उन औषधालयों के लिए सुझाव आमन्त्रित किये गये। उसके ऊपर जिला परिषदों ने उतने ही सुझाव नहीं दिये। जिला परिषदों से बहुत से सुझाव आये थे। लेकिन जितनी हमारी खोलने की गुंजायश थी उतने औषधालय खोल दिये गये।

श्री भैरोंसिंह : सब जिला परिषदों ने मिल कर कुल ६७ औषधालय खोलने को मांग की थी और आपने कुल ३७ खोले, तो ६७ में से ३७ को किस प्रकार से ऑर्डर दिया ?

श्री दौलतराम सारण : मेरे खयाल से प्रश्नोत्तर की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न यह

(श्री दौलतराम सारण)

है कि :

"दिनांक २० जनवरी, १६६२ से २५ फरवरी, १६६२ के काल में किस किस स्थान पर कब कब औषधालय खोले गये ?"

इसके उत्तर में मैंने निवेदन कर दिया कि २० जनवरी सन्, १६६२ से २५ फरवरी, सन् १६६२ के काल में जिन स्थानों पर औषधालय खोले गये हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। न कि सारे औषधालयों की।

श्री भैरोंसिंह : यह सूची जो सदन की मेज पर प्रस्तुत की गई है क्या यह सूची उस ऑर्डर में से है जो कि आपने पहले प्रेस्क्राइब की थी ?

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

बीकानेर सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा अपने क्षेत्र को बढाने का प्रस्ताव

६०. श्री **भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या स्वायत शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि बीकानेर सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने अपने क्षेत्र को बढाने के लिये सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखा है ? अगर हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाया है ?

उप-मन्त्री, स्वायत्त-शासन (श्री दौलत राम सारण) : जी हां। प्रस्तावित क्षेत्र में नगरपालिकाएं गंगाशहर, व भीनासर तथा कुछ पंचायतों के क्षेत्र आने के कारण सम्बन्धित नगरपालिकाओं के अध्यक्ष तथा उप-विकास आयुक्त (पंचायत) की राय मांगी गई थी जो प्राप्त हो चुकी है। मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्री मानिकचन्द सुराना (कोलायत) : क्या यह योजना गंगाशहर, बीकानेर और भीनासर की नगरपालिकाओं को मिलाने की है ?

श्री दौलतराम सारण : प्रश्न आपने देखा होगा, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की सीमा बढाने का प्रश्न है।

श्री मानिकचन्द सुराना : वह तो हमने देख लिया है, लेकिन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने सिफारिश की है कि गंगाशहर भीनासर की सीमा को भी इसमें मिला लिया जाय, जब कि यहां पर अलग म्युनिसिपैलिटीज हैं और म्युनिसिपल एक्ट कहता है कि दूसरी म्युनिसिपैलिटी के अधिकार की सीमा को दूसरी में नहीं मिलाया जा सकता। इसकी पृष्ठ भूमि को स्पष्ट करने की कृपा करें ?

श्री दौलतराम सारण : इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, बीकानेर का प्रस्ताव आया कि उसकी सीमा को चार मील तक बढाया जाय। इस सीमा में जैसा कि मैंने बताया नगरपालिकाओं और पंचायत के क्षेत्र आते हैं। उन पंचायत क्षेत्रों तथा नगरपालिका के क्षेत्रों तक इसकी सीमा बढाई जाय या नहीं, इस पर सम्बन्धित नगरपालिकाओं और पंचायत क्षेत्रों की सम्मति मांगी गई है। उन्होंने सम्मति भेजी है उस पर सरकार विचार कर रही है।

Page No. 17

गिरवां तहसील के करनाली तालाब की मरम्मत

६१. श्री जोधसिंह (गिरवां) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि गिरवां तहसील में करनाली का तालाब अधूरा पड़ा है ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार उसको वर्षा से पूर्व पूरा करा देने का विचार रखती है ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : इस नाम का कोई तालाब इस विभाग के अधीन नहीं है।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्री जोधसिंह : जरा वापिस फरमाइये।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : (१) इसनाम का कोई तालाब इस विभाग के अधीन नहीं है।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्री जोधसिंह : क्या इस नाम का कोई तालाब वहां बना ही नहीं है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : इस नाम का तालाब नहीं है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : हो सकता है कि सिंचाई विभाग के अन्तर्गत न हो, पर क्या पंचायत समिति के नीचे भी इस नाम का कोई तालाब नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : सिंचाई मन्त्री अपने ही विभाग के बारे में विचार कर सकते हैं।

श्री विजयसिंह झाला : प्रश्न सिंचाई मन्त्री के पास पहुंचने के बाद अगर उनको उसका उत्तर नहीं देना था तो उसे वापिस भेजना था। सिंचाई मन्त्रीजी को यह पता होना चाहिए कि सिंचाई के क्या २ साधन हैं।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : करनाली नाम का कोई तालाब नहीं है।

श्री जोधसिंह : यह गलत है, मैं देख कर आया हूँ। आप चाहें तो मैं दिखा सकता हूँ।

सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई): हमने यह जवाब दिया है कि सिंचाई विभाग के अन्तर्गत में, नहीं है। हो सकता है कि पंचायत के अन्तर्गत हो, हमारी जानकारी नहीं है।

श्री जोधसिंह : क्या इसकी जानकारी करके उत्तर देंगे ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जानकारी के लिए अच्छा होगा कि मन्त्रीजी को वहां ले जाकर स्नान कराया जाय।

श्री जोधसिंह : मैं हाजिर हूं इसके लिए।

गंगापुर कस्बे के विकास की योजना

६२. श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर) : क्या मन्त्री, स्वायत्त शासन विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि भूतपूर्व जयपुर स्टेट के समय गंगापुर कस्बे के विकास की दृष्टि से कोई योजना बनाई गई थी ?

(२) क्या यह सही है कि इस दृष्टि से कुछ समय पूर्व भूमि अवाप्त करने की कार्य-वाही भी की गई थी ? यह योजना अब किस स्थिति में है ?

उप-मन्त्री, स्वायत शासन(श्री दौलत-राम सारण) : (१) जी हां।

(२) जी हां। इस योजना का सर्वेक्षण हुआ, भूमि अवाप्ति के लिए कार्यवाही भी शुरू की गई। परन्तु कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में रिट कर दी और कुछ लोगोंने नाजायज कब्जे कर लिए। इन कब्जों को हटानेकी कार्यवाही की जा रही है। इन बाधाओं के दूर होने पर पूरी तौर से कार्यवाही हो सकेगी।

श्री गोविन्द सहाय : क्या यह सही है। कि सन् ४४, से स्टेट के टाइम से, यह कार्यवाही चल रही है और सन् ५३ में श्री सुखाड़िया जिस समय रेवेन्यू मिनिस्टर थे उस समय हां करके आये थे, कुछ भूमि अवाप्त भी की गई थी; लेकिन अब तक जो मिनिस्टर साहब के दोस्त थे, उनको जमीन दे दी गई और बाकी लोग जिन्होंने मकान बनाये, जिनको आवश्यकता थी उन पर केसेज चल रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : एक एक बात पूछिए।

श्री गोविन्दसहाय : मेरानिवेदन है कि टाउन इम्प्रूवमेंट के लिए जो भूमि अवाप्त की जा चुकी है उसको हैंड ओवर किया या नहीं ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने निवेदन किया कि जिन्होंने नाजायज कब्जे कर लिए थे उनको हटाने की कार्यवाही चल रही है।

श्री गोविन्दसहाय : सन् ४४ से अब तक उनको क्यों नहीं हटाया गया ?

श्री दौलतराम सारण : जयपुर स्टेट के समय में यह मामला चला था। मर्जर के बाद इस पर कार्यवाही नहीं की गई। पुनः ध्यान में आने पर फिर से कार्यवाही शुरू की गई है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह भूमि कब अवाप्त कर ली गई थी ?

श्री दौलतराम सारण : मेरे पास इस समय निश्चित तारीख तो नहीं है कि कब अवाप्त करली गई थी लेकिन शायद ५६ के आस पास है।

श्री भैरोंसिंह : सन् ५६ के बाद जितने मकान बने हैं क्या वे अनऑथेराइज्ड कंस्ट्र-क्शन हैं ?

श्री दौलतराम सारण : कुछ नाजायज कब्जे हुए हैं उनको खाली कराने की कोशिश की जा रही है।

श्री भैरोंसिंह : भूमि की अवाप्ति के बाद यह किसके अधिकार में रही ?

श्री दौलतराम सारण : अवाप्ति के बाद गवर्नमेंट के अधिकार में रही।

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेंट के अधिकार में थी तो नाजायज कब्जा कैसे हुआ ?

श्री दौलतराम सारण : यदि गवर्नमेंट के हाथ में होती और उनके हाथ में नहीं होती तो नाजायज का क्या सवाल था।

श्री भैरोंसिंह : नाजायज कब्जा क्यों हुआ ? यही तो आपकी तारीफ है।

श्री दौलतराम सारण : लोग तो डाका भी डालते हैं लेकिन उनको सजा मिलती है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह समझा जाय कि जिसने कब्जा किया वह अधिकारी तहसीलदार था और गंगापुर में रहता था ?

श्री दौलतराम सारण: यह मुझे मालूम नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : बेदखली के बाद किस अधिकारी के पास रही ?

श्री दौलतराम सारण : यह काफी दिनों की बात है इस अर्से में कौन कौन तहसीलदार रहे, यह बताना कठिन है।

श्री भैरोंसिंह : पर्टिकुलर तहसीलदार से मेरा मतलब नहीं है। तहसीलदार नाम का ओहदा है उससे मेरा मतलब है।

श्री दौलतराम सारण : यह आप भी जानते हैं कि रेवेन्यू अधिकारी है।

श्री भैरोंसिंह : रेवेन्यू अधिकारी है, गंगापुर में रहता है लेकिन जिस भूमि का कम्पेनसेशन देकर सरकार के अधिकार में लिया है उस पर नाजायज कब्जा कैसे कर लिया ?

श्री दौलतराम सारण : जिन्होंने कर लिया है उनके खिलाफ कार्यवाही चल रही है।

श्री गोविन्द सहाय : जिन्होंने नाजायज कब्जा कर लिया है उन्होंने आठ आठ वर्ष तक कन्स्ट्रक्शन वर्क चलाया है।

श्री दौलतराम सारण : आप क्या चाहते हैं ?

श्री गोविन्दसहाय : मैं यह जानना चाहता हूँ कि जिन्होंने जानबूझ कर कब्जा कर लिया है क्या उन्होंने इजाजत से कब्जा किया है ?

श्री दौलतराम सारण: गवर्नमेंट अगर इजाजत देती तो नाजायज कब्जे का सवाल नहीं रहता।

श्री गोविन्दसहाय : नाजायज हो या जायज हो, रेवेन्यू मिनिस्टर साहब के जो लोग मिलने वाले थे उनको नजराने पर जमीन दे दी और बाकी जो गरीब हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। वे लोग कब तक इन्तजार करें सन् ४४ से ६२ तक का समय हो गया, सुखाड़िया साहब खुद कह कर आये थे, वह अब तक वैसे ही है, क्या करें वे लोग ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

नहरें, पाटन तहसील

६३. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि पाटन तहसील में नहरें कई स्थानों पर टूट गई हैं जिस कारण फसलों को काफी नुकसान हुआ है ?

(२) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र के किसानों द्वारा पानी न लेने पर भी उनसे पिलाई वसूल की जा रही है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी नहीं।

(२) जी नहीं

श्री हरिप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, पहले प्रश्न के बारे में 'नहीं' उत्तर दिया गया है जबकि मेरा प्रश्न है कितनी ही नहरें कई स्थानों पर टूट गई हैं, आवागमन के रास्ते बन्द हैं, आवागमन के साधन नहीं हैं, किसानों पर मनमाने जुर्माने होते हैं, जांच की जाय कि मैं कह रहा हूँ वह सही है या मंत्रीजी कह रहे हैं वह सही है ?

श्री दौलतराम सारण : मेरी जानकारी के अनुसार मैंने उत्तर दिया है। फिर जांच करवा लेंगे।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मैं जानकारी के आधार पर नहीं, बल्कि आंखों देखी बात कहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी ने स्वीकार किया है कि जो जानकारी उनको है उसके अनुसार उत्तर दिया है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है : "क्या यह सही है कि इस क्षेत्र के किसानों द्वारा पानी न लेने पर भी उनसे पिलाई वसूल की जा रही है ?"

श्री दौलतराम सारण : मैं उत्तर दे चुका हूँ : जी नहीं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : जो नहरें रूकी हुई हैं उनको न मान कर अधिकारियों ने पिलाई के फार्म जबर्दस्ती भरा लिये हैं, क्या यह सही है ?

श्री अध्यक्ष : आप निश्चित तौर से बताइये कि किस गांव में ऐसा हुआ है ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा : ऐसे कई गांव हैं जिनके नाम मैं बता सकता हूँ, जितने नाम पूछना चाहें लिखित में हाजिर कर सकता हूँ।

श्री अध्यक्ष : लिखित में दे दीजिये, जाँच करा लेंगे।

(विराम)

प्रश्न समाप्त हुए

(११.५६ म. पू.)

जन-लेखा एवं प्राक्कलन समितियों के नियुक्त सभापति

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूँ कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम १८३ (१) के अन्तर्गत मैंने श्री हरिदेव जोशी (विभाजन संख्या ६०) को जन लेखा समिति, १९६२-६३ का सभापति नियुक्त किया है।

(विराम)

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूँ कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम १८३ (१) के अन्तर्गत मैंने श्री मोतीलाल (वि. सं ११३) को प्राक्कलन समिति, १९६२।६३ का सभापति नियुक्त किया है।

(१२. म. पू.)

विदेशी स्पिरिट और शराब पर करमें वृद्धि सम्बन्धी घोषणा इत्यादि सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: वित्त मंत्री द्वारा दिनांक ३०

(श्री अध्यक्ष)

मार्च, १९६२ को विदेशी स्पिरिट और शराब पर कर में वृद्धि करने के सम्बन्ध में सरकार के निर्णय की घोषणा की जाने तथा उस आबकारी कर की तुरन्त वसूली के लिए कोई कदम न उठाये जाने के संबंध में श्री भैरोंसिंह, सदस्य विधान सभा, द्वारा मुझे कल एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गई थी । जिसे कल मैंने सदन के समक्ष पढ़ कर सुनाया था। उस पर मैंने अपना निर्णय आज के लिए रखा था।

इस स्थगन प्रस्ताव में दो मुद्दों पर जोर दिया गया है। एक तो यह कि वित्त मंत्री द्वारा विदेशी स्पिरिट और शराब पर आबकारी कर तुरन्त प्रभावशील करने के लिए आवश्यक कदम उठाये बिना उसकी घोषणा करना बजट लीकेज है तथा दूसरा यह कि घोषणा के तुरन्त पश्चात् आबकारी कर वसूल नहीं किया जाना बजट पर विपरीत प्रभाव डालता है तथा इसके फलस्वरूप सरकार इस कर से होने वाली राजस्व से वंचित रही है तथा इस घोषणा ने विदेशी स्पिरिट और शराब के व्यापारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया है।

मैंने राज्य सरकार से प्राप्त उत्तर को दृष्टिगत रखते हुए इस स्थगन प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार किया है। जहाँ तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है, मुझे यह कहना चाहिये कि भारत में बने विदेशी स्पिरिट और शराब पर आबकारी कर लगाने की घोषणा वित्त मंत्री द्वारा सदन में ही की गई थी, अत: बजट के लीकेज का प्रश्न नहीं उठता।

दूसरे मुद्दे के सम्बन्ध में सरकार ने अपने उत्तर में कुछ भी नहीं कहा है । इस सम्बन्ध में मैं महसूस करता हूँ कि घोषणा की तारीख से नये लगाये गये कर को लागू करने और वसूल करने के लिए सरकार द्वारा आवश्यक कार्यवाही न करने का कार्य नये लगाये गये कर से होने वाली आमदनी पर विपरीत प्रभाव डालने तथा भारत में बने विदेशी स्पिरिट और शराब के व्यापारियों को लाभ पहुँचाने की संभावनाओं से युक्त है। यह कहा जाना चाहिये कि आबकारी कर तथा विक्रय कर आदि बजट प्रस्थापनाओं को भविष्य में किसी तिथि से प्रभावशील होने देना उचित नहीं है क्योंकि ऐसी बजट प्रस्थापनाओं से कर लगाये जाने योग्य चीजों और अन्य वस्तुओं के दाम उन पर बढ़ी हुई आबकारी एवं बढ़े हुये करों के अनुसार बढ़ेंगे जब कि राज्य सरकार आबकारी एवं कर की वृद्धि की घोषणा की तिथि तथा बढ़ी हुई आबकारी एवं कर के प्रभावशील होने की तिथि के बीच राजस्व वसूल नहीं कर सकेगी और व्यापारी वर्ग उपभोक्ताओं और गवर्नमेंट एक्सचेकर की कीमत पर दामों में वृद्धि के परिणामस्वरूप लाभ उठावेंगे।

तथापि सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए मैं यह निर्णय देता हूँ कि स्थगन प्रस्ताव ऐसे अविलम्बनीय प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है जिसके कारण सदन की आज की कार्यवाही को स्थगित किया जाय और यह मामला अनुदानों की मांगों पर वादविवाद के समय या प्रक्रिया के नियमों के अधीन अन्य किसी प्रकार से उठाया जा सकता है। अत: मैं इस स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूँ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) :

(श्रीभैरोंसिंह)

अध्यक्ष महोदय, आपके निर्णय के अनुसार यह लगभग निश्चित हो गया है कि टैक्स लागू करने को घोषणा के पश्चात् उसकी वसूली की कार्यवाही का न किया जाना व्यापारियों को कुछ आंशिक लाभ पहुँचाने की स्थिति में आता है। यहाँ पर बजट लीकेज का ही प्रश्न नहीं है, बजट प्रस्तुत करने और बजट के प्रपोजल्स को इम्प्लीमेंट करने के अन्दर निश्चित रूप से कोताही हुई है और इस कोताही के लिए मैं राजस्थान के वित्त मन्त्री को जिम्मेवार समझता हूँ और निवेदन करता हूँ सदन को, आपके द्वारा, कि वित्त मंत्री को इस सम्बन्ध में प्रोसीक्यूट किया जाय और इस पद से डिसमिस किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न विचाराधीन यह था कि स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय। उस पर व्यवस्था दे दी गई है। किसके विपरीत है और कौन इससे सम्बन्धित है, इसके लिए और तरह से प्रश्न को उठा सकते हैं। उसके लिए नियम मौजूद हैं; जैसा चाहें वैसा करें।

श्री भैरोंसिंह : इमीजियेटली मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करता हूँ कि माननीय अध्यक्ष की रूलिंग से यह सिद्ध हो गया है कि बजट से होने वाले लाभ से सरकार वंचित रही है और कुछ व्यापारियों को आंशिक लाभ मिलने की सम्भावना है, उसका गेन कुछ उठा चुके हैं। ऐसी स्थिति में वित्त मंत्रीजी दोषी हैं और दोषी होने की स्थिति में, मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा, कि उनको तुरन्त अपदस्थ किया जाना चाहिए और इस सदन की बार में प्रोसीक्यूट किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था के अन्दर यह नहीं कहा है कि सरकार इससे वंचित रह गई है लेकिन जो प्रणाली काम में लाई गई है, जिस आधार को काम में लाया गया है उससे ऐसी सम्भावना रहती है, ऐसा हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह : उसमें सम्भावना है, प्रेक्टिकल किसने कितना गेन किया है, कितना नहीं किया है, this is a matter of enquiry.

श्री अध्यक्ष : इस पर बहस नहीं होगी।

श्री मुलीधर व्यास (बीकानेर) : प्रश्न यह है····

श्री अध्यक्ष : इस पर बहस नहीं होगी।

श्री मुरलीधर व्यास : एक प्रश्न है, इस लीकेज के बारे में····

श्री अध्यक्ष : Order please ! इस पर बहस नहीं होगी।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं बहस नहीं करता हूँ। एक बात पूछना चाहता हूँ····

श्री अध्यक्ष : किससे पूछना चाहते हैं ?

श्री मुरलीधर व्यास : लीकेज के बारे में।

श्री अध्यक्ष : उस पर व्यवस्था दे दी है। उस पर बहस नहीं होगी।

श्री मुरलीधर व्यास : एक बात कहना चाहता हूँ लीकेज के बारे में। मैं ऐसा समझता हूँ कि ३० तारीख को घोषणा की टैक्स बढ़ाने की और टैक्स बढ़ाने के बाद जब १ तारीख को नोटीफिकेशन निकाला है, तो इतने समय पहले घोषणा करने से लीकेज हो गया।

श्री अध्यक्ष : इसके ऊपर व्यवस्था दे दी गई है। उसको आप ठीक तरह से सुनते तो सारी बातें स्पष्ट हो जाती।

विधायी कार्य।

श्री मुरलीधर व्यास : जो प्रस्ताव रखा है, उस पर आपने निर्णय दे दिया है उस निर्णय पर भैरोंसिंहजी ने कहा है कि गलती की है ऐसा आप महसूस करते हैं तो फिर डिसमिस करने की मांग है। यह एक अहम् सवाल है, इस पर विचार होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : Order please ! इसपर बहस नहीं होगी, मैंने आपसे निवेदन कर दिया है। आपको एक मिनट बोलने दिया तो आप बोलने लग गये।

श्री मुरलीधर व्यास : यह रखा है····

श्री अध्यक्ष : आप दूसरों की तरफदारी क्यों करते हैं ? उन्होंने जो कहा, उसका मैंने उत्तर दे दिया, उस पर व्यवस्था दे दी।

श्री मुरलीधर व्यास : कोई ऐसा अहम् सवाल हो तो मांग कर सकते हैं····

श्री अध्यक्ष : Order Pleese ! अहम् सवालों के लिए नियम हैं और नियमों के अन्तर्गत अहम् सवाल कब होने चाहिए, किस प्रकार से ऐसे प्रश्न उठाये जाने चाहिए, यह है। नियमों के अलावा यह प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं निवेदन कर रहा हूँ कि अहम् प्रश्न यह है कि····

श्री अध्यक्ष : Order please ! कृपया स्थान ग्रहण करें। Order ! Order !! Order !!!

(विराम)

(१२. ४. म. प.)

Legislative Business.

राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १९६२

(विचार-विमर्श)

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान टीनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १९६२ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : Motion moved. Shri Krishna Kumar Goyal.

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर राजस्थान टीनेन्सी एक्ट १५ अक्टूबर, १९५५ से लागू हुआ। इससे पहले राजस्थान के भिन्न भिन्न हिस्सों में जो राज्यों के द्वारा बनाये हुए कानून थे जमीन के सम्बन्ध में, वे ही लागू थे। उसके उपरांत यह महसूस किया गया कि सम्पूर्ण राजस्थान के अन्दर जमीन के सम्बन्ध में, रेवेन्यू के सम्बन्ध में एक युनिफाइड लॉ बनाया जाय और साथ ही साथ यह महसूस किया गया कि "Land to the tiller"–जो जमीन को काश्त करे, वही जमीन का मालिक हो। इन बातों को महसूस करके राजस्थान टीनेन्सी एक्ट, १९५५, से लागू किया गया। जहां तक इस एक्ट का सम्बन्ध है, मैं समझता हूँ कि इस एक्ट की धारा १५ और धारा १९–दो क्रांतिकारी धारायें हैं, जो

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

कि हमारी यह नीति है कि जमीन का वास्तविक मालिक वही हो जो जमीन को जोतता है, उस तरफ ये दो धारायें-धारा १५ व १६ आगे कदम रखती हैं। लेकिन जब से राजस्थान टीनेन्सी एक्ट आया है, इन दोनों धाराओं धारा १५ व धारा १६ के अन्दर जितने संशोधन हुए हैं, मैं सोचता हूँ कि शायद ही इतने अधिक संशोधन किसी अन्य धारा के अन्दर हुए हों। आज का काश्तकार, जिसको हम समाजवाद की व्यवस्था की नींव कहते हैं, जिस जमीन को काश्त करता हैं उस जमीन का असली मालिक वही है। उस काश्तकार की उलझनें इन धाराओं में दिन प्रति दिन संशोधन होने के कारण बढ़ी हैं और उसको आज अपनी स्थिति मालूम नहीं है कि वास्तव में जमीन पर उसका अधिकार किस प्रकार का है और जो अधिकार कानून के द्वारा दिया गया है, उस अधिकार को वह किस प्रकार किस महकमे में जाकर प्राप्त कर सकता है। अभी अभी जो नया बिल लाया गया है और इस नये बिल के द्वारा जो संशोधन चाहा गया है, इन क्लॉजेज के अन्तर्गत, उन पर ध्यान दिलाते हुए और इसमें समय समय पर, भिन्न भिन्न समय में संशोधन किये गये हैं, उन पर ध्यान दिलाते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसा प्रतीत होता है कि एक ओर हम उस टीनेन्ट को कुछ अधिकार देना चाहते हैं और इस बात के आधार पर कि वह जमीन पर काबिज है, जमीन पर उसने पसीना लगाया है, खून बहाया है, उस जमीन को किसी तरह ठीक बनाया है और वास्तव में हल को हाथ में रखा है इसलिए जमीन का मालिक वही है। दूसरी ओर समय समय पर उस पर अंकुश लगाये हैं, चाहे वे अंकुश चम्बल योजना के नाम से हो, चाहे वे अंकुश भाखरा योजना के नाम से हों या किसी अन्य योजना के नाम से हों, काश्तकारों पर अंकुश लगाया है। इसके विपरीत दूसरे काश्तकार हैं, जिनको सरकार ने किन्हीं नियमों के द्वारा जमीन अलॉट की है, जिनको जमीन बेची है, जिनके पास पैसा था उन्होंने जमीन खरीदी है, जिनके पास सिफारिशें थीं, एप्रोच थी उन्होंने जमीन का अलॉटमेंट करवा लिया है और उनको खातेदारी अधिकार आप दे रहे हैं। लेकिन वे काश्तकार जिनको वास्तव में जमीन के मालिक बनाने चाहिये उनको हम अधिकार नहीं देकर उनको उनके हकों से महरूम रखते हैं। जो संशोधन लाया गया है वह १५-ए में लाया गया है। उसमें इस प्रकार का प्रोविजन रखा गया है :

"Provided thet nothing in sub-section (1) shall affect or apply to any person to whom khatedari rights shall accrue in accordance with the provisions of the Rajasthan Colonisation (General Colony) Conditions, 1955 or any other Statement of conditions or Rules of Allotment and Sale of Government lands made in exercise of the power conferred by section 7 of the Rajasthan Colonisation Act, 1954 (Rajasthan Act 27 of 1954) or the Rules for allotment of lands for khudkasht in the Rajasthan Canal area made under the Rajasthan Rand Reforms and Resumption of Jagirs Act, 1952 (Rajasthan Act 6 of 1952)."

तो यह जो संशोधन लाया गया है और

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

इसकी जो स्पष्ट मंशा है वह इस प्रकार की प्रतीत होती है कि जो भिन्न भिन्न रूल्स बनाये गये हैं, जो भिन्न भिन्न नियम कोलोनाइजेशन के लिये बनाये गये हैं वहां जिन व्यक्तियों को जमीन बेचान की गई है या एलॉट की गई है उनको इस धारा १५ का फायदा हुआ है वह नहीं हो जावे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो काश्तकार वास्तव में जमीन पर काबिज़ हैं, जिनका कब्जा है उनको खातेदारी राइट से महरूम रखा है। मेरी समझ में नहीं आता कि इसको लाने की क्या जरूरत है ? चम्बल एरिया में आते हैं वे टेम्परेरी हैं। लेकिन बाद में जिनको जमीनों का अधिकार दिया है चाहे बेच कर या किसी तरह से भी उनको खातेदारी राइट देते हैं, यह उचित मालूम नहीं होता है। मैं यह निवेदन करूंगा कि धारा १५ बी और धारा १५ में इस प्रकार का प्रावधान मौजूद है कि उनको ध्यान से देखें तो आपको इस संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होगी। जो अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में अधिकार उनको मिल चुके हैं उसकी जानकारी समस्त अधिकारियों को दें और वास्तव में जिनको अधिकार मिल चुके हैं और जिनका जमीन पर कब्जा है वास्तव में उनको खातेदारी राईट मिल सकते हैं।

अब इससे पूर्व जो संशोधन हुए हैं उनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आरम्भ में धारा १५ थी उसमें कोई भी टीनेन्ट, any tenant or sub tenant of Khudkasht...इससे पूर्व था, उसको खातेदारी राइट मिलते। चम्बल और भाखरा के क्षेत्र हैं उनमें अधिकार नहीं दिये और वहां के लोगों को जो जमीन पर काबिज हैं उनको टेम्परेरी माना। इसके बाद कई संशोधन आये। यह संशोधन राजस्थान एक्ट नं० ५ ऑफ ५७ है। इसमें संशोधन किया और इसमें जो क्लॉज़ बढ़ाया गया वह सब-क्लॉज़ (२) है और मैं आपका ध्यान उस ओर दिलाना चाहूंगा :

"Notwithstanding anything contained in sub-section (1), khatedari rights shall not accrue thereunder to any person to whom land had deen let out before the commencment of this Act by the State Government in furtherance of the 'Grow more Food Campaign' or under some special order or subject to some specified conditions or in pursuance of some statutory or non-statutory rules and who shall have before such commencement, made a default in securing the objective of such campaign or a breach of any such order, condition or rule." यह एक धारा बढ़ायी गयी है। इसके अन्दर जिन व्यक्तियों को ग्रो मोर फूड कम्पेन या अन्य ऑर्डर या कन्डीशन के अन्तर्गत जमीनें दी गई उनको इसका फायदा नहीं मिलेगा। उसमें आगे जाकर लिखा है: "Any person referred to in sub-section (2)" जो मैंने अभी आपको पढ़ कर सुनाया था "may within three years from the date of the commencement of this Act and on payment of a Court fee of twenty five naye paise apply to the Assistant Collector having jurisdiction praying for a declaration

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

that he acquired khatedari rights under sub-sec. (1) in the land held by him.'' तो मैं यह निवेदन करूंगा कि जो आज प्रोविज़न लगाया गया है इस बिल के द्वारा उसकी मंशा क्या है, यदि इन शब्दों को पढ़ें तो वह मंशा पूरी हो जावेगी । यदि वास्तव में किन्हीं को रूल्स के तहत जमीन एलॉट की गई है और वे इन मंशाओं को पूरा करते तो उनको इस धारा के तहत अधिकार है कि वे एप्लीकेशन दे करके, यह बता कर कि वास्तव में उन्होंने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, जमीन उनके अधिकार में है, तो खातेदारी राइट उनको मिल सकता है । ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ वेस्टेड इन्ट्रेस्ट वाले लोग इसमें रखते हैं और जिन्होंने किसी न किसी तरह से जमीन ले ली है उनको अदालत की शरण में जाने से बचाने और खर्चे से बचाने के लिये यह संशोधन लाया जा रहा है, उनको अदालत में जाने और खर्चे से बचाने के लिये यह किया जा रहा है । अच्छा होता कि इस प्रकार का प्रयास उन काश्तकारों के लिये, उन टीनेन्टों के लिये जो उस जमीन पर काबिज हैं, जिन्होंने खून का पसीना करके और खून-पसीना एक करके बहाया है उनको मालिकाना अधिकार मिलते । ऐसा संशोधन यहां आता तो उचित था । जो पहले वास्तव में जमीन के मालिक हैं उनको यह मालूम नहीं कि क्या खर्चा होता है । यदि सदन में आंकड़े लाये जाते हैं, उसमें मुझे विश्वास नहीं होता । आप मालूम करें और देखें कि दफा १५ में कितने काश्तकारों ने फायदा उठाया । वे काश्तकार जो झूठे नम्बरदार काश्तकार हैं जिनको अधिकार नहीं है वे असली काश्तकारों को दबा कर जो वास्तव में भूमि के मालिक हैं, उनकी जमीन हड़प कर लेते हैं क्योंकि काश्तकार गरीब होते हैं और उनके पास पैसा नहीं होता । दूसरे लोग जो उन गरीब काश्तकारों की जमीन पर काबिज बन बैठते हैं उनके पास पैसा होता है । वे हाईकोर्ट में जा सकते हैं । यह संशोधन उन लोगों के लिये लाया गया है जिन्होंने गलत तरीके से जमीन हथियाली है ।

मैं यह निवेदन करूंगा कि धारा १५ जो पुराने में बन चुकी है तो उसके द्वारा यह मंशा पूरी हो सकती है । १५ ए किसी और योजना के लिये और १५ बी किसी और योजना के लिये बनाई गई है । वेस्टेड इन्ट्रेस्ट के लोगों को दफा १५ का फायदा आराम मे मिल जावेगा ।

इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जो संशोधन लाया गया है उसको सदन के समक्ष न लाकर सलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जावे ताकि वहां पर इस पर विचार हो और लैंण्ड फोर टिलर्स रहे । सीलिंग हमारे यहां अमल में आने वाला है और जो कम्पलीकेसीज हमारे सामने इससे आने वाली हैं उनको सही रूप से सदन के सामने लावें ताकि समय समय पर हमें कुछ परिवर्तन नहीं करना पड़े और हम यह नहीं चाहते कि समय समय पर हम कुछ कानून में परिवर्तन करें ।

मैं यह कहूंगा कि यह टीनेन्सी बिल है यह उत्तर प्रदेश के टीनेन्सी एक्ट की नकल है और राजस्थान और उत्तर प्रदेश की स्थिति

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

में बहुत अन्तर है । राजस्थान की स्थिति उत्तर प्रदेश की स्थिति से भिन्न है । राजस्थान के मुकाबले में उत्तर प्रदेश के काश्तकार बहुत खुश हैं। आज राजस्थान का काश्तकार बहुत पिछड़ा हुआ है। राजस्थान का काश्तकार गरीब है, वह अनपढ़ है, बिना पढ़ा लिखा है, उसको समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिये । उसके लिये इस प्रकार का प्रयास किया जावे कि जिससे जल्दी से जल्दी फायदा उठा सके ।

इसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, एक संशोधन धारा १९ में लाया गया है । मैं यह निवेदन करूंगा कि इसमें उन लोगों को फायदा मिलता है जो धारा १५ में फायदे से वंचित रह जाते हैं और वे अपने अपने खातेदारी राइट्स प्राप्त कर सकते हैं । मगर जिनको १५ दफा में फायदा नहीं मिलता है वे ६ महीनों में या तीन महीनों की जो टाइम लिमिट रखी है उसमें एप्लीकेशन देकर उसको हासिल कर सकते हैं। मैं यह कहूँगा कि टाइम लिमिट ६ महीने से और आगे बढ़ा कर ३ वर्ष की है, इस टाइम लिमिट के बढ़ाने का मैं विरोध करता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उस काश्तकार को जिसको कि हम अधिकार देने जा रहे हैं, मालिक बनाने वाले हैं उस काश्तकार पर इस प्रकार के लिमिटेशन्स लगा दें कि ३ साल, २ साल, या ६ महीने के अन्दर अन्दर दर्ख्वास्त दे दे तो यह अनुचित है। राजस्थान की परिस्थितियों को देखते हुए और राजस्थान के किसान की मजबूरियों को देखते हुए जब कि हम जानते हैं कि आज का किसान भोलाभाला अनपढ है वह कोई भी दर्ख्वाश्त लिखायेगा तो उसको उसके लिए वकील के पास जाना पड़ता है। तो इस प्रकार तीन साल की मियाद बांधना चाहते हैं वह नहीं बांधी जाय। किसान के लिए हमेशा इस प्रकार का रास्ता खुला रखा जाय कि जब भी उसको मालूम हो, जब उसके पास पैसा हो, तभी वह अदालत में जाय, वहां दर्ख्वास्त देकर अधिकार प्राप्त कर ले ।

धारा १९ में पहले संशोधन किया गया है उसके कारण बड़ी दिक्कत किसान के लिए पैदा हुई है। राजस्थान टीनेन्सी (अमेंडमेंट) एक्ट, १९६१ के द्वारा धारा १९ का संशोधन किया गया है। और उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कि आज काश्तकार जो मालदारों से परेशान है वह अदालतों के दरवाजे खटखटाते खटखटाते परेशान हो गया है। धारा १९ के तहत इस प्रकार की दर्ख्वास्त देकर वह जो अधिकार प्राप्त करना चाहता है इस प्रकार के संशोधन के कारण उसकी दर्ख्वास्तें धड़ाधड़ नामंजूर हो रही हैं । वह संशोधन इस प्रकार है :

"Subject to the exceptions contained in the proviso to sub-section (1) every person referred to in that sub-section shall, as from the date of commencement of the Rajasthan Tenancy (Amendment) Act, 1961 hereafter in this chapter referred to as the 'Appointed day' become, subject to the other provision contained in this Chapter, the khatedar tenant of that part

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

of the land held by him in which he has not acquired khatedari rights under sub-section (1), if before the appointed day......

यह जो क्लॉज है आगे इसके कारण दिक्कत हो गई है ।

"No proceeding for his ejectment under clause (a) or clause (d) of sub-section (1) of section 180 shall have been started within the time limit prescribed by section 182 A or if on that day no such proceeding previously started might have been pending."

अब यह जो क्लॉज जोड़ा गया इसके कारण उस व्यक्ति ने दर्ख्वास्त दी तो जो पैसे-वाला है, शरमायेदार है, जिसका कभी उस जमीन से सम्बन्ध नहीं रहा, वह अपने दम्भ के ऊपर धारा १८० के तहत कार्यवाही करे तो उसका मुकदमा खारिज हो जायेगा । इस क्लॉज के आने के कारण ऐसे काश्तकारों की दर्ख्वास्तें खारिज कर दी गई, वे लोग अपने अधिकारों से वंचित कर दिए गए । यह जो संशोधन किया गया वह अदूरदर्शितापूर्ण किया गया । १८० ऐसी धारा है टीनेन्सी एक्ट में जिसका सीधा सम्बन्ध धारा १५ और धारा १६ से है । १५ और १६ में जो अधिकार काश्तकार को दिए गए हैं वे अधिकार १८० में जो कन्डीशन्स दी गई हैं उनके आधार पर पूरे खत्म हो जाते हैं । यह ऐसा क्लॉज है जिसके कारण उन काश्तकारों को बेदखल किया जा सकता है, वेस्टेड इन्ट्रेस्ट धारा १८० के आधार पर कार्यवाही कर लेते हैं, जिनको कोई अधिकार नहीं १८० के आधार पर धारा १५ और धारा १६ में जो अधिकार दिए गए हैं उनको खत्म करा सकता है । यह संशोधन सदन के समक्ष आया है, मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय, कि हम इस पर संशोधन लायें, बहस करें इससे पहले इस संशोधन विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो ७ दिन के अन्दर अपनी रिपोर्ट पेश करे । जो संशोधन भिन्न भिन्न माननीय सदस्यों द्वारा रखे गये हैं उनकी मंशा भी यही है कि उसी काश्तकार को जमीन पर अधिकार मिलना चाहिए । जिसने अपना खून पसीना उस जमीन पर बहाया है ।

अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ताकि जितने कॉम्प्लीकेशन्स भिन्न भिन्न अमेंडमेंट्स से आये हैं उन पर विचार किया जाकर सुधारा जा सके ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान टीनेन्सी एक्ट जब से राजस्थान में प्रभावपूर्ण हुआ उसके पश्चात् यह तो निर्विवाद सत्य है कि इसमें कई तरमीमें आईं और जहां तक मैं समझता हूँ इतनी तरमीमें आई हैं कि यदि उनका ब्योरा दिया जाय तो वह बहुत बड़ी तादाद में बढ़ जाता है । एक कानून, वह भी ऐसा कानून जो राजस्थान की आय पर बहुत कुछ प्रभाव रखता है, बल्कि यह देखा जाय कि भारतवर्ष जैसा कृषि प्रधान देश जिसमें बहुत ज्यादा काश्तकारों की प्रधानता है । उन काश्तकारों से सम्बन्धित कानून अठवाड़े में बदलता हो तो उसकी महानता कितनी रहेगी,

(श्री दुर्गालाल बाढदार)

यह विचारणीय प्रश्न है। आज फिर इस कानून में हम संशोधन कर रहे हैं। मैं भी यह चाहता था कि जो भी कानून बनायें इतना सोच समझ कर बनाया जाय और जो स्टेप्स लेते हैं ऐसे सोच कर लें कि अनावश्यक परिस्थिति देश काल की परिस्थिति को छोड़ कर किसी व्यक्ति के स्वार्थों के अनुसार कानून को बदलते रहें, ऐसी भावना कानून बनाने में नहीं रहनी चाहिये। कानून लोहे की लकीर के माफिक होना चाहिये और सही इन्टर-प्रिटेशन्स होने चाहिये। मेरी भी यह भावना है कि इस बिल को सलेक्ट कमेटी के सामने रख दें और वहां इस पर पूर्ण रूप से विचार किया जाय और पूर्णरूप से विचार किये जाने के बाद ही इसे सदन के सामने रखा जाना चाहिये ताकि सही तरीके से यह कानून बन सके।

मसलन हमारे राजस्थान का टीनेन्सी एक्ट पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकता कि यू० पी० के टीनेन्सी एक्ट की नकल है, पर हां, इस पर यू. पी. के टीनेन्सी एक्ट का प्रभाव है। बहुत से प्रावधान जो यू. पी. टीनेन्सी एक्ट में हैं वही इस राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में रखने की कोशिश की गई है। पर बड़ी भिन्नताएं हैं दोनों जगहों की परिस्थितियों में। यू. पी. में किसी समय आगरा टीनेन्सी एक्ट था, किसी समय अवध टीनेन्सी एक्ट था। उन दोनों कानूनों को मिला कर बहुत समय पहले दोनों कानूनों का समन्वय करने के बाद कन्सोलिडेटेड फॉर्म में यू. पी. का टीनेन्सी एक्ट हमारे सामने आया। उस यू. पी. के टीनेन्सी एक्ट में तरमीमें हुईं, पर उतनी बहुतायत से नहीं हुई हैं जिस तरह कि हमारे यहां हर आठवें दिन तरमीमें करनी पड़ती हैं।

मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ कि जहां कानून की व्यवस्था होती है तो खयाल सब का रखना होगा। यदि कोई आदमी गरीब है या पैसे वाला है, जागीरदार है या अमीर है, कानून यह नहीं जानता, कानून तो व्यवस्था देना जानता है। तो हमें कानून ऐसा बनाना पड़ेगा कि अनुचित रूप से किसी पर प्रभाव नहीं डाल सकें। जिस कानून को हम बनायें ऐसा कानून हो कि उस कानून के अन्दर बार बार तब्दीली नहीं करनी पड़े, तरमीम नहीं करनी पड़े।

दफा १५ ऐसी है जिसमें कई तरमीमें आई हैं, दफा १६ ऐसी है जिसमें कई तरमीमें आई हैं। दफा १५ के अन्दर राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की यह मंशा थी कि every person, person who is a tenant of land otherwise than as a sub-tenant or a tenant of Khudkasht or who is after the commencement of this Act admitted as a tenant otherwise than as a sud-tenant or a tenant of Khudkasht shall be a Khatedar tenant.

I am reading the sum and substance of the Clause, Mr. Speaker.

अब अर्ज करना यह है कि जहां तक यह सेक्शन है, साफ है; इसको मुलाहिजा फरमा लीजिये। एक तरह राइट एक्रू होता है कि वह otherwise than as a tenant or sub-tenant उस जमीन के ओक्युपेशन पर था तो ओटोमैटिकली प्रिज्यूम किया जायगा कि वह खातेदार काश्तकार उस जमीन पर था।

Page No. 30

(श्री दुर्गालाल बादशाह)

आफ्टर कमिंग इन्टू फोर्स ऑफ दी एक्ट अगर उसको एडमिट किया है एज ए टीनेन्ट अदरवाइज सबटिनेन्ट ऑफ खुद काश्त तो यह प्रिज्यूम किया जावेगा कि वह खातेदार काश्तकार है और खातेदारी राइट्स दफा १५ के तहत उसको एक्रू हो जाते हैं। लेकिन दफा १६ दूसरी आती है और उससे इस प्रकार की पेचीदगियां पैदा कर दी गई हैं। वह यह कहती है कि जिस वक्त राजस्थान टीनेन्सी एक्ट अमेन्डमेन्ट फोर्स में आया था उसी दिन से कोई व्यक्ति एन्युअल रजिस्टर में एज टीनेन्ट रजिस्टर था तो ओटोमेटिकली खातेदार हो जावेगा। यह तरमीम दफा १६ में की है। यह एक बड़ा गम्भीर प्रश्न हो जाता है। जहाँ तक इन्तखाब गिरदावरी में इन्तकाल का सवाल है यह एक प्रमाणित बात है कि यदि कोई व्यक्ति काश्त करता है तो उस व्यक्ति को इन्तखाब रजिस्टर में दर्ज कर दिया जाता है। वह काबिज है उस जमीन पर, खेती करता है और फसल बोता है। लेकिन उसका स्टेटस क्या है? इन्तखाब गिरदावरी का जहां तक सवाल है वह इस सम्बन्ध में साइलेन्ट है। उस काश्तकार ने इस वर्ष काश्त की है, उसका स्टेटस क्या है, यह उसमें कुछ नहीं है। दफा केवल मात्र यह कहती है कि किसी निश्चित तिथि को, किसी निश्चित मिति को एन्युअल रजिस्टर में एन्ट्री है। तो उस काश्तकार को खातेदारी राइट्स एक्रू हो जावेंगे और सब्सीक्वेन्ट पीरियड के लिए उसको खातेदारी राइट्स मिल जावेंगे। इस दफा से पेचीदगियां और व्यक्तिगत रूप से कठिनाइयां सामने आई हैं। यह दूसरा प्रश्न है। इन सारे प्रश्नों का सही रूप में निर्णय हो, इनसे जो कॉम्प्लिकेशन्स खड़े हो गये हैं उनका इलाज कर सकें और इस प्रकार के कॉम्प्लिकेशन्स न आवें, एन्युअल रजिस्टर में जिसको इन्तखाब गिरदावरी कह सकते हैं उसमें विशेष रूप से एन्ट्री करने का प्रोविज़न किया जाय, जिससे यह मालूम कर सकें कि कौन ट्रेसपासर है अथवा उसका स्टेटस क्या है। इन प्रश्नों पर विचार करना चाहिये। लेकिन यहां पर विचार करने का प्रश्न नहीं आता है। निर्णय हो जाता है, राजस्व बोर्ड से जजमैन्ट हो जाते हैं आपको कई कोन्फिलक्टिंग जजमैंट्स मिल जावेंगे। सेक्शन १६ के अन्तर्गत जजमैन्ट्स हुए हैं। काफी समय बीत गया है। मैं आपको मेरी जानकारी के अनुसार कह सकता हूँ कि एफर्मेटिव जजमैन्ट हैं ओटोमेटिकली खातेदार काश्तकार हो जाता है, तीन वर्ष गिरदावरी में नाम रहा तो। बहुत से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें इस प्रकार की कन्ट्रोवर्सी है, बिना काश्तकार को नोटिस दिये ही तहसीलदार ने या गिरदावर ने रेकॉर्ड चेन्ज कर दिया। काश्तकार को कोई इसका पता नहीं लगता। लगान जमा कराने जब वह जाता है तो उसको मालूम होता है कि उसका नाम ही नहीं है। एक तरफ तो मंशा इसकी यह लगाई जाती है बिना नोटिस दिये, राजस्थान लैंड रेवेन्यू में राइट्स रखे गये हैं : All entries in it shall be presumed to be correct unless contrary is proved. एक तरफ तो इतना बड़ा प्रिज़म्प्शन लेकर चलते हैं लैंड रेवेन्यू के प्रावधान के तहत, किसी कानून के प्रोविजन के तहत और दूसरी तरफ जिनाइननेस की तसल्ली किये बगैर जो एन्ट्री हुई है उसके लिए नोटिस नहीं देते हैं कि पर्टिक्युलर आदमी तीन वर्ष से

(श्री दुर्गालाल बाढदार)

काबिज है और उसको खातेदारी राइट्स एक्र हो गये हैं। तुम क्या हो ? उसको कोई नोटिस नहीं दिया जाता। प्रोसिजर ऑफ जस्टिस के यह दफा बिल्कुल खिलाफ है। बहुत से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स मिलेंगे जिनके बारे में एन्क्वायरी की जाती है। फिर मैं अध्यक्ष महोदय, सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा कि टिनेन्सी एक्ट सेल्फ कन्टेन्ड एक्ट नहीं रखा है। बहुत से प्रोविजन्स के अनुसार यह एक सबस्टेन्सिव लॉ भी है और बहुत से प्रोविजन्स के अनुसार इसको एक प्रोसिजरल लॉ भी कह सकते हैं। कुछ दफायें ऐसी हैं कि एक तरफ सबस्टेन्टिव लॉ हम देखते हैं और दूसरी तरफ उनमें सेल्फ कन्टेन्ड प्रोसिजर भी दिया हुआ है। केवल जाब्ता भुगता दिया गया। नियम में आये तो बहुत अच्छा। अगर नियम में नहीं आते हैं तो तशरीफ रखिये, कोई सुननेवाला नहीं। जहां सेल्फ कन्टेन्ड प्रोसिजर हैं इस टीनेन्सी एक्ट में उन पर विचार करना पड़ेगा। यदि नेचुरल प्रोसिजर करना चाहते हैं तो ऐसा प्रोसिजर देना चाहिये कि जिससे शिड्युल के तहत काश्तकार एप्लीकेशन्स दे सकता है। जवाब यह दिया जाता है कि जहां प्रोसिजरल लॉ साइलेन्स हो तो जनरल प्रोसिजरल लॉ लागू कर दीजिये। इसके लिए किस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन देंगे, कौनसी अदालत होगी, लिमिटेशन्स क्या होंगे ? आखिर कितने जनरल प्रोसिजरल रूल्स को लेकर काश्तकार को राहत दे सकते हैं; यह विचार करना है। मेरे निवेदन करने का मकसद यह है कि ये जो कॉम्प्लीकेशन्स हैं और आपत्तियां जो कानून में हमारे सामने आती हैं वे न आवें। मैं तो यहां तक कहने के लिए तैयार हूँ, रुष्ट होने की कोई बात नहीं सत्य बात को प्रकट कर देना चाहिये जितनी तरमीमात कानून में करते हैं तो जनता यह जरूर कहेगी कि जो कानून बनाने वाले बैठते हैं उनको कानून बनाने का तरीका नहीं आता है, उनको कानून बनाने का तजुर्बा नहीं है या वे नाकाबिल हैं कि हर बार उनको तब्दिली उनमें करनी पड़ती है। यह मौका हमको सुनने को मिलता है। आप लोगों को इस पर विचार करना चाहिये जिससे ऐसा मौका न मिले और कानून बनाने से पहले उस पर खूब सोच विचार कर लें। यह सजेशन अच्छा है, सलेक्ट कमेटी कॉम्पिटेन्ट पर्सन्स की कमेटी होती है जो कानून में दखल रखते है, थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, जो अपने अनुभव और अपने विचारों को रख सकते हैं ताकि उन पर विचार कर सकें और उससे शायद किसी नतीजे पर पहुँच सकें कि कानून कन्सोलिडेटेड कानून के रूप में हो, न्याय की दृष्टि से राहत दी जा सकती है। ऐसे कानून की राजस्थान में आवश्यकता है और फिर अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि यह एक उत्तम सुझाव है। जो प्रेक्टिकल और प्रोसिजरल डिफिकल्टीज़ हमारे सामने आती हैं उन पर विचार कर सकते हैं और व्यवस्थित रूप में कानून जनता के सामने रख सकते हैं जिससे बार बार कठिनाइयां काश्तकारों को, जागीरदारों को और जो मगजमारी उन वकीलों को जिनको परेशानी उठानी पड़ती है नहीं होगी। यहां तक मुझे अनुभव इस कानून में आयी तरमीमों से है कि डाक का हलकारा है "पौश्त का पौश्त ९ दिन चले ढाई कोस"। लोग जानते नहीं और फैसला उनके विपरीत कर देते हैं। छः महीने नीचे चला गया। तरमीमात आ गई, फैसला हो

(श्री दुर्गालाल बाढदार)

गया था, सारा फ़ैसला सेट असाइड हो जाता है। इस प्रकार की कई पेचिदगियां और दिक्कतें आती हैं उनसे बच सकते हैं। कानून ठीक तरह से बनना चाहिये। इसलिए सलेक्ट कमेटी के सामने ऐसे इम्पोर्टेन्ट लेजिस्लेशन जरूर जाने चाहिये और उसकी ओपिनियन आनी चाहिये। इस पर विचार करना चाहिये।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सदन के सामने है वह बहुत स्पष्ट है। इस टीनेन्सी एक्ट के अन्दर जो भी संशोधन प्रस्तुत किए गए है उनसे यह साफ जाहिर होता है कि यह टीनेन्सी एक्ट जो लेजिस्लेचर द्वारा पास किया हुआ है उसमें जितने संशोधन आवश्यकतानुसार आये हैं इस तरह का शायद ही कोई दूसरा अहम कानून होगा जिसमें इस प्रकार के संशोधन आये हों। अब प्रश्न उठता है जैसा कि प्रस्ताव हमारे समक्ष है उसके अनुसार यह सलेक्ट कमेटी में भेजा जाय ताकि वहां पर मौजूदा संशोधनों पर भी विचार हो सके और जो नये संशोधन आवश्यक हो वे भी किए जा सकें और उन सब पर विचार कर उन सब को एकत्रित करके एक संशोधित कानून टीनेन्सी का सदन के सामने लाया जाय। कहा जा सकता है कि यह टीनेन्सी एक्ट भी सदन के द्वारा विचार करके सलेक्ट कमेटी द्वारा अनुमोदित होने के बाद ही पास किया गया है, लेकिन आज सातवें वर्ष इस कानून के पास होने के बाद भी यह अनुभव बतलाता है कि सलेक्ट कमेटी द्वारा विचार किया हुआ और सदन द्वारा पास किया हुआ कानून जो है उसके अन्दर भी सरकारी पक्ष की ओर से जहां आवश्यकता पड़ती है हर जगह पर हर सेक्शन के अन्दर एक मर्तबा नहीं, दो, दो बार संशोधन पेश करने की आवश्यकता पड़ जाती है। कई ऐसी धाराएं भी हो सकती हैं जिनमें किसी अदालत द्वारा रेवेन्यू बोर्ड द्वारा या हाई कोर्ट द्वारा फैसला हो जाता है उसके बाद फौरन संशोधन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। साथ ही कभी कभी मियाद का सवाल भी आता है। उसमें भी संशोधन पास कर देते हैं। नियम बनाने चाहिए, नियम नहीं बनते, उसको एक्सटेंड करने के लिए संशोधन करना पड़ जाता है। आपके सामने सेक्शनस १५ व १९ के मुतल्लिक दलील दी गई। मैं इसके अलावा एक बात और आपके सामने रखूं। सेक्शन १९ के अन्दर एन्युअल रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है। उसके तहत में यह आज तक नहीं बतलाया गया है कि इसमें ट्रेसपासर भी इन्क्लूडेड है या नहीं। सवाल यह आता है जब एक साल, दो साल तक एन्युअल रजिस्टर में एज ए ट्रेसपासर एन्टर हो गया उस हालत में केसेज चल रहे हैं! ऐसे कई केसेज हैं १०—१५ सूट्स पर इजेक्टमेंट चल रहा है। दूसरे डिपेन्डेन्ट्स एन्युअल रजिस्टर में एन्टर्ड हैं एज ए सब-टीनेन्ट। जहां तक इसके इन्टरप्रेटेशन का सवाल आता है जिन्होंने इसको ड्राफ्ट किया है, इस पर विचार किया है उन सब की इज्जत करता हुआ यह अर्ज करूंगा कि सात वर्ष का अनुभव बतलाता है कि इस अहम कानून के अन्दर आवश्यकता है दुबारा इस पर सलेक्ट कमेटी के अन्दर विचार हो।

इसी तरह आपके सामने मैं मिसाल के तौर पर रखना चाहता हूँ सेक्शन १२५ के अन्दर एक सवाल हाल ही में पैदा हुआ था

(श्री मुथरेशबिहारी माथुर)

इसके बारे में एक रुलिंग हुई है कि यह एस.-डी. ओ. का जुरिस्डिक्शन है जब कि नहीं है कलेक्टर का जुरिस्डिक्शन है ....

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : लैन्ड रेवेन्यू एक्ट में है टीनेन्सी एक्ट में नहीं ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : रेवेन्यू लॉज के तहत में दिक्कत आ जाती है, फिर एक सर्कु-लर निकालना पड़ता है, जैसा कि इसके तहत में निकालना पड़ा । सेक्शन १८ के तहत में स्केटर्ड ट्रीज के इन्टरप्रिटेशन के बारे में बड़ी भारी प्रोब्लेम हो गई है । बहुत से गांवों के अन्दर अध्यक्ष महोदय, दरख्त मुख्तलिफ जगहों के अन्दर हैं । जहां ये पेड़ इन्डिवि-ज्युअल प्रोपर्टी के तरीके से आती हैं गांव गांव में हजारों दरख्त इस तरह के हैं जहां सेक्शन ८०के अन्दर यह ओक्यूपेन्ट्स के लिए दे दी । जमीन का पर्चा किसी के नाम का है और आम के पेड़ों का उपयोग दूसरे ही करते हैं । ये रहन और बय तक होते हैं । सेक्शन ८० के तहत जो काबिज हैं वे इन्हें भी हड़पना चाहते हैं । इस तरह एक मामला नहीं हजारों मामले हैं और हजारों लोगों पर इसका असर पड़ता है । इसलिए मैं यह अर्ज करूंगा वाकई इतने सेक्शन्स १५, १६ और १८० के तहत में जो संशोधन सरकारी पक्ष की ओर से रखे गये हैं हाई कोर्ट और रेवेन्यू बोर्ड के फैसले के आधार पर ये संशोधन आये हैं । धारा १८० पर भी संशोधन आया है । वह भी यह बतलाता है कि इस पर आवश्यकता है कि इस पर विचार किया जाय और उन सारे अमेंडमेंन्टस पर भी जो माननीय सदस्यों द्वारा रखे गये हैं और सरकारी पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं उनके ऊपर सलेक्ट कमेटी द्वारा विचार हो । उसके बाद यह हाउस में आये तो निकट भविष्य में इस प्रकार के और अमेन्डमेंटस करने की आवश्यकता नहीं रहे । इससे सदन का समय भी बचेगा और जनता को सुविधा होगी । इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि सलेक्ट कमेटी में भेजने के इस प्रस्ताव को एक राय से पास करना चाहिए ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, इस बिल को जो सलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने का प्रस्ताव आया है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

श्री अध्यक्ष : इस स्टेज पर आप इस मोशन पर भी बोल सकते हैं और जनरल प्रिन्सिपल्स पर भी बोल सकते हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल: मौजूदा टीनेन्सी एक्ट में संशोधन करने के लिए सरकारी पक्ष की ओर से जो संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं उनके अनुसार धारा १५ ए १६,२० और १८० में संशोधन का सुझाव दिया गया है । मैं समझता हूं कि टीनेन्सी एक्ट की ये सब धाराएं बहुत महत्वपूर्ण हैं । अगर गहराई से उन धाराओं को देखा जाय तो जिस समय यह कानून बना था उस समय सरकार जिस दिशा में कानून को ले जाना चाहती थी उस समय का एक मोड़ उसमें जाहिर होता था । लेकिन संशोधन के आने से वह मोड़ रुका है ।

धारा १५ के तहत सरकार ने खातेदारी हकूक उन किसानों को देना तय किया है जो इस

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कानून के लागू होने के वक्त जमीन पर काबिज थे, जमीन पर काश्ते करते थे । और अर्से से जो राजस्थान के किसान आंदोलन की मांग थी कि उनको अपनी जमीन का मालिक बनाया जावे, जागीरदारों के जुल्म और अत्याचारों से मनचाहे उनके तरीकों से बेदखली से बचाया जावे, उस मांग की एक तरह से पूर्ति इस धारा १५ ने की। पर जिस प्रकार की राजस्थान सरकार की नीति रही है अपने आपको सत्ता में बनाये रखने के लिये जिस प्रकार से जागीरदारों से बार बार समझौते किये हैं उसी समझौते की नीति के अनुसार यह धारा १५ ए और १९, २० आई।

धारा १९ की तहत उस किसान को जो वास्तव में इस कानून के लागू होते वक्त ५५ में ही जागीरदार की जमीन पर काबिज था, लेकिन किन्हीं भी कारणों से रिकार्ड ऑफ राइट्स में उसका नाम दर्ज नहीं था, उस जमीन को सरकार ने जागीरदार की खुदकाश्त मान लिया और उस किसान को उसका सब–टीनेन्ट घोषित कर दिया और इस धारा १९ के तहत उन्हीं जागीरदारों को, जिन्हें, जागीर रिजम्पशन एक्ट की तहत तमाम जमीनों का मुआवजा दे दिया गया था, चाहे वह उनकी खुदकाश्त मानी गई हो या दूसरी जमीन मानी गई हो और जो रिज्यूम कर ली गई हो उस सारी जमीन पर दुबारा शिकमी काश्तकार के खातेदारी राइट्स हासिल करने के लिये दुबारा मुआवजा देने के लिये धारा १९ की मातहत मजबूर किया गया। तो यह दुहरा लाभ जागीरदारों को देने की बात की गई। जो काश्तकार शिकमी नहीं मान कर जिनका रिकार्ड ऑफ राइट्स में इन्द्राज था उनको तो बगैर किसी तरह का मुआवजा दिए डाइरेक्टरली खातेदार मान लिया गया और उनका मुआवजा अपने खजाने से देना सरकार ने मन्जूर किया और जो वास्तव में काबिज था पर जागीरदार के पास चूंकि रेवेन्यू के इन्तजामी अधिकार थे इस कारण किसान का इन्द्राज उनमें नहीं किया गया और इसलिए उनको शिकमी काश्तकार करार भी दिया गया। ५५ में ही खातेदारी हकूक भी नहीं दिए गए और बाद में मुआवजा देने के लिए भी मजबूर किया गया। अब जरुरत है ऐसे इन्साफ की कि जो ज्यादती किसान के साथ की गई है उसको दूर किया जावे और यह अच्छा मौका है जब कि सरकार इस सेक्शन के सम्बन्ध में कोई संशोधन प्रस्तुत कर सकती हैं और वह संशोधन इस सदन में रख सकती है। पर वह संशोधन भी आया, पर इस दिशा में नहीं है जिस दिशा में आना चाहिए।

तो यह सवाल प्रवर समिति में जावेगा तो वहां इसके तमाम दृष्टिकोणों से इस पर विचार किया जा सकेगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसे प्रवर समिति में भेजा जावे।

इसी तरह से धारा १९ की तहत जो खातेदारी हक आम किसान को दे दिए गये उन्हें दबाव से या सरकार ने अपनी किसान विरोधी नीतियों के कारण उस काफी एक बड़े किसान के तबके को उन अधिकारों से वंचित करने के लिए यह धारा १५ ए इस कानून में

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

लागू कर रही है। किस प्रकार की सरकार की नीति है, कैसी उसकी नीयत है, उसका किसान वर्ग के प्रति क्या दृष्टि कोण है, यह इस धारा से बहुत स्पष्ट साबित हो जावेगा।

यह और कहता हूं कि एक पर्टिक्यूलर एरिया में एक हिस्सा और भी है जहां कई तरह की जमीनें हैं जिन पर यह कहा गया है कि किसान का चाहे वे सन् ५५ से या पहले से काबिज हों, काश्त करते आ रहे हों पर उनको खातेदारी हक नहीं मिलेंगे बावजूद धारा १५ के और और जमीनों के अलावा एक जो प्रोजेक्ट एरियाज सम्भवत: चम्बल, भाखरा के एरियाज जो हैं उन जमीनों पर किसान कितने ही अर्से से काबिज क्यों न हों पर उनको हमेशा के लिए खातेदारी हकूक प्राप्त करने से वंचित कर दिया गया। सरकार का इस बारे में कहना है कि नये नये योजनाओं के लाभ वहां आवेंगे, नहरें आवेंगी और उनसे इस जमीन की हैसियत बढ जावेगी और उस बढी हुई हैसियत का फायदा किसान को क्यों मिले ? उसे क्यों लाभ उठाने दिया जावे ? उसका फायदा सरकार ने अपने बजट से खर्च किया है इसलिए उससे मिलना चाहिए या वह अपनी मर्जी आवे उसको दे। एक तरफ किसान उस भूमि पर उस समय से आबाद था जबकि हमेशा अकाल उधर पड़ते रहते थे, हर मुश्किल को किसान ने उस में रह कर सहा, सरकार अपना लगान वसूल करती रही, उन मुसीबतों के दिनों में भी किसान घबराया नहीं, हिम्मत करके बैठा रहा उससे लगान बराबर लिया जाता रहा और अब जब कि स्वतन्त्रता आई और स्वतन्त्र भारत में अपनी जिन्दगी के दिनों में किसान ने कुछ तब्दिली की आशा बान्धी, उसको भरोसा हुआ कि जिस आजादी के लिए लोगों ने कुछ कुर्बानियां की थी उससे उसके जीवन में भी कुछ परिवर्तन आवेगा तो वह किसान, जिस किसान के कन्धों पर चढकर आप इन कुर्सियों पर आ बैठे हैं आज आपने उसी वर्ग के प्रति इस प्रकार का रवैया अख्तियार किया है दूसरे वर्ग के प्रति कि जिस वर्ग ने किसान को हमेशा सताया और बुरी तरह से चूसा; उसे पनपने नहीं दिया। उस वर्ग के प्रति क्या रवैया रखती है यह सरकार ? आज जयपुर राजधानी डिक्लेअर की गई। जयपुर राजधानी डिक्लेअर होते ही यहां पर मकानों के किराए बढ गये। जागीरदारों के पास यहां भारी भारी जमीनें खाली पड़ी थी उन जमीनों की कीमतें बढ गई। एक हैं रेलवे रोड पर बड़े भारी जागीरदार साहब। लाखों रूपया का फायदा उनको उस जमीन से हुआ और इस बात की वजह से हुआ कि जयपुर राजधानी बन गई। क्या सरकार ने उनसे कुछ लेने के लिये कोई कदम उठाया, उन्होंने जो लाभ आजादी के आने से उठाया अपनी जमीनों का ? क्या सरकार ने वहां कुछ किया ? उस बढे हुए फायदे का लाभ उस वर्ग ने पूरा पूरा उठाया। सरकार ने कुछ नहीं किया; बल्कि हकीकत तो यह है कि वे फायदे लगातार दिन दिन किस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं और सरकार की ओर से उनको हर तरह से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। यह हम आप रोज देख रहे हैं। उनको रियायतों पर रियायतें दी जा रही हैं और दूसरी तरफ से वह वर्ग, जो सदियों से पिसा हुआ रहा, जिसे

Page No. 36

[redacted]

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सदियों से दबाया गया, उस तबके को आजादी आने के बाद कुछ सिर उठाने का मौका मिलता उसके लिये यह सरकार सोचती है कि यह कहीं सिर उठा कर खड़ा न हो जावे और इसके लिये नये कानून पर कानून ला रही है। जरा खडा होने की कोशिश की कि सरकार ने की उसे पटकने की कोशिश की, दबोचने की कोशिश की। यह मामला चाहे बैटरमैन्ट लेवी के सम्बन्ध में हो तो यही बात–नहरें आने से तुम्हारी हालत अच्छी होगी। इसलिये टैक्स लगा कर फायदा उनसे ले लिया जावे। यह इस सरकार की नीयत है। सोचती है, कहीं यह फायदा किसान की जेब में नहीं चला जावे। खातेदारी हक उसे हो जावेंगे, मालिक अपनी जमीन का हो जावेगा तो यह फायदा कहीं उसको न चला जावे। आज इस सरकार ने अपनी यही नीति बना रखी है कि इस वर्ग को आगे नहीं बढ़ने देना है और इसे उसी हालत में रखना है जिस हालत में वह सदियों पहले से चलता चला आ रहा है आज भी जैसा है।

तो मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से धारा १५ ए राजस्थान के किसान के साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती और गैरइन्साफी है।

यह मौजूदा जो बिल सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है इसमें इस धारा के सम्बन्ध में भी कुछ संशोधन प्रस्तुत किये जाने की बात है। वह इस दिशा को भी इंगित करती है कि सरकार यह महसूस करती है कि वह हमने १५ ए में प्रावधान इस तरह का कर दिया कि जिनको जमीनें सरकार दे रही है उनको भी खातेदारी हकूक नहीं मिल सकेंगे। तो मैं समझता हूँ कि यह मौका है–इस प्रश्न पर भी विचार किया जा सकता है और विचार किया जाना चाहिये।

इस तरह से अध्यक्ष (सभापति) महोदय, धारा १८ है जिसकी तहत किसान को बेदखल करने के प्रोविजन्स इस कानून के अन्दर मुख्तलिफ तरीकों से रक्खे हैं और अगर आप इस धारा में के इतिहास में जावें और बार बार जो संशोधन इसमें होते रहे हैं उनको अगर आप देखें तो यह बात साबित हो जावेगी कि राजस्थान सरकार हर साल किसी न किसी बहाने इस कानून में, इस धारा में संशोधन लाकर किसान को हैरान करती रही है, बजाय इसके कि किसान को बेदखल करने पर पाबन्दी लगाती; किसी न किसी तरह से एक नया दरवाजा किसान को बेदखल करने का खोलती रही है और इस तरीके से इस धारा में बार बार संशोधन करके जो किसान शुरू में टीनेन्सी प्रोटेक्शन ऑर्डिनेन्स के तहत अपने आपको सुरक्षित महसूस करता था उन किसानों को भी बेदखल कर दिया है। मेरे पास अध्यक्ष (सभापति) महोदय,

१० म० प०

इस समय स्टेटिस्टिक्स नहीं हैं, वर्ना यह साबित हो सकता था कि इस धारा के तहत राजस्थान में हजारों किसान अपनी जमीनों से महरूम हो गए, उनको बेदखल कर दिया गया जो कि आजादी आने के समय उस जमीन पर काबिज थे और वे कहते हैं कि क्या इस आजादी का यही फायदा मिला कि जो जमीन हम काश्त करते चले आये थे उस जमीन से भी हमको निकाल दिया गया। अध्यक्ष महोदय, जिस इलाके से मैं आता हूँ उस इलाके में इस तरह के बहुत से मुकदमात हैं, जहां जागीरदारों ने, बड़े बड़े बिस्वेदारों ने

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उन किसानों को जो किसी तरह से उस जमीन को काश्त करते चले आते थे इस धारा के तहत उनको बेदखल कर दिया गया और इस तरीके से वे इस नये कानून का स्वागत करने के बजाय इसकी आलोचना ही करते हैं। इस तरीके से अध्यक्ष महोदय, हम यह महसूस करते हैं कि राजस्थान जिस स्थिति में रहा है जहां कि सामन्तवाद का बोलबाला रहा है, जहां आज भी सामन्तवाद अपनी पकड़ को मजबूती से बनाये है और जिस तरीके से सरकार ने इस कानून के जरिये उस सामन्तवाद को दूसरी शक्ल में मौजूद रखा है उन लोगों को, जो जमीन खुदकाश्त नहीं करते, जानते हुए भी सरकार ने खुदकाश्त के नाम पर उनको खातेदारी अधिकार देकर पुराने काश्तकारों के पास हजारों बीघा जमीन छोड़ दी है जो कि पर्सनल कल्टीवेशन के नाम पर मजदूरों को रख कर जमीन को काश्त करा रहे हैं।

एक तरफ तो आप किसानों को जमीन का मालिक बनाने जा रहे थे दूसरी तरफ आपने उनको राय दी है कि ट्रेक्टर खरीद लो और एक फार्म बना लो। राजस्थान में मामूली से मामूली और बेरोजगार लोग बहुत हैं, मजदूर गांवों के हैं वे बहुत बुरी हालत में हैं, बहुत सस्ते मजदूर मिल जायेंगे और उनको रख कर उन फार्मों में काश्त कराया जाता है। न केवल वे पुराने जागीरदार ही इस कानून का फायदा उठा पाये बल्कि हमारे वे लोग जो कभी जागीरदारी के खिलाफ लड़ते थे आज नये जागीरदार बन गए। यह बात अध्यक्ष महोदय, छिपी हुई नहीं है। इस सदन के बड़े बड़े जिम्मेदारी उठाने वाले लोगों ने खुद ने या उनके रिश्तेदारों ने फार्म बना लिए और पर्सनल कल्टीवेशन के नाम पर उन फार्मों को चला रहे हैं और मजदूरों से काश्त करवाते हैं। मैं समझता हूँ, अध्यक्ष महोदय, यदि वास्तव में हमें इस नारे को राजस्थान में अमलीजामा पहिनाना है कि जमीन का मालिक वह होना चाहिए जो कि वास्तव में जमीन को काश्त करता है तो हमें इस कानून में बड़े रेडिकल चेन्जेज करने पड़ेंगे। एक संशोधन आया है कि खुदकाश्त उसकी मानी जानी चाहिए जो कि टीनेन्ट हो, वह किसी न किसी तरीके के कल्टीवेशन के प्रोसेस में खुद फिज़िकल लेबर करता है उसी को पर्सनल कल्टीवेशन माना जाना चाहिए। आज तो साहब लोग पेन्ट और बुशशर्ट पहिन कर चले जाते हैं। यह पर्सनल कल्टीवेशन का मजाक है और आज तो राजस्थान सरकार ने अपने एग्रीकल्चर एडवाइज़र भी इस किस्म के लोग मुकर्रर कर रखे हैं जिनको इस तरीके का काम करने का वास्ता नहीं। उनको कुछ शिकार करना आ गया, कुछ थोड़ी किताबें पढ़ लीं और डिग्री ले ली, ऐसे व्यक्तियों को एडवाइज़र मुकर्रर कर दिया जाता है और सरकार कहती है कि बड़ा मॉडल फार्म है, बड़ी अच्छी खेती करते हैं, जब कि न तो उनका कल्टीवेशन से ताल्लुक है और न वास्तव में कृषि के काम करने से कोई ताल्लुक रखते हैं। इसी तरीके से अध्यक्ष महोदय, इस कानून के अन्दर यह खामी है कि आपने जरूरत के नाम पर किसानों को बेदखल करने के मौके दिये। अगर वास्तव में इस प्रकार के कुछ लोग हैं जिनके पास थोड़ी सी जमीन है, जिनके पास और आमदनी के साधन नहीं हैं और जो

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कि वास्तव में जमीन पर आकर काश्त करना चाहते हैं और जमीन किसान के कब्जे में है तो उस किसान के पास इकोनोमिक होल्डिंग से अधिक जमीन है तो ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टान्सेज़ में उस फालतू जमीन को पर्सनल कल्टीवेशन में लेने के लिए. इस कानून में कोई प्रोविजन किया जाये तो उसमें हम कोई हर्ज नहीं मानेंगे। ऐसे टीचर्स हो सकते हैं, सिपाही हो सकते हैं कलील आमदनी के लोग हो सकते हैं जिनके पास थोड़ी जमीन है, जो नौकरी करते समय काश्त नहीं कर सकते अब नौकरी से पीछा छूट गया अब वह खेती करना चाहते हैं, ऐसी हालत में जमीन को लेना जायज माना जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से इस कानून का नाजायज फायदा उठा कर किसानों के ऊपर हमला बोल दिया जाता है बेदखल करने का तो मैं समझता हूँ कि इस बात पर भी रोक लगाने की जरूरत है और हमारी पार्टी की राय है कि ऐसे लोग जिनके पास आमदनी का दूसरा जरिया है उन लोगों को पर्सनल नीड के नाम पर चाहे खुद काश्त भी करना चाहें उन लोगों को बेदखल करने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। इस तरीके से अध्यक्ष महोदय, हम यह महसूस करते हैं कि यदि राजस्थान सरकार इस कानून को वास्तव में किसानों को जमीन के मालिक बनाने की ओर ले जाना चाहती है तो इसमें काफी रेडीकल चेन्जेज़ करने की आवश्यकता है। इसलिए यह सही होगा अध्यक्ष महोदय, कि इस मौजूदा बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, टीनेन्सी एक्ट पर बहस हो रही है और मिनिस्टर महोदय यहां नहीं हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री, राजस्व) : मैं बैठा हूँ।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, अभी इस टीनेन्सी एक्ट के सम्बन्ध में काफी विचार पेश किये जा चुके हैं। टैक्निकल पोइन्ट या कहने का जो राज छिपा हुआ है या तिजोरी जिसमें आपके स्वार्थ की पूंजी जमा है उसकी थोड़ी सी चाबी हाथ लगी है उसको मैं पेश करना चाहता हूँ। राजस्थान का टीनेन्सी एक्ट है उसकी धारा १८० के क्लॉज़ (सी) के सम्बन्ध में एक शब्द जोड़ा गया। ओरीजनल एक्ट है वह इस प्रकार है, दफा ४५ के तहत किसी को जमीन मिली है तो उसको बेदखल करने के लिए १८० में क्लॉज़ (सी) जो है वह अमेन्डमेंट के रूप में आया है, और उसमें 'ऐक्सपायर' और 'विल एक्सपायर' है। इस 'विल' शब्द को लगाकर काश्तकार जो मुसीबतों में पड़े हुए हैं और जिन्दा हैं उनको जिन्दा ही मार डालने की कोशिश की गई है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति केवल 'विल' शब्द के ऊपर बेदखल कर सकते हैं। जहां हम कहते हैं कि जो होंकता है उसी की जमीन है, तो ऐसी सूरत मे जहां क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की बात कहते हैं तो मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि रिवोल्यूशनरी कानून होने चाहिये जिसमें काश्तकार वही माना जाये जो खेत की मेंड पर खड़ा हो कर, हल हाथ में पकड़ कर खेती करता हो। उसी को काश्तकार माना जाये और वही सच्चे माने में काश्तकार हो सकता है। अगर ऐसे रिवोल्यूशनरी कानून बना देंगे तो अमेंडमेंट

(श्री अब्दुलजब्बार)

की शिकायत नहीं होगी। क्योंकि खेती करना साधारण काम नहीं है, लेकिन खेती को अपने पजेशन में बताने के लिए फक्र माना जाता है कि हमारे पास जमीन है और हम जमीन के मालिक हैं। उस गर्व को प्राप्त करने के लिये इस प्रकार के अमेन्डमेंट लाये जाते हैं। यह अमेन्ड-मेंट गरीब काश्तकारों के कानों तक पहुंचाये जायें और फिर उनकी राय ली जाये कि ये अमेन्ड-मेंट होने के लायक हैं या नहीं। अगर ऐसा होता है तो इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि वास्तव में सेन्ट-परसेन्ट काश्तकार इसका विरोध करेंगे।

अतः मैं जो कि हमारे साथी ने, हमारे एक एक ऑनरेबल मेम्बर ने सलेक्ट कमेटी के पास में इस बिल को पेश करने के लिए या पहुंचाने के लिये जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूँ। और वास्तव में आम तौर से इस प्रकार की पेचीदगियां कानून की होती हैं। मैं स्वयं ही अपने लिए कहूँ कि मैं इसको समझने में कासिर रहा तो कोई गैरवाजिब नहीं होगा, हालांकि कानून की किताबें खोल कर देख रहा हूँ लेकिन बड़ी मुश्किल से 'बिल' शब्द के ऊपर कामयाबी हासिल कर सका हूं। ऐसी सूरत में कानून जैसी अहम चीज को साधारण तौर से नहीं पास करवा कर अगर उसको सलेक्ट कमेटी के पास पहुंचा दिया जाय तो बहुत अच्छा होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं इसका समर्थन करता हूँ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, प्रवर समिति के सुपुर्द करने का जो प्रस्ताव पेश हुआ है उसका मैं विरोध करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावक महोदय ने अपने भाषण में यह कहा कि राजस्थान काश्तकारी एक्ट में बार बार संशोधन किये जाते हैं और बार बार संशोधन करने से इसका काश्तकारों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, इसमें दो राय नहीं हो हो सकती कि जिस तरह की समस्यायें सामने उपस्थित होती हैं किसी भी कानून के इम्पली-मेन्टेशन करने में और जिस तरह से राजस्थान की हालत है उसके मुताबिक यह जरूरी होता है कि किसी भी कानून में बार बार संशोधन लाये जायं, जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए।

हमारा यह जो संशोधन है इसका फंकशन भी यही है कि कानून बनाते हैं और कानून में हम तरमीम करते हैं। लेकिन यह जो प्रस्ताव पेश हुआ है कि प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय उसमें उन्होंने ऐसी कोई दलील नहीं दी कि जिन कारणों से सदन इस बिल को इस वक्त क्लॉज़ बाई क्लॉज़ पास नहीं कर सके। जो बिल में संशोधन पेश हुआ है वह केवल चार धाराओं में १५ ए, १९, २० और १८० । इन चार सेक्शन्स में संशोधन पेश करने का यह बिल प्रस्तुत हुआ है। एक माननीय सदस्य ने अभी इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार को काश्त-कारी कानून बनाते वक्त जो मन्शा थी, जो नीति थी उस नीति से सरकार दूर जा रही है। माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस समय यह टीनेन्सी एक्ट बन रहा था उस समय टीनेन्सी एक्ट की धारा १९ थी जिसके अन्दर यह प्रोविज़न दिया गया था कि कोई सब-टीनेन्ट या खुद-काश्त का टीनेन्ट अगर खातेदारी राइट्स क्रय करना चाहता है तो उसकी काश्तकार को

(श्री भीमसेन)

दख्र्वास्त देनी पड़ती थी एस० डी० ओ० के सामने और उस दख्र्वास्त के लिए अपने केस को फाइट करना पड़ता था। यह ओरीजिनल धारा थी १६५५ में जो कानून बना था उसमें। यह कहना कि इस समय उस धारा में संशोधन करके सरकार ने अपनी पुरानी नीति में परिवर्तन किया है वह ठीक नहीं है। मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूँ कि इस धारा १६ में काश्तकार को सहूलियत दी गई है। उस धारा में यह संशोधन किया गया है कि धारा १६ में पहले प्रोविज़न था कि उसके लिए काश्तकार को दख्र्वास्त देनी पड़ती थी एस० डी० ओ० के सामने, उस काश्तकार की दिक्कत को दूर करने के लिए धारा १६ में संशोधन किया गया है, और अब उसी धारा में राजस्थान में ऐसे भी हिस्से हैं, माननीय अध्यक्ष, कि जहां खुदकाश्त टीनेन्ट या सब-टीनेन्ट हैं उनकी हालत ऐसी नहीं है कि वह खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिये पूरा मुआवजा दे सकें। ऐसी उसकी आर्थिक स्थिति नहीं है उस हालत को देखते हुए यह जो अधिकार धारा १६ में दिया गया है उसमें काश्तकार की सहूलियत के लिये यह संशोधन पेश किया गया है कि वह दख्र्वास्त पेश कर सकता है कि वह खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं करना चाहता है। अध्यक्ष महोदय, इसमें इस बात की आवश्यकता जरूर है कि ऐसे काश्तकारों को जिनकी हालत ऐसी नहीं आर्थिक कि खातेदारी राइट्स प्राप्त करने के लिए मुआवजा दे सकें, बेदखली को प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि उनको बेदखली से बचा सकें। धारा १८० के तहत में प्रोविजन कर सकते हैं। धारा १८० में इस बात का प्रोविजन होना चाहिए कि जो काश्तकार राजस्थान टीनेन्सी एक्ट जिस वक्त बना था उस दिन काश्तकार हो, चाहे वह सब-टीनेन्ट की हैसियत से हो, चाहे टीनेन्ट की हैसियत से हो, जो भी काश्तकार जमीन पर काबिज था उस श्रेणी के काश्तकार को धारा १८० के अन्तर्गत बेदखल नहीं किया जा सकता है, यह प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता है। तो मैं समझता हूँ कि धारा १६ के अन्तर्गत जो काश्तकार खातेदारी राइट्स प्राप्त करने से महरूम रहेगा, ऐसे काश्तकारों को प्रोटेक्शन दिया गया है धारा १८० में कि यदि वह नहीं लेना चाहे तो उसको बेदखली से प्रोटेक्ट कर सकें। मैं समझता हूँ कि सरकार इसके बारे में विचार करेगी।

माननीय अध्यक्ष, यह कहा गया कि धारा १५ ए के अन्तर्गत यह जो संशोधन लाया जा रहा है यह संशोधन सरकार की नीति के विरुद्ध है। माननीय अध्यक्ष, धारा १५ ए इसलिए थी कि प्रोजेक्ट एरिया में यह मन्शा नहीं थी कि जो काश्तकार टेम्पोरेरी कल्टीवेटर्स हैं उनको किसी तरह से खातेदारी राइट्स दिये जायं, क्योंकि सरकार काफी पैसा खर्च करके प्रोजेक्ट्स बनाती हैं और उन प्रोजेक्ट्स के लिए सरकार जमीनों को बेच कर उनकी कीमत वसूल करना चाहती है। यह सरकार के सोचने की बात है कि जो पुराने काश्तकार हैं उन काश्तकारों के हकों का खयाल रखना चाहिए। धारा १५ ए में जो प्रोवीजो लाया जा रहा है वह उसकी कानूनी खामी को दूर करने के लिए किया जा रहा है। राजस्थान एक्ट के तहत जो जमीन देते हैं और उस एक्ट के ताबे में जो जमीन मिलती है कानून के अन्तर्गत उस पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी

(श्री भीमसेन)

हो जाते हैं और धारा १५ ए डिबार करती है ऐसे प्रोजेक्ट एरिया में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिए। तो इस कानूनी कमी को दूर करने के लिए यह संशोधन पेश किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि यह संशोधन काश्तकारों के हक में है।

अब, अध्यक्ष महोदय, एक धारा २० है जिसमें संशोधन किया जा रहा है। धारा २० के अन्तर्गत लैण्ड होल्डर्स को जो इस वक्त सब-टीनेन्ट हैं या टीनेन्ट हैं उनसे मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, ऐसे जो लैण्ड होल्डर्स हैं जिनको हम राजस्थान रिजम्पशन जागीर एक्ट के तहत में मुआवजा दे चुके हैं उन लैण्ड होल्डर्स को दुबारा इस तरह से मुआवजा दिया जाय, इसके बारे में सरकार को कदम उठाना चाहिए, क्योंकि एक दफा जब कि मुआवजा दे चुके हैं उस चीज के लिए दुबारा मुआवजा देना इसके बारे में हमारी नीति स्पष्ट होनी चाहिए।

यह कहा जा सकता है कि जागीर रिजम्पशन एक्ट के तहत में जो मुआवजा दिया गया है वह जागीरदार की हैसियत से दिया गया है। उसका जो हक था उसको प्राप्त करने के लिए दिया गया है कम्पेन्सेशन। माननीय अध्यक्ष, यह सही बात है कि उसको जागीरदार की हैसियत से कम्पेन्सेट किया है लेकिन जो जमीन खुदकाश्त की है उसको भी जागीरदार की हैसियत से जो कम्पेन्सेट किया है तो इस वक्त उसको उसी हैसियत से, खुदकाश्त की हैसियत से जो जमीन है उसका जो काश्तकार है उससे दुबारा जमीन का कम्पेन्सेशन लेने का कोई हक नहीं हो जाता है। इसलिए इस तरफ सरकार को सोचने को जो बात है वह यह कि जिस लैण्ड होल्डर ने एक बार कम्पेन्सेशन ले लिया है तो दुबारा उसको कम्पेन्सेशन दिलाना वाजिब नहीं होता है।

तो अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करने की आवश्यकता नहीं है। क्लॉज़ बाई क्लॉज़ कन्सीडिरेशन करके अपने विचार पूरे व्यक्त कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस काश्तकारी कानून में बारबार आने से और इनके इम्प्लीमेन्टेशन में क्या क्या कठिनाइयें आई हैं और काश्तकार के जीवन पर उनका क्या असर पड़ा है, इसके लिए राजस्थान लैण्ड कमीशन नियुक्त किया जाय जो इस बात की जांच करे कि लैण्ड रिफार्म्स का काश्तकारों पर क्या असर पड़ा है। इसके लिए एक समिति नियुक्त करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि सरकार इस समिति को नियुक्त करने के लिए बाध्य है। उस समिति को नियुक्त करने के लिए तत्काल कदम उठाना चाहिए ताकि काश्तकारों पर इस कानून का क्या असर पड़ा, यह सारा सामने आ सकेगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (साचोर) : माननीय अध्यक्ष, जो यह राजस्थान टीनेन्सी अमेन्डमेंट बिल, १६६२ विधान सभा में इन्ट्रोड्यूस किया गया है उस बारे में विचार किया जा रहा है। इस अमेन्डमेंट के जरिये राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की चार धाराओं में संशोधन करने की स्कीम है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो राजस्थान

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

टीनेन्सी एक्ट की धारा १५ ए है उसमें जो प्रोविजो लगाया जा रहा है उसमें जो अमेन्डमेन्ट किया जा रहा है उसमें जो माननीय भीमसेनजी ने सजेशन बताया कि जो सरकार के प्रोजेक्ट एरिया में बहुत पैसे लगाकर खातेदारी राइट देने में मजबूरी जाहिर करते हैं और उसमें इतने पैसे लगाते हैं कि काश्तकारों को खातेदारी का हक जैसे दूसरी जमीन में दिये जावें उससे कुछ विपरीत कंडीशन्स रखें ताकि सरकार अपने राइट्स को सुरक्षित रख सके और जो पूंजी सरकार की ओर से लगाई जावे उस से पूरे रूपसे फायदा उठाया जा सके और बेचारे काश्तकारों को जो भी उनकी मर्जी हो उस एरिया में जमीन अलॉट करावें और कन्डीशन्स के अनुसार खातेदारी राइट्स नहीं मिलें । इस रुप में अध्यक्ष महोदय, बीकानेर और केनाल एरिया में कुछ जमीन काफी अर्से से, इससे पूर्व कब्जाशुद थी ऐसे काश्तकार भी इस प्रोविजो के नीचे अफेक्ट होंगे । इसका नतीजा यह होगा कि जो सरकार ने कोलोनाइजेशन स्कीम के नीचे जमीन ली थी उससे पूर्व जो काश्तकार काबिज थे और गिरदावरी के जरिये काबिज थे उन काश्तकारों को इस प्रोविजो के नीचे अफेक्ट नहीं करना चाहिये था । इस बारे में बहुत से काश्तकारों ने राजस्थान हाईकोर्ट में जाकर रिट्स पेश कीं, ऐसी कुछ रिट्स अभी हाई कोर्ट के विचाराधीन हैं । कुछ काश्तकार जो कंटिन्युअस पजेशन रखते हैं ऐसे काश्तकारों के साथ बड़ा अन्याय होगा । इस बारे में जो अमेन्डमेन्ट किया जा रहा है, सरकार उस बारे में पूरी तरह से जांच करे कि इसके निश्चित सुझाव क्या हैं । कोलोनाइजेशन की भूमि में जो काश्तकार पुराने समय के काबिज हैं उनके राइट्स रहने चाहिए क्योंकि अध्यक्ष महोदय, नेचुरल जस्टिस का यह नियम है कि कोई भी कानून लाया जाय वह नेचुरल जस्टिस के खिलाफ न हो । और दूसरे प्रोविजो के तहत राइट्स दिये जावें तो पुराने समय से जिनको राइट्स एक्रू हो चुके हैं उनको अफेक्ट नहीं किया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा जो अमेन्डमेन्ट सेक्शन १९ में राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में करने का प्रावधान है उसमें भी अध्यक्ष महोदय, इस दफा १९ और १५ के प्रोविजन राजस्थान टीनेन्सी एक्ट लागू करने के बाद समय समय नये प्रोविजन काश्तकारों की दिक्कत को महसूस करते हुए जो सुझाव सरकार के सामने आये उनको देखते हुए संशोधन लाये गये हैं । लेकिन अध्यक्ष महोदय, १५ ए दफा है और १९ है उनमें राजस्थान टीनेन्सी एक्ट लगाने के बाद भी काश्तकारों की वास्तविक समस्या हल नहीं हुई है । उदाहरण के तौर पर दफा १५ में प्रावधान रखा गया है कि पैमाइश के बाद यदि किसी वजह से काश्तकार को खातेदारी राइट्स नहीं मिले हैं तो १५ दफा में दर्ख्वास्त करके खातेदारी राइट्स हॉसिल कर सकता है । लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस सेक्शन में अब तक कोई क्लीयर प्रावधान नहीं है कि काश्तकार का फलां डेट को यदि कब्जा है तो ऑटोमेटिकली उनके खातेदारी राइट्स पैदा हो जायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, हमारे जालोर जिले में इस बारे में कई दर्ख्वास्तें पेन्डिग थी और बार बार प्रोविजन में अमेन्डमेन्ट आते गये

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

और दो-तीन साल से अदालतों में डिक्लेरेशन सूट्स पेन्डिंग थे, लेकिन अदालतें इस प्रोविजन को एग्ज़ामिन करके इस निश्चय पर पहुँची हैं कि साफ कानून नहीं है जिसकी तहत खातेदारी राइट दे सकें। यह दिक्कत महसूस होती है। सेक्शन १५ के तहत यह लिखा है कि १५. १०. ५५ को जिसका जमीन पर कब्जा था और किसी वजह से उसको यदि खातेदारी राइट्स नहीं मिले हैं तो दफा १५ की तहत दर्ख्वास्त करके खातेदारी राइट्स हासिल कर सकता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, १५–१०–५५ ऐसी डेट है जिसके बाद में सेटलमेंट हुआ और सं० २०१३ से जो रिजम्पशन की डेट लागू की गई है और रिज़म्पशन फोर्स में लाया गया है. उसके बाद पटवारियों के जरिये गिरदावरी का सिस्टम शुरू किया गया । जब दावे लाये जाते हैं तो गिरदावरी के तौर पर सं० २०१३ से कब्जा साबित किया जा सकता है। लेकिन आया सं० २०१२ में जिसमें १५–१०–५५ आती है वह उस जमीन पर काबिज था या नहीं, इस बारे में जुबानी फैसला नहीं किया जा सकता। ऐसी हालत में काश्तकारों को खातेदारी हक नहीं दिये जा सके। यह प्रेक्टिकल डिफिकल्टी है।

अध्यक्ष महोदय, जो दफा १५ है उसमें यह संशोधन कर दिया होता कि सेटिलमेन्ट जब से चालू हुआ और जब से गिरदावरी चालू हुई उसके बाद लगातार पजेशन रहता है तो उसको खातेदारी राइट मिलना चाहिये। तभी काश्तकारों को सही रूप में रिलीफ दिया जा सकता है। लेकिन इस धारा के अन्दर काश्तकारों की वास्तविक कठिनाइयों को महसूस नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद १५ ए के जरिये कुछ तकलीफें दूर करने की कोशिश की गई हैं। फिर भी कुछ दिक्कत रह गई है। उसके बाद अध्यक्ष महोदय, दफा १९ राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में अमेन्डमेन्ट किया गया है यह भी बड़ा महत्वपूर्ण अमेन्डमेन्ट था और काश्तकारों की दिक्कत दूर करने के लिये किया गया था। लेकिन इसको अच्छी तरह से पढने से मालूम होता है कि वास्तव में काश्तकार की अब तक अनस्टेबिलिटी दूर करने का प्रावधान नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, जो प्रावधान अमेन्डमेन्ट के जरिये बार बार, समय समय पर लाये जाते हैं, पहले तो मैं इस बारे में सरकार को आपके जरिये यह सुझाव देना चाहता हूं कि ऐसी जो प्रेक्टिकल कठिनाइयां काश्तकारों को काश्त करने में महसूस होती हैं और उनमें बार बार अमेन्डमेन्ट करके प्रेविजन डाले गए हैं, लेकिन उनको प्रकाशित करके पब्लिक ओपीनियन के लिये समय पूरा नहीं दिया जाता है। अमेन्डमेन्ट जारी होता है और सूचना मिलने के १५-२० रोज में ही कानून बन जाता है। इस तरह से पूरा समय नहीं मिलने से सुझाव समय पर नहीं दिये जा सकते। ऐसी हालत में जो वास्तविक कठिनाई दूर करने के लिये, इन प्रोविजन्स को सेल्फ कन्टेन्ड बनाने के लिए, कानून से लोगों की वास्तविक दिक्कत दूर करने के लिये अमेन्डन्मेट किये जावें और ये तभी हो सकते हैं जब कि पूरी तरह से पब्लिक ओपीनियन पढे लिखे लोगों की, वकीलों की जो

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

वास्तविक रूप से अदालतों में दिक्कत देखते हैं ली जावे और उनको दूर करने के सुझाव उनकी तरफ से आवें तो वास्तविक कठिनाई उत्पन्न नहीं हो सकती।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके समक्ष उदाहरण पेश करना चाहता हूं। असिस्टेन्ट कलेक्टर, अदालत सांचोर ने तीन-चार महीनों पहले ही २००-३०० मुकदमे इसलिये खारिज किये कि एक ऐसा अमेंडमेंट आ गया है कि जो ट्रेसपासर्स हैं, उसका अगर कब्जा तहसीलदार या राज्य की तरफ से जायज नहीं माना जाय तो उसके बारे में कोई खातेदारी हक नहीं दे सकते। तो ऐसी हालत में बहुत से मुकदमे दो-दो, तीन-तीन साल से पेंडिंग हैं। डक्लेरेशन ऑफ खातेदारी राइट्स के। वे सेटलमेंट के बाद अदालत में आये और इस दिक्कत को महसूस करते हुए कि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में ऐसा प्रोवीजन नहीं हैं और ऐसा प्रोविजन न होने के कारण खारिज कर दिये गये। और उन काश्तकारों का तीन तीन, चार चार साल से बराबर कब्जा है, सरकार उनसे लगान वसूल करती है, गिरदावरी होती है, परन्तु उनको अलॉटमेंट सरकार के जरिये न होकर, उनका किसी तरह से कब्जा था और सेटलमेंट के पहले से ही था परन्तु ये साबित नहीं कर पाये कि लीगल इजाजत थी या नहीं। इस हालत में दावे खारिज कर दिये गये। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस रूप में एक सुझाव अपना पेश करता हूँ कि इस दफा में ऐसा संशोधन होना चाहिए कि। जो अमेंडमेंट लाया गया है, इसमें तो इसका कोई प्रावधान नहीं हैं। ऐसे जो मामलात हैं उनमें सर्व प्रथम पटवारी भेज कर गिरदावरी कराई जाती है। उसके बाद आज तक लगातार किसी का कब्जा है तो ऑटोमेटिकली खातेदारी राइट्स देने चाहिए। इसमें दिक्कत महसूस नहीं हो तभी इनकी वास्तविक दिक्कत दूर की जा सकती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा जो अमेंडमेंट इसमें लाया जा रहा है, यह कम्पेन्सेशन के रूप में है। अगर कोई खातेदारी राइट्स किसी के एक्र होते हैं तो जो प्रावधान कम्पेन्सेशन का रखा गया है, उसमें जो कम्पेन्सेशन के बारे में एक अमेंडमेंट आया है जो ऐसी जमीन के बारे में है कि अगर कहीं पर सब-टीनेन्ट काश्त करता है और उसमें दूसरा जो टीनेन्ट-इन-चीफ है उसका किसी रूप में खर्चा नहीं हुआ है और जमीन वैसी ही पड़ी थी, सिर्फ उसकी खातेदारी ही थी और उसका एक पैसा भी लगाया हुआ नहीं है और सब-टीनेन्ट के जरिये काश्त कराता है तो उस बारे में मेरे विचार से कोई कम्पेन्सेशन देने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि उस जमीन को तैयार करके उस सब-टीनेन्ट ने खेती के योग्य बनाया है और बराबर काश्त किये जा रहा है तो फिर बाद में उस जमीन के बारे में कम्पेन्सेशन किस रूप में दिया जाय? तो उस बारे में इन कानून के तहत कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि अगर खातेदारी राइट्स एप्लीकेशन देकर हासिल करना चाहे तो उस जमीन का वास्तविक कम्पेन्सेशन देने की आवश्यकता प्रतीत हो तभी दिया जाय, वर्ना सब-टीनेन्ट के ही जरिये इम्प्रूवमेंट किया गया

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

है और टीनेन्ट–इन–चीफ के जरिये कोई कम्पेन्सेशन नहीं देने की आवश्यकता महसूस नहीं होनी चाहिए, तभी उस सब–टीनेन्ट की स्टेबिलीटी जमीन पर रह सकती है । और जो कम्पेन्सेसन नहीं देने की बात कही गई है कि कम्पेन्सेशन देने की सामर्थ्य नहीं है तो वह खातेदारी हक हासिल नहीं कर सकते तो उसमें कुछ काश्तकार रिलीफ पा सकता है। वास्तविक कोई खर्चा उसका नहीं हुआ है तो कम्पेन्सेशन की कोई आवश्यकता नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी दफा १८० में अमेंडमेंट लाया गया है और उसका जो एक्सप्लेनेशन प्रोवीजो के नीचे दिया गया है, इस बारे में मेरा विरोध है। इस एक्सप्लेनेशन के जरिये यह मालूम पड़ता है कि काश्तकारों को अनस्टेबल बनाया जाय। पहले जो अमेंडमेंट लाया गया था उसमें साफ था कि अगर लीज और सब–लीज के जरिये कोई काश्तकार काबिज हो तो उसके बाद लीज के एक्सपायर होने पर कानूनी तौर से खातेदारी हक मिलने चाहिए परन्तु अब इस एक्सप्लेनेशन के जरिये लीज के एक्सपायर होने के बाद उसको कोई खातेदारी राइट्स मिलने का प्रश्न पैदा नहीं होता। दफा १८० में जो प्रोविजन्स अमेंडमेंट के जरिये डाले गये हैं इसने काश्तकारों की अनस्टेबिलिटी को बहुत बढ़ा दिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अनस्टेबिलिटी को देखते हुए 'ग्रो मोर फूड' की समस्या को हल नहीं किया जा सकता है क्योंकि काश्तकार के पास जो जमीन है उसे अपनी जमीन नहीं समझ सकता और उसको जो खातेदारी राइट मिल सकते हैं उसमें एक बाधा उपस्थित करने की कोशिश की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को आपके जरिये सुझाव पेश करता हूँ कि लीज या सब-लीज के जरिये जो लीज के रेस्ट्रिक्शन को हटा कर बराबर काश्तकार को अनस्टेबल रखा जा रहा है यह स्कीम नहीं अपनाई जानी चाहिए और जो काश्तकार वास्तविक जमीन पर काश्त करता है उसको बराबर बिना रुकावट के खातेदारी राइट्स दे देने चाहिए, बशर्ते उसकी जमीन कम है और माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इसके बारे में अमेंडमेंट रखा गया है, उसमें है कि पर्सनल कल्टीवेशन के लिए बेदखल कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान है और उसमें डाला है कि अगर इतनी से जमीन अधिक हैं । परन्तु उसमें यह नहीं डाला गया है कि जो पर्सनल कल्टीवेशन के लिये जमीन चाहता है तो जो मेग्जिमम जमीन है उस सीमा से अधिक जमीन तो नहीं है। अगर पर्सनल कल्टीवेशन के लिए कोई टीनेन्ट--इन–चीफ जमीन चाहता है और सब–टीनेन्ट को बेदखल करना चाहता है तो यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिए कि जो मेग्जिमम लैंड की सरकार ने लिमिट निर्धारित की है, उससे ज्यादा अगर टीनेन्ट–इन–चीफ के पास जमीन पहले से मौजूद है तो फिर उस काश्तकार को क्यों बेदखल किया जाय । तो इस बात का इसमें साफ तौर पर प्रधान नहीं रखा गया है । इसमें इतना ही किया गया है इसमें पर्सनल कल्टीवेशन में अगर मेग्ज़िमम लिमिट से अधिक जमीन ऑलरेडी है तो उस हालत में उसको बेदखल करने की छूट नहीं होनी चाहिए। तो इस अमेंडमेंट के जरिये

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

काश्तकारों को अनस्टेबल करने की योजना है, उसको बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए और यह एक्सप्लेनेशन है इसको डिलीट किया जाना चाहिए । बस, इतना ही मुझे कहना है कि जो प्रावधानों की इसमें मांग की है, इन सेक्शन्स के जरिये जो वास्तविक काश्तकारों को रिलीफ दिया जा सकता है, इन सब सवालों को बड़ी डिटेल में एक्जामिन किया जाना चाहिए; क्योंकि जो वास्तविक कठिनाइयां काश्तकारों के सामने आती हैं इनको दूर करने के वास्ते पूरी तरह से विचार करके इन संशोधनों को कार्यान्वित किया जाना चाहिए ।

श्री सतीशकुमार (बानसूर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कानून की भाषा में फाइनेलिटी ऑफ लिटीगेशन, फाइनेलिटी ऑफ जजमेंट के इन सर्वमान्य सिद्धान्तों का बहुत हवाला हम देखते हैं और इसका बहुत आदर किया गया है । इधर से मेरे कुछ भाइयों ने किया । जहां हाई कोर्ट का सवाल आया वहां इसका भी ज़िक्र किया । इस तरीके के जो सिद्धान्त हैं यदि हमारा कानून उन सिद्धान्तों से टकराता है, हम लोग कहते हैं कि यह कानून इस तरीके से बनाया गया जिसमें इतनी बड़ी टक्कर होती है तो उसके बचाव में कहा जाता है कि यह आगे बढ़ती हुई सरकार है । नई नई बातें सामने आती हैं तो नये नये तरीके से इस कानून को बदलना पड़ता है । उन माननीय सदस्यों को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इन कानूनों को देखें, तो जितने अमेंडमेंट हुए हैं, हर एक में लिखा होगा कि यह इन्सर्ट किया जायेगा : "and shall be deemed always to have been inserted."

यानि यह चीज जोड़ी जायगी इस कानून में और यह समझा जायगा कि यह १६५५ में लिख दी गई थी । यह बहुत साफ तरीके से इसको मानना है कि जिस वक्त कानून बनाया उस वक्त हमारी निगाह उस समय तक जानी चाहिए जब तक वह कानून काम करेगा, लेकिन वह दो साल, चार साल के आगे तक नहीं जा सकी । मैं समझता हूं कि इन बातों को साफ तरह से तस्लीम कर लेना चाहिए, यह बहुत बड़ी गल्ती है कानून बनाने की, या कानून बनानेवालों की दिलचस्पी नहीं है या बहस करने वालों की दिलचस्पी नहीं है । इसमें दो राय नहीं है । अब हम ऐसा विचार रखते हैं कि इसको एक्सपर्ट कमेटी के सामने ले जाया जाय, एक प्रवर समिति के सामने ले जाया जाय । इसका कई सदस्यों ने समर्थन किया है और मैं भी बहुत खुले दिल से समर्थन करता हूं ।

अब इसमें जो अमेंडमेंट रखे गये हैं उन पर आने के पहले मैं दो बातों की ओर अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये, सदन की तवज्जूह दिलाना चाहता हूँ । एक तो जैसा अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि कुछ इस तरह की बात मालूम पड़ती है कि जो बड़े बड़े खातेदार हैं, बड़े बड़े आदमी हैं, बड़ी बड़ी मशीनरी वाले हैं उनको यह अधिकार सरकार देना चाहती है कि वे छोटे-छोटे आदमियों को निकाल दें और उनको मजदूरों की हैसियत में रखें । इसमें सन्देह नहीं है कि जिस तरह का कानूनी रुख चलता है उसमें ऐसा अमेंडमेंट नहीं लाया जाता है

(श्री सतीशकुमार)

कि जिन पर वाकई हार्डशिप आई हो उनको बचाया जाय। उनको बचाने के लिए प्रोविज़न नहीं आता है और जो बड़े बड़े जागीरदार हैं, ट्रेक्टर से खेती करने वाले हैं उनको बचाने के लिए कानून में अमेंडमेंट आता है।

एक बहुत बडी हार्डशिप टीनेन्ट प्रोटेक्शन ऑर्डिनेन्स और टीनेन्सी एक्ट बनने के बाद आई और अभी तक बराबर चलती है। उसकी तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हमने यह देखा कि जिन व्यक्तियों के पास दो-दो, तीन-तीन बीघा या चार-चार बीघा जमीन थी उनमें से बहुत से ऐसे व्यक्ति भी थे जो अपंग और बेवाएं थीं, उनको जमीन बिना नोटिस के ले ली गई। वे लोग खुद जमीन को जोत नहीं सकते इसलिये किसी न किसी को जमीन को जोतने के लिये उन्हें देना पड़ता है। अब आपने जो कानून बना दिया उससे न तो वह आदमी उनसे जमीन ले सकता और न जमा उससे ले सकता है। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इस ओर ध्यान दे। यह ठीक है कि काश्तकार के पास जमीन रहे मगर यह भी नहीं होना चाहिये कि वे लोग जो अपंग है और विधवाएं हैं उनकी जमीन उनसे छीनी जाए और वे बेघरबार हो जाएं। इस तरह के हार्ड केसेज की तरफ सरकार को तवज्जोह देना चाहिये।

दूसरा, हमने यह भी देखा कि यह कानून सरकारी जमीन पर लागू नहीं होता। अलवर में इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं जिनमें सरकारी अधिकारियों ने यह ली लिया है। मैं यह कहूंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिये सरकारी अधिकारी कहते हैं कि टीनेन्सी एकट में यह नहीं लिखा यह सरकारी जमीन पर लागू होगा। मैं यह कहूंगा कि यह भी टीनेन्सी एक्ट में कहीं नहीं लिखा है कि यह सरकारी जमीन पर लागू नहीं होगा। सरकार के काश्तकार वे भले ही हों मगर वे खातेदारी राइट हांसिल नहीं कर सकते। इसलिये सरकार को इसको साफ करना चाहिये। जिस कानून के जरिये सरकार जनता को पाबन्द करना चाहती है अगर सरकार खुद पाबन्दी नहीं करती है तो यह जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा।

इसके बाद दफा १५ ए में प्रोविजनों को एड करने के लिये रखा गया है। सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि हम तो इससे आपको कुछ देते ही हैं, लेते नहीं। केनाल एरिया है उसमें खातेदार जो लोग बने हुए हैं उनको बने रहने दिये जावेंगे और दूसरों को खातेदार राइट नहीं दिये जावेंगे। इससे यह मालूम पड़ता है कि टीनेन्सी एक्ट के द्वारा खातेदार अब किसी को नहीं बनाया जावेगा। आपने महसूस किया होगा कि कोई भी जमीन हो उसको आदमी तभी ठीक करेगा और उसमें पैदावार बढाने की दिलचस्पी लेगा और काम करेगा जब उसको यह यकीन होगा कि वह जमीन जिस पर वह आज काबिज है वह उसकी ही रहेगी। आप केनाल एरिया में और चम्बल एरिया में लोगों की इसमें दिलचस्पी क्यों नहीं पैदा करते? मैं तो यह कहूँगा कि आपने एक रूपया लेकर हमको दो आने वापिस दिये हैं। आपने कहा कि इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है!

(श्री सतीशकुमार)

आपने यह माना है कि केनाल एरिया में खातेदारी राइट्स जिनको कानून के जरिये मिल गये हैं तो उस पर इसका कोई असर नहीं होगा। यह आपका कहना ठीक है। दूसरे कानून में उनको जो हक मिले थे उनको छीनने का आपको हक नहीं है। इसलिए आपने यह लिखा है कि जो खातेदारी राइट्स लोगों को कानून के जरिये पहले मिल चुके हैं उन पर यह असर नहीं करेगा, यह एक बेकार की बात है। यह तो आप एक तरह का जनता को मुगालता दे रहे हैं और यह बता रहे हैं कि हम केनाल एरिया और चम्बल एरिया में खातेदारी राइट्स जिनको प्राप्त हो चुके हैं उनसे नहीं छीन रहे हैं।

इसके बाद दफा १८० की तरफ मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। पहले जो दफा १८० थी उसमें काश्तकारों के बेदखली की कोई बात नहीं थी। इस बार आपने यह एक कदम आगे बढ़ाया है। आपने इसमें शब्द 'टीनेन्ट' भी लिख दिया है और इसमें आप एक कदम आगे बढ़े हैं :

"For clauses (b) and (c) or sub-section (1) of section 180 of the principal Act, the following clauses shall, as from the 30th day of December, 1961, be substituted and be deemed always to have been substituted namely:

(b) that he is a tenant or sub-tenant holding from year to year:"

यह तो एक कानूनी बात है कि जितने काश्तकार हैं वे ईयर टू ईयर ही उस भूमि पर टीनेन्ट या सब-टीनेन्ट समझे जावेंगे। अगर उसमें कोई दूसरी बात प्रोवाइड नहीं हो तो वे ईयर टू ईयर ही समझे जाते हैं। तो इन शब्दों में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है और आप यह चाहते हैं कि उन टीनेन्ट्स को या सब-टीनेन्ट्स को ईयर टू ईयर बेदखल कर सकते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस तरह से आपने तमाम टीनेन्टों पर यह लागू करने में बहुत बड़ा हमला काश्तकारों पर किया है। इसलिए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि इसको प्रवर समिति में भेजा जावे और इस प्रकार का कानून बनाया जावे जो १०, २० साल आगे तक अच्छी तरह से चलता रहे। रोजाना एमेन्डमेंट ला कर कानून को बदल कर हमको कानून के साथ मजाक नहीं करनी पड़े।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि कानून में बार बार एमेन्डमेंट आने से लोगों को बड़ी मुश्किल पैदा होती है। लोगों को यह मालूम नहीं होता कि कल कौनसा एमेन्डमेंट निकल जावे। मैं यह कहूँगा कि पब्लिक को ही नहीं बल्कि वकीलों के लिये भी बड़ी मुसीबत हो जाती है। बहस करने को चले और रास्ते में एक और एमेन्डमेंट आ गया जिसकी वकील को भी सूचना न हो तो इसका मतलब यह होगा कि वकील को भी शायद वकील करने की नौबत आ जाए। आप इसको इस तरह से रखिये, सेटल्ड रूप से रखिये कि finality to litigation and finality to decision हो। इस तरह की डिफिकल्टी हमारे सामने नहीं आवे।

मैं यह कहूंगा कि किस तरह से एक लिटीगेन्ट अपनी छाती को ठंडा करे और

(श्री सतीशकुमार)

किस तरह से सन्तोष की सांस ले जबकि वह देखता है कि रेवेन्यू बोर्ड से उसके खिलाफ तीन या चार दिन पहले कोई फैसला हो चुकता है और उसके बाद में कोई एमेंडमेंट आता है जो उसके हक में पड़ता है तो वह काश्तकार यही सोचता है कि यदि यही अमेंडमेंट चार दिन पहले निकलता तो उसके खिलाफ जो फैसला हुआ है वह नहीं होता। दो दो तीन तीन साल का इजाफा देते हैं दावा करने के लिये। इसलिये बार बार अमेन्डमेंट आने से किसानों को सन्तोष नहीं होता। इसलिये उनमें विश्वास पैदा करने और सन्तोष दिलाने के लिये इस प्रकार का कानून लाना चाहिये जो सिम्पल हो और जिसका नक्शा उनके सामने स्थाई रूप से रखा रह सके। वे ज्यादा अडंगेबाजी से निकल सकें और वकीलों के चक्कर में न फंसना पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि इसको प्रवर समिति के पास भेजा जावे।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस मुद्दे पर विचार करने का सम्बन्ध है, लैंड रिफोर्म्स के पीछे जो मकसद, आपत्तियां हमारे सामने पेश की गई हैं।

(१.५० म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, सभापति, पदासीन)

राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में हम यह सोचते थे कि लैंड एन्ड टिलर्स का सीधा सम्बन्ध होगा लेकिन आज तक कितना सम्बन्ध हुआ है? मैं समझता हूं कि अब तक इस सम्बन्ध में कोई इन्साफ नहीं हुआ। अगर लैन्ड और टिलर्स का सीधा सम्बन्ध हो और अगर जमीन की हद बन्धी हो जावे और बीचोलियों को दूर किया जावे और भूमिहीन लोगों को जमीन देने का प्रश्न है तो यह एमेन्डमेंट बिल जो हमारे सामने पेश हुआ है इसको सलेक्ट कमेटी के पास जाना चाहिये। इसमें १८० सेक्शन हैं जिसमें एमेन्डमेंट मूव किया जा रहा है कि जागीर रिजम्पशन एक्ट में उन लोगों को जिनकी जागीरें रिज़्यूम की गई उनको बसाने के लिए चम्बल, भाखरा प्रोजेक्ट और गंगानगर के एरिया में खुदकाश्त के नाम पर बसाने के लिये जमीनें मिल गई हैं वे लोग दूसरे लोगों को पर ईयर टु ईयर ठेके पर देते हैं, हजार, बाहर सौ पर एक साल का ठेका लगता है। अगर दफा १८० की तरह उन काश्तकारों को इजेक्ट करने का मौका दिया गया तो मैं यह कहूँगा कि उन इलाकों में बड़ा टेन्शन पैदा हो जाएगा। हम ऐसी लेन्ड रिफोर्म चाहते हैं कि जिससे खेती करनेवालों को लैन्ड मिले।

एक बात मैं आपको और अर्ज करना चाहता हूं कि सबसे पहले जब टीनेन्सी एक्ट पास हुआ हमारे सामने यह बात थी कि वहां के लोग बेदखल नहीं होंगे। आपको मालूम होगा कि ३५-४० हजार भाखरा प्रोजेक्ट आदि के लिये प्रार्थना पत्र थे भूमिहीन किसानों के, जमीन मिलने के लिये। आप आंकड़ों को देखें तो आपको मालूम होगा। इस भाखरा प्रोजेक्ट एरिया का सवाल, जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं वहां के भूमिहीन किसान यह आशाएं लगाये बैठे थे कि जिस समय जमीनों का अलॉटमेंट होगा कोलोनाइजेशन एक्ट के तहत तो हमें जमीनें मिलेंगी।

Page No. 50

(श्री केदारनाथ)

३५ हजार दरख्वास्तें थीं। उनमें से केवल ३ हजार को खातेदारी हक प्राप्त हो रहे हैं। ज्यादा जमीनों का हिस्सा उनके हाथों में गया जो यहां जागीर रिजम्प्शन के बाद खुद काश्त के लिये गये उनको अलॉट की गई। इस अलॉटमेंट में यह झगड़ा हुआ कि सरकार ने अपनी मर्जी के माफिक, अपना फायदा देखते हुए इन जमीनों को नीलाम किया। इस नीलामी में कौन लोग शामिल हुए जिनको जमीनें प्राप्त हुईं? इनमें या तो पंजाब के बड़े बड़े जमींदार थे, जिन्होंने वहां की जमीनें बेचीं, सीलिंग से बचने के लिये जमीनें बेचीं और यहां पर जमीनें खरीदी। १८० की सेक्शन का यह अमेंडमेंट जो है वह यदि पास कर दिया गया तो वे लोग जिन्हें अपनी जमीनों का खयाल नहीं, जो पंजाब में बैठे हैं या शेखावाटी में बैठे हैं या बतौर एम. एल. ए. के भी यहां चुन कर आये हैं, उन्होंने वे जमीनें देखी नहीं, या तो उस समय गये थे जब जमीनें अलॉट की या जमीनों पर बोली दी। इस क्लॉज़ को पास कर दिया तो इसके तहत बेदखलियां होंगी, बेदखलियों का तांता बन्ध जायेगा, बहुत से भूमिहीन अपनी जमीनों को छोड़ कर आपके पास आयेंगे। बहुत से कायदे कानून ऐसे बना दिये गये कि जमीन बेचेंगे तो नीलाम के जरिये बेचेंगे। इस इलाके की हालत को देखते हुए, मैं यह नहीं कहता कि कानून बने तो राजस्थान की हालत को आप नहीं सोचें, इमोशनल इन्टीग्रेशन इन्टेग्रिटी की बात करें तो जो इलाका कोलोनी के नाम से कहलाता है, वहां के लोगों के हालात को भी ध्यान में रखें। वहां के लोगों के हालात आज आपके सामने नहीं लाये गये हैं, मैं उनके थोड़े से हालात सदन के सम्मुख रखूंगा। वहां ज्यादा वे लोग हैं जो पंजाब से जमीनें बेच कर आये और राजस्थान में जमीनें खरीदीं, जो इनके काश्तकार रहे, पुंजारे रहे इस आशा से रहे कि कोलोनाइजेशन एक्ट बनेगा, रूल्स बनेंगे तो जमीनें हमें मिलेंगी! अब जमीनें उन लोगों को न देकर उन लोगों के हाथ मजबूत करते हैं जिन्होंने ऑक्शन में या लीज में जमीनें प्राप्त की हैं। इस सेक्शन के तहत एक कलम की चोट से सारी की सारी बेदखली हो जायेगी। उस एरिया में जहां कि लैंड के फंडामेंटल प्रिन्सिपल्स इन्वोल्व्ड हैं, खुद काश्तकार की ऐसी डेफिनेशन है कि हायर पर काश्त करवा सकता है। गंगानगर जिले में सबसे ज्यादा ट्रेक्टर्स हैं, वहां बहुत बड़े बाग–बगीचे हैं, हायर लेबर से काश्त कराते हैं, वहां इस प्रकार का कानून पास करके जहां इन्टरमीजियेरीज़ को खत्म करने का कहते हैं वहां इस प्रकार इन्टरमीजियेरीज़ ज्यादा पैदा हो रही हैं। जहां इस कानून को रिफोर्म के नाम के साथ भूमिहीनों को बसाना चाहते हैं वहां इस तरह इन भूमिहीनों का वहां पर तांता बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे कानून के लचकीलेपन का फायदा उठा कर, सीलिंग को अवोइड करने के लिये जमीनों के टुकड़े कर रहे हैं और सीलिंग लागू होने की हालत में एक बीघा जमीन भी सरेन्डर करने की हालत में एक भी जागीरदार नहीं है। ऐसी दशा में इस प्रकार के कानून से वहां लिटिगेशन होंगे और सरकारी मशिनरी से फायदा उठा कर ऐसी हालत पैदा कर दें जो बदअमनी की हालत कही जा सकती है। यह अहम सवाल है। वहां की ७०, ८०

(श्री केदारनाथ)

फीसदी जनता जमीन से ताल्लुक रखती है। जहां इन्टरमीजियेरोज अबोलिश करने का सवाल है तो ऐसे बिल को-ऐसे बिल को सलेक्ट कमेटी को रेफर करने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसे सलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय।

(दो माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री सभापति : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : माननीय सभापति महोदय, टीनेन्सी एक्ट की चार धाराओं में, १५, १६, २० और १८०, इन चार धाराओं में अमेंडमेंट पेश हुए हैं। मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने विभिन्न दृष्टिकोणों से इनका समीक्षण किया है। पूर्णरूप से इन धाराओं को नहीं लेते हुए आंशिक रूप से इन धाराओं पर अपने विचार रखूंगा।

धारा १५ ए. श जो कि खातेदारी अधिकार दिलाती है इस धारा में विशेष रूप से भाखरा और राजस्थान के क्षेत्र को छोड़ा गया है। सरकार के द्वारा १६५५ का टीनेन्सी प्रोटेक्शन एक्ट बना है उसका यदि विश्लेषण किया जाय तो विभिन्न समयों में उस पर जो प्रभाव आये, सामन्तों और मालिक जमीनों के प्रभाव में आये हैं, वे स्पष्ट हैं। इस एक्ट का मुद्दा भूमिहीन किसानों को राहत देने का है। इसका नारा, 'धरती काश्तकारों की हो,' यह मुख्य नारा है। इसी नारे को लेकर विभिन्न समयों में अलग अलग संशोधन पेश किये गये हैं लेकिन विभिन्न समयों में सामन्ती तत्वों का प्रभाव, मालिक किसानों का प्रभाव इस एक्ट के ऊपर पड़ता रहा है, वह स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है। मैं १५ ए की बात कह रहा था। राजस्थान और भाखरा क्षेत्र में काश्तकारों को खातेदारी हकूक देने की बात है। भाखरा क्षेत्र में ऐसे ऐसे किसान बैठे हैं जो सौ सौ साल से वहां की धरती पर काश्त कर रहे हैं और राजस्थान क्षेत्र में दस, बारह साल से काश्त कर रहे हैं। राजस्थान केनाल क्षेत्र का एक बड़ा भयंकर इलाका था, वहां जंगल और बड़े बड़े टीबे थे। उन लोगों ने १०-१०, १५-१५ मील दूर से पानी लाकर वहां जमे रह कर बड़ी मुसीबत से अपनी जिन्दगी के दिन गुजारे हैं, पानी की भयंकर समस्या के बावजूद भी किसान वहीं पर बैठे रहे, आकाश की तरफ देखते रहे। कभी दो बूंद गिरी हैं तो धान इकट्ठा कर लिया है और इस तरह दिन गुजारे हैं। आज जब राजस्थान केनाल आ रही है, उन लोगों को इतनी मुसीबतें उठाने के बाद एक आशा की किरण दिखाई दे रही है उस समय इस प्रकार के कानून के अन्धकार में उस आशा की किरण को लुप्त करना, उनको खातेदारी राइट्स प्राप्त करने से महरूम रखना किसी भी प्रकार न्याय-संगत नहीं कहा जा सकता। भाखरा क्षेत्र में भूमि नीलाम हो रही है। १७२ लाख रुपया इस मद से सरकार को प्राप्त हुआ है, भाखरा क्षेत्र से १५० लाख रुपया ६१-६२ में प्राप्त हुआ है और ६२-६३ में १७५ लाख रुपया प्राप्त होगा, २५ लाख रुपयों की अधिक भूमि सरकार बेचेगी। तो यह इस प्रकार भयंकर अन्याय हुआ है उन लोगों के साथ जो वहां सैंकड़ों सालों से बैठे हुए हैं। उनकी धरती को

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

नीलाम कर दिया। इस सम्बन्ध में उस इलाके के लोगों ने आन्दोलन भी किया।

धारा २० में खुदकाश्त के नाम पर एक अमेंडमेंट पेश किया है जिसमें बेदखली का अधिकार कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। इन दोनों चीजों को मिला कर देखें। यह भी है इस एक्ट में कि २५ बीघा से जिसके पास जमीन कम है वह नीलाम में जमीन ले सकता है और जिसके पास २५ बीघा से ज्यादा है तो वह नीलाम नहीं दे सकता।

(२.० म. प.)

आप विचार कीजिये। क्या २५ बीघा से कम धरतीवाला किसान इतनी क्रय शक्ति रख सकता है कि खुले बाजार में जाकर नीलामी दे सकें? नीलामी के आंकड़े सदन के सामने रखूं कि एक बीघा धरती पांच सौ रुपये से आरम्भ होकर तीन हजार रुपया बीघा तक की है। आप सोच सकते हैं कि २५ बीघा से कम धरती-वाला किसान,तीन, तीन हजार रुपया बीघा धरती को खरीद सकता है? वह धरती खरीदी है बड़े बड़े मालिकों ने, जमींदारों ने और सरमा-येदारों ने। आज दर्ख्वास्त दे दे किसानो तो धरती पर से किसान को बेदखल कर देते हैं।

इसके अतिरिक्त कम्पेन्सेशन का मामला धारा १६ है वह तय करती है। जब जागी-रदारों के मुआवजे की बात तय की गई उस समय कम्पेन्सेशन की शक्ल में उन सामन्तों को कुछ धरती दी गई। शायद ३० एकड़ उस धरती की स्केल थी। वह काश्तकार जो सही काश्तकार है वह काश्तकार शिकमी काश्तकार के रुप में,सब-टीनेन्ट्स के रुप में आ गया। उन शिकमी काश्तकारों को खातेदारी हासिल करने के लिए मुआवजा देना पड़ा—सरकार ने जागीरदारों को कम्पेन्सेशन के रुप में मुआवजा दिया। यह दोहरे मुआवजे की नीति समझ में आनेवाली नहीं। जो कुछ एक्ट की खामी है और इससे पैदा होती हैं, यह एक्स्चेकर पर बोझा है और शिकमी काश्तकार पर भी भार है। क्या उन शिकमी काश्तकारों को खातेदार बना दिया और उनको खातेदारी के हकूक प्राप्त हो गये? अब भी विचार करें कि बिना मुआवजा लिये इन शिकमी काश्तकारों को खातेदारी हकूक देना चाहिए। खुदकाश्त के नाम पर जो कुछ हो रहा है वह इस टीनेन्सी एक्ट का बहुत बड़ा गुनाह है। वह कांग्रेस की पॉलिसी की ओर संकेत करता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना ली, बागात बना लिए, मेकेनाइज्ड फार्म्स की छूट दे दी गई; यह किसान की गर्दन काटने के लिए बहुत काफी है। बड़े बड़े जागीरदारों ने पांच, पांच सौ, हजार हजार एकड़ धरती के फार्म्स बनाकर बेटे, पौते, भतीजे, भाइयों और उन बच्चों के नाम जिनका अभी तक जन्म ही नहीं हुआ है, कोऑपरेटिव फार्म्स बना कर कोऑपरेटिव कृषि आरम्भ कर दी और उन फार्मों की रक्षा सरकार कर रही है। इसके अतिरिक्त मेकेनाइज्ड फार्म के नाम से किसी ने ट्रेक्टर से धरती काश्त कर ली। एक बूंद पसीना नहीं गिरता मेकेनाइज्ड फार्म, टरबाइन है। हारवेस्ट है, हजारों एकड़ धरती का क्षेत्र आराम से गये, सुपरवाइज कर लिया। पांच, दस सिजारी रख लिये और धरती के खुद काश्तकार हो गये। वह कौनसा न्याय है जबकि

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

वह किसान नहीं धरती का, हाथ में हंसिया नहीं, दांतली नहीं, मेहनत नहीं करता, फसल नहीं काटता ? कोई कानून ऐसा नहीं होना चाहिये जो उसको इस प्रकार भूमिहीन बना दे। कानून की कोई इस प्रकार की दफा बना दी जो काश्तकार के जीवन को खत्म करने वाली दफा है, उसके प्रति अन्याय की दफा है। इस प्रकार ये सारे अन्याय हैं जो ये एक्ट्स अपने अपने स्थान पर देते हैं जिनका कि मैंने वर्णन आपके सामने किया। इन चार दफाओं में अमेंडमेन्ट्स हैं बल्कि मैं तो कहता हूं कि सारा टीनेन्सी एक्ट ही किसी न किसी जगह इस तरह का सुराख देता है जिससे काश्तकार के हकूक पर कुठाराघात हो। मैं अपने जिले की मिसाल देता हूं, शायद राजस्थान के दूसरे जिलों से मेल न खाये। सन् १६४६ में एक्ट बना। एक्ट के बनने से पहले ही घोषणा हो गई थी कि टीनेन्सी प्रोटेक्शन एक्ट आ रहा है। सन् १६४८ और १६४६ में सारे गंगानगर जिले में इस प्रकार को लहर चली गई कि जमीदारों ने गिरदावरियां अपने नाम दर्ज करवाना शुरु कर दिया। उन काश्तकारों, उन मुजारों को जो गिरदावरी नहीं दर्ज कराते थे उनको बेरहमी से बेदखल कर दिया गया। इस सम्बन्ध में ४४७ के कानून की तरह कोई कानून नहीं था कि जो मुजारों को प्रोटेक्शन देता। बीस बीस, तीस तीस साल के मुजारे में उनके नाम से गिरदावरियों का मोड़ बदल दिया। परमानेन्ट होने के कारण उनके उस धरती पर हकूक थे। वकील और अदालतें कह देते है कि गिरदावरियों की दुरुस्ती करवाई होती। एक कॉन्फिडेन्शियल लैटर जारी हुआ जमीदारों और जागीरदारों को राहत देने के लिए कि मुजारों को शामिल न किया जाय और गंगानगर मे मुजारे साफ हो गए और मालिकों के पास धरती चली गई और मालिकों ने उस धरती को अपने बेटे-पौतों के नाम पर बांट कर टुकड़े कर दिये। आज स्थिति यह पहुंच गई हैं कि सीलिंग से पता नहीं चलता, सौ बीघा से अधिक जमीन उनको प्राप्त हैं। इस कानून में किसानों का भाग्य जुड़ा हुआ है। इसलिए सभापति महोदय, मैं अपनी राय जाहिर करुंगा कि इसको एक सलेक्ट कमेटी के सामने पेश किया जाय और सन्जीदगी के साथ इस पर विचार किया जाय।

(कई माननीय सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री सभापति : श्री मुकुटबिहारी लाल।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): सभापति महोदय, आज राजस्थान में भूमि सुधार के नाम से कहे जाने वाले टीनेन्सी संशोधन एक्ट पर विचार कर रहे हैं। अगर वास्तविक रुप में देखा जाय तो यह कहा जा सकता है कि राजस्थान सरकार की सन् १६४६ से ही यह नीति रही है कि वह किसानों को राहत पहुचाना चाहती है एक तरफ किसानों को राहत पहुंचाने के नाम पर दिन और रात कानूनों की बाढ चली आती है, संशोधन पर निकलते चले आते हैं एक तरफ इस तरह संशोधन के लेजिस्लेशन्स के द्वारा सुधारों की बाढ चली आ रही हो और दूसरी तरफ किसान बेदखल होते चले जा रहे हैं, भूमिहीनों की

(श्री मुकुटबिहारीलाल)

संख्या बढ़ती चली जा रही है; यह स्वयं में एक विरोधाभास है। यह बात कही जाने का परिणाम बुरा ही दिखाई दे रहा है। कहते हैं कि किसान को राहत पहुंचा रहे हैं, इतनी किसानों को राहत पहुंचा दी गई जब कि दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि लगातार किसान बेदखल होते चले जा रहे हैं, भूमिहीन किसानों की फौज की फौज चली आती है। यह स्वयम् में एक विरोधाभास है इस पर शांति के साथ विचार करना पड़ेगा।

यही नहीं, जब हम कानून को पेचीदगियों पर थोड़ी नजर डालें सभापति महोदय, तो हम इस नतीजे पर आते हैं कि जहां राजस्थान टीनेन्सी एक्ट का सवाल है मेरे पूर्व वक्ता ने लम्बी चौड़ी तकरीर करके बताया है कि समय समय पर क्या इसकी हिस्ट्री रही है, इसका क्या इतिहास रहा है उस लम्बाई चौड़ाई में मैं नहीं जाऊंगा लेकिन एक बात यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की दशा उस तरह से है कि जिस प्रकार से फ्रांस की व्यवस्था है। उसके बारे में पढा करते थे कि जहां तक फ्रांस की व्यवस्था का सवाल है वहां सरकार इतनी जल्दी बदल दी जाती है कि जितना जल्दी कोई भला आदमी एक कमीज उतार कर बदल देता है। जहां तक कानून को व्यवस्था का सवाल है कम से कम राजस्थान के अन्दर आर्डिनेन्सों, के द्वारा या संशोधनों के द्वारा इतना जल्दी बदल दिया जाता है कि उससे पता लगाना कठिन है कि कब आया और कब बदल गया। सुबह कानून बनते हैं, शाम को बदले जाते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इससे काश्तकारों का भाग्य अधर में लटकता रहता है। यह कितनी अनसर्टेन्टी है। सभापति महोदय, निवेदन करूंगा कि कानून में यह हमेशा लिख दिया जाता है जैसा कि इन संशोधनों में भी लिखा आज हम इसको पास करने की सोचते हैं फिर भी इसमें लिख दिया जाता है।

"These provisions shall be inserted and deemed to have always been inserted." इसके मायने यह हुए कि आज हम जो संशोधन पास करते हैं उसके लिये यह माना जाय कि १५ अक्टूबर, १९५५ में जब यह कानून अमल में आया था तब से यह संशोधन अमल में आया हुआ माना जायगा। इसके मायने यह होते हैं कि वह काश्तकार जिसके लिये कानून के तहत पक्षपात किया जा रहा है इस संशोधन के अभाव में पहले से ही बेदखल हो गये हों उनके बारे में आप क्या राहत देना चाहते हैं? जब कि हम यह मान लेते हैं कि इस कानून में जो संशोधन हम करने जा रहे हैं वे १९५५ से लागू हुए मान लिये जायें तो हमें इस व्यवस्था के बारे में सोचना चाहिये। ६२ तक तो यह जो संशोधन हम करने जा रहे हैं वे अब तक तो लागू हुए ही नहीं थे इससे आम किसान को जो नुकसान हुआ है उनके हित के लिए आप क्या व्यवस्था करते हैं?

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इतना बड़ा संशोधन जिन संशोधनों के अनुसार किसान बेदखल हुआ ऐसी सूरत में एक कमेटी होनी चाहिये जिसके पास ये संशोधन जायें और वे इस पर विचार करके सदन के सामने रखें। उसमें सरकार पहल करे इस

(श्री मुकुटबिहारीलाल)

कमेटी के निर्माण में । वह यह देखे कि किसान इसके कारण कितना परेशान है, उसकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार से कमजोर है लिटिगेशन के कारण बेदखल तो नहीं हुआ, किस किस प्रकार के मेजर्स एडॉप्ट किये जायं, किस प्रकार के हाई पॉवर एक्शन्स एडॉप्ट किये जायें जिससे उसको जमीन दिलायी जा सके, इस सब में सरकार की ओर से पहल होनी चाहिये ।

भाखरा, चम्बल और राजस्थान नहर से जहां जहां भी सिंचाई होगी वहां के बारे में कहा जा रहा है कि हम खातेदारी राइट्स दे रहे हैं ले नहीं रहे हैं । यह समाजवादी व्यवस्था की डींग हांकने वाली सरकार का नमूना ! क्या कारण था कि चम्बल एरिया में भाखरा एरिया के अन्दर, राजस्थान केनाल एरिया के अन्दर पहले जो काश्तकार थे उनको पहले पहल खातेदारी राइट्स कन्फर्म क्यों नहीं किये ? जागीरदारों से पीड़ित किसान इस बात की आशा लगाये हुए थे चातक की तरह से कि उनके भाग्य का फैसला कब होगा । भगवान की असीम कृपा से उन लोगों की भाग्य की पुकार के कारण उस एरिया में कुछ उन्नति हुई, राजस्थान नहर निकली किन्तु अभी तक उनके राइट्स कन्फर्म नहीं किये गये, उनको रोका जाता है । इससे क्या मन्शा है सरकार की ? वास्तव में क्या काश्तकारों के हकों की रक्षा करना चाहते हैं ? केनाल एरिया के प्रपोजल्स प्रस्तुत होने से पहले यह व्यवस्था कर देनी चाहिये थी कि हम उस एरिया में रहने वाले हरएक काश्तकार को प्रोटेक्ट करेंगे, उसके खातेदारी राइट्स कन्फर्म करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया । इस संशोधन द्वारा चार धाराओं में संशोधन की बात कही गई जिसमें १५ ए के तहत जो संशोधन की बात कही गई है जैसा कि मेरे माननीय मित्रों ने कहा, यह प्रोविज़न सुपुरफ्लुअस है । लेकिन यह निर्विवाद सत्य है कि धारा १५ के अन्दर जो प्रोपोजल्स दिये गये हैं उसके अनुसार हम किसान को पीछे ले जाना चाहते हैं । इसके द्वारा किसान को एक अधिकार देना चाहते हैं किन्तु साधन देना नहीं चाहते ।

इसके अलावा तीन धारायें और रह जाती हैं, सभापति महोदय, १९, २० और १८० । उनके अन्दर अब तक जो जिक्र है उससे तो हम पीछे की तरफ ले जा रहे हैं, जब कि जमाना आगे की तरफ जा रहा है । इस संशोधन के द्वारा हम किसान को पीछे धकेलना चाहते हैं, जो साधन और सुविधा काश्तकारों को प्रदान की गई है उसे वापिस लेना चाहते हैं । धारा १९ के अन्तर्गत यह बात कही गई प्रिन्सिपल एक्ट के अन्दर कि ऐसा किसान जो खातेदारी राइट्स को अवेल नहीं करना चाहता उसके लिए इस बात की सुविधा थी कि छः महीने के अन्दर दरख्वास्त दे सकता था, उसमें वह प्रगट कर सकता था कि कम्पेन्सेशन देने के लिये तैयार नहीं, इसलिये खातेदारी राइट्स न दिये जायें । इसके जरिये ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि तीन वर्ष तक की सुविधा दे दी जाय । इसके मायने यह हुए कि गरीब काश्तकार कानून की पेचीदगियां नहीं समझता, बड़े बड़े जागीरदार, सरमायेदार, इजारेदार के दबाव में रहते हैं । उनको इनके दबाव पर छोड़ दिया ताकि वे दबाव डाल कर-डरा धमका कर या दूसरे साधन काम में लेकर उसको मजबूर करें. वह उस जमीन को छोड़ दे और एस० डी० ओ० को दख्वास्त कर दे

(श्री मुकुटबिहारीलाल)

कि वह खातेदारी राइट्स नहीं लेता। छः महीने की मियाद खत्म होने के बाद स्वयं खातेदारी के अधिकार मिल जाते हैं, उसके लिये फिर तीन साल की मियाद बढ़ा दी जाती है, फिर से उसको जो स्थिरता मिली हुई थी उसको फिर से अस्थिरता में बदलना चाहते हैं ताकि वह फिर से इस बात के लिये तैयार रहे कि कब, क्या और किस प्रकार का दबाव आ सकता है।

जहां तक धारा २० का सवाल है सिद्धान्त रूप से यह माना जाना चाहिये कि ज़मीन उसी की है जो जोते, एक्चुअली जमीन का टिलर जमीन का जोतनेवाला है। वही मालिक है, वही अन्नदाता है, वही खातेदार है। यहां इसी सिद्धान्त को मानकर चलनेवाली बात थी। यहां मुआवजे का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस धारा २०के तहत इस व्यवस्था में परिवर्तन करने की बात कही जा रही है कम्पेन्सेशन और मुआवजे के लिए मौजूदा दो साल के समय की मियांद रखी गई थी इसमें भी संशोधन करके इसकी मियाद को बढ़ाया जा रहा है, उनको फिर से मौका दिया जा रहा है जो किसानों की गर्दन दबोचने के लिए हमेशा मौजूद हैं। जहां उसकी मियाद खत्म होने आ रही थी, उससे किसान को राहत मिल रही थी वहां पर इसमें भी दो साल और बढ़ाये जा रहे हैं। इस तरह से सभापति महोदय, यह पीछे की तरफ ले जाने वाला प्रावधान है।

इसके अलावा धारा १८० का सवाल है। इसमें दो क्लॉजेज़ हैं। इसकी स्प्रिट भी मूल भावना को पीछे ले जाने वाली है। हम सुधार की तरफ पहल नहीं करते बल्कि पीछे ले जाने की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे धारा १८० के क्लॉज़ बी में यह बात कही गई है; मूल धारा इस प्रकार थी जिसमें यह बात कही गई थी कि जो जी में है? पर पहले कुछ शब्दों को हटाकर यह प्रावधान था सेक्शन ४५ के अन्दर जिसके सब-लॉज पर या दूसरे दूसरे तरीकों पर सब-टीनेन्ट या ऐसा टीनेन्ट था उसको बेदखल किया जा सकता था और इसके साथ ही साथ जो प्रोवीज़ो ऐसा था कि ईयर टू ईयर माना जावे, उसको बदल कर रिप्लेस किया जाने को है इस प्रकार है कि that he is a tenant or sub-tenant holding from year to year :

पर इसमें भी मूल धारा में कोई आधार नहीं बता कर एक्सप्लेनेशन और जोड़ दिया गया है इससे मंशा साफ है :

"For the purpose of clause (b) a tenant or sub-tenant holding from year to year shall include a tenant or sub-tenant who remains in possession of the holding after the determination of the lease or sub-lease and the lessor or his legal representative accepts rent from the tenant or sub-tenant, or otherwise assents to his continuing possession." इसके माने यह हुए कि यह विधान था कि अगर उसको बेदखल उस स्थिति में किया जा सकता था कि ईयर टू ईयर कन्डीशन थी। पर अब क्या कर दिया, अगर कोई रिप्रेज़ेन्टेटिव उनके लिए सहमति दे दे या लगान स्वीकार भी करले ऑथेरिटी ऑफ कन्टीन्युएन्स का प्रमाण भी दे दे तो भी ईयर टू ईयर का काश्तकार माना जावेगा,

(श्री मुकुटबिहारीलाल)

टर्म खतम हो जाने के बाद दूसरे हक प्राप्त कर सकेगा। पर इस एक्सप्लेनेशन के द्वारा उस पर कुठाराघात किया गया है।

सी के मूल सेक्शन में बहुत ही चालाकी के साथ पेश किया है संशोधन और वह यह है कि मूल में जो बात कही गई थी कि पर्सनल कल्टीवेशन के लिये किसी को आवश्यकता हो तो बेदखल किया जा सकता है, पर इसकी तहत एक बात करदी : "The lease or sub-lease granted after the commencement of this Act under section 45 has expired or will expire."

Your honour! 'or will expire' का क्या मतलब है ? लीज़ तो दे दी पांचसाल के लिये। पांच साल का समय पूरा नहीं होने पर भी एक्सपायर जरूर हो जायेगा, हालांकि चार साल बकाया हैं। लीज की मियाद से पहले भी बेदखल किया जा सकता है। यह मंशा है।

श्री रामप्रसाद लडढ़ा (उप मन्त्री, राजस्व) : यह नहीं है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : हो सकता है, जैसा मिनिस्टर-इन्चार्ज कहते हैं वैसा हो। पर मैं तो यही समझा हूं। वे अपना स्पष्टीकरण कर दें।

श्री रामप्रसाद लडढ़ा : It is never the meaning.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : "that a eease or sub-lease granted after the com mencement of this Act under sec. 45 has expired or will expire and the land-holder requires the land for personal cultivation..." "विल एक्सपायर" शब्द मूल एक्ट में नहीं है। तो सभापति महोदय, यह निवेदन मैं कर रहा था कि ये तमाम संशोधन जो लाये जा रहे हैं इनसे हम पीछे की तरफ ले जा रहे हैं, आगे की तरफ नहीं। आज समय की मांग है कि गरीब टिलर को, किसान को, जोते को और जमीन पर काम करने वाले को सही माने में जमीन का मालिक बनाया जाने की तरफ पहल करें। तो जिस किसानका भाग्य जुड़ा हुआ हो उसमें हम जल्दबाजी न करें। इसके लिये काम (calm) थिंकिंग और मेडीटेशन की आवश्यकता है। इसलिए मैं समझता हूं कि प्रवर समिति में इसका जाना उचित होगा, ताकि वहां पर वेरियस एक्ट इनेक्टमेंट पर गहनता से अध्ययन करने के बाद किसान को क्या क्या सहूलियतें दी जा सकती हैं, इसके बारे में पूरी रिपोर्ट सदन के समक्ष आ सके और फिर सही तरीके से हम किसान को राहत दे सकें। हमारे किसान के लिये और मूक जनता के लिये जो करोड़ों की तादाद में राजस्थान में रहो है यह हितकर होगा।

श्री सभापति : The Hon'ble Member on the extreme right.

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमंद): I never expected to catch the eye of the Chair.

श्री सभापति : The Hon'ble on the last bench--Shri Hardutt Singh.

श्री हरदत्तसिंह (नोहर) : सभापति महोदय, मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदन ने सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि अब तक राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

(श्री हरदत्तसिंह)

में बराबर संशोधन पेश करने के कारण कुछ मूलभूत गलतियां इस बिल में मालूम पड़ती हैं इस वजह से इसे प्रवर समिति के सुपुर्द करने का सुझाव आया है तो मैं इसका समर्थन करता हूँ।

मैं इस बात की ओर विशेष तवज्जोह दिलाना चाहता हूं कि बार बार इस बिल में जो संशोधन आये हैं उनमें दो बातें ध्यान में रखने की हैं। एक तो ऐसा होता है कि कोई अकस्मात् ऐसी हालत विशेष रूप से उपस्थित हो जावे जिसमें इसमें तरमीम करने की आवश्यकता हो तो होनी चाहिये, पर मैं यह बात खास तौर से कहूँगा कि टीनेन्सी एक्ट में जो बार बार तब्दीलियां हुई हैं उनमें जानबूझ कर खामी रखी गई सरकार की ओर से कि जिससे इस तरह की तरमीमें लाने के लिए रास्ता खुला रहे।

उसूल के लिए अर्ज करूंगा कि दफा १५ टीनेन्सी एक्ट की जो है वह खातेदारी हक देने के लिए है और इससे किसान को आसानी से खातेदारी हक मिले हैं, लेकिन जहाँ साधारण जमीन थी मामूली हैसियत की वही वह जमीन जिसमें पानी आना था, आ गया या आने की संभावना थी उन जमीनों को जानबूझ कर दफा १५ के प्रावधान से अलग १५ ए कायम की गई, दफा १५ में में यह अपवाद रखा। अब जो तरमीम सरकार ला रही है वह भी एक अपवाद है। १५ ए १५ का अपवाद है और आज की तरमीम उसका अपवाद है। तो सरकार एक अपवाद पर दूसरा अपवाद संशोधन के रूप में लाती रही है। इस तरह यह अपवादों की एक कड़ी चल पड़ी है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह अपवादों की कड़ी टूटे इसलिये इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे।

सभापति महोदय, आप १५ के अपवाद को देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि राजस्थान सरकार ने क्या खिलवाड़ की है। मैं इसके लिये विशेष उदाहरण पेश करना चाहता हूं और सबसे पहले मैं आपका ध्यान राजस्थान सरकार ने जो १५ ए व के तहत निर्णय किया है उसकी तरफ दिलाऊंगा कि जिससे सरकार नहरी और कीमती जमीनें जो होंगी उनको बेच कर पैसा कमावेगी। इसलिए ऐसी जमीनों को १५ ए के तहत कोलोनाइजेशन एक्ट की दया पर सरकार ने छोड़ दिया। इसके मुताबिक जिनके पास पहले से खातेदारी हक थे ऐसे बहुत थोड़े लोग थे। उनको छोड़ कर बाकी दो श्रेणियां ऐसी बचीं जो इसकी मार में आई। जिनके पास पीढ़ियों से जमीनें थीं जिनके पास सौ, डेढ सौ बीघा थी उनकी जमीनें काट कर उनको ५० बीघा कर दिया और जिनके पास ज़मीने बिल्कुल नहीं थी उनको १५ बीघा कर दिया काट कर। इस तरह पचास और १५ बीघा कुल दो तरह के अलॉटीज़ नहरी इलाके में कायम किये गये। पर इसके बाद क्या होता है। नहर आने के बाद उस इलाके में क्या होता है ? वह इलाका जो नहर आने के बाद सरसब्ज होने वाला था और जिसकी संभावना से वहां की जमीन को बांट २ कर छोटा कर दिया था कुछ नहरें वहां की मंसूख हो गई। मैं आधे दर्जन ऐसी नहरों का नाम गिन सकता हूँ जो इस तरह से अलॉटमेंट होने के बाद कैन्सिल हो गईं। इन लोगों को कायदे के मुताबिक ५० के बजाय १५० और १५ के बजाय ४५ बीघा

Page No. 59

(श्री हरदत्तसिंह)

जमीन मिलनी चाहिए थी, लेकिन इस कोलोनाइजेशन एक्ट की महरबानी से १५ और ५० बीघा को रख दिया गया और अब उसका कोई इलाज नहीं है। उसका एक ही इलाज है कि इस बिल को और धारा १५ सी को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये और उस प्रवर समिति को बताया जाये कि इस तरह के अन्याय को दूर करने की कोशिश की जाये।

सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय सदस्यों का ध्यान इस बात की तरफ खास तौर से दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने जहां यह तय कर लिया था कि दफा १५ सी की पाबन्दी लाकर काश्तकारों के हकूकों को कम किया जायेगा या खत्म किया जायेगा वहां पहले से ही यह तय था कि जिन किसानों की जमीन १५ और ४५ बीघा लेकर बचत रकबा राज की जायेगी यह नहर आने से बहुत कीमती हो गयी। उन जमीनों का फायदा सरकार ने अपने खास मेहरबान और अपने कृपापात्रों को दिया। इसके लिए मैं आपके सामने ३ तरह के उदाहरण देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो वे लोग हैं जिनको भूमि पब्लिक ऑक्शन से दी गयी। पब्लिक ऑक्शन के लिए जैसा कि मेरे से पहले बोलने वाले एक माननीय सदस्य ने बताया है कि जिनके पास २५ बीघा से ज्यादा जमीन है वह पब्लिक ऑक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। लेकिन इसका यानि पब्लिक ऑक्शन का रेकार्ड देखा जाये तो आपको ताज्जुब होगा कि राजस्थान सरकार ने सन् १९६१ और १९६२ में पब्लिक ऑक्शन से इस नहरी जमीन से १ करोड़, ७१ लाख रुपया कमाया और यह सारी को सारी कमाई उन लोगों के पेट पर लात मार कर की गयी है जिनकी भूमि काट दी गयी थी कोलोनाइजेशन एक्ट के तहत, जो कि १५ सी की पाबन्दी लगाने से उनको अपनी जमीन का खातेदारी हक नहीं मिलने को हुआ था। इसके अलावा यह प्रहार उन लोगों पर भी था जिनकी जमीन कोलोनाइजेशन एक्ट के तहत नहीं आती और दफा १५ ए नहीं लगायी जाती तो भूमिहीनों को बजाय १५ के ४५ बीघा जमीन मिलती। लेकिन यह इस लिए नहीं हुआ कि सरकार की नीयत थी कि इस जमीन को बेच कर पैसा कमाया जाये। यह समाजवाद की नीति नहीं है, यह बनियावाद और केपिटेलिज्म की नीति है....

श्री गोकुलचन्द (कठूमर-सु) : यह बनियावाद क्या होता है ?

श्री हरदत्तसिंह : केपिटेलिज्म--इसलिए मैंने खुलासा कर दिया। तो मैं इसके लिए एक चीज़ जो बता रहा हूँ वह यह है कि १ करोड़, ७१ लाख रुपया जो राजस्थान सरकार ने पिछली साल भूमि बेच कर कमाया है इसमें कम से कम ८० लाख रुपया उन लोगों का है जो कि भूमिहीन हैं। दूसरा उदाहरण मैं हाउस के सामने यह रखता हूँ कि भाखरा एरिया में २१ हजार दर्ख्वास्तें भूमिहीन लोगों ने भूमि अलाट किये जाने के लिए दी। उनको जमीन मिलने का हक था....,

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : वह भूमिहीन पंजाब से आये हुए थे।

श्री हरदत्तसिंह : यह आपको गलत बताया गया है। आपकी दलील गलत है....

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द):

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

लेकिन आपका कोई सम्बन्ध नहीं है। पंजाब से आपको क्या खतरा है ?

श्री हरदत्तसिंह : आप चाहे कुछ भी कर दो। तो २१ हजार दर्ख्वास्तें मैं आपको बता रहा था भूमिहीन लोगों ने दी। उसमें से करीब ५ हजार दर्ख्वास्तें ही मंजूर हुई, बाकी की दर्ख्वास्तें कुछ तो नामंजूर हो गयीं और कुछ दर्ख्वास्तें पेन्डिंग पड़ी हैं और उनको राजस्थान केनाल और दूसरी जगह भेजने के लिये तजवीज हो रही है। इसके लिए मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर ये जमीनें पब्लिक ऑक्शन से नहीं बेची जाती तो यह उन भूमिहीनों को मिलती। अब मैं आपको एक बात और बताऊं कि भूमिहीनों की इतनी हैसियत नहीं है कि पूरी कीमत देकर हाइएस्ट बिड देकर इस जमीन को ले लें, क्योंकि ऑक्शन की शर्त यह है कि १।४ रुपया पहले जमा कराया जाता है। अब यहां पर जमीनें १, १॥ और २ हजार पर बीघा पर जमीन बेची गयी हैं। इस तरह से १।४ जमा कराना भूमिहीनों के काबिल बात नहीं थी। इसके अलावा ऑक्शन की यह भी शर्त थी कि जमीन वही ले सकेगा जो कि २ महीने के अन्दर पूरी रकम दे देगा। यह भी उनके बिरते से बाहर की बात थी।

मैं माननीय मुख्य मन्त्री महोदय की कही हुई बातों की तरफ ध्यान दिलाता हूं। हमारे माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने बड़ी शान से यह कहा था कि उनकी सरकार ने ७० हजार बीघा जमीन भूमिहीनों को दी। मैं यह अर्ज करता हूँ कि यह बात सही नहीं है। इसके बदले में हां, यह जरूर कहा जा सकता है कि उन्होंने ३,००० दर्ख्वास्तें मंजूर की हैं और उनको जमीन दी है। इस सिलसिले में मैं एक बात और अर्ज कर देना चाहता हूं कि पब्लिक ऑक्शन की जमीन आखिर किसके पास गई। जिनके पास २५ बीघा पहले से ही थी वह तो खरीद नहीं सकते थे। तो फिर प्रश्न यह उठता है कि क्या यह भूमिहीनों के पास गयी ? अगर आप यह लिस्ट बनी देखें तो आपको मालूम होगा कि यह सारी जमीन डॉक्टरों को, रिटायर्ड सरकारी मुलाजिमों को और सरकारी ऑफिसरों के रिश्तेदारों को मिली और उन्होंने ही इस भूमि को खरीद किया है। जिनके पास जमीन नहीं थी और जो न काश्तार थे उन्होंने यह जमीन ली। इस तरह से इस भूमि को खरीदने में लैण्ड लॉर्ड्स का भी हाथ रहा है। इन्होंने अपनी जमीनें सीलिंग से बचने के लिए बेच दी और इसके बाद यह जमीन बोली देकर बच्चे और औरतों के नाम से खरीदी। इस तरह से सीलिंग से बचने का फायदा इस पब्लिक ऑक्शन से हुआ है। इसलिए मैंने भी एक संशोधन रखा है कि जिनको पब्लिक ऑक्शन से जमीन दी गयी है उनको खातेदारी हकूक नहीं दिये जायें क्योंकि आपने जिस कानून के तहत उनको जमीन दी है वह उनको खातेदारी हकूक नहीं देता। इसलिए अब आप उनको खातेदारी हकूक देना चाहते हैं, इस तरमीम के जरिये यह उनको खातेदारी हक नहीं मिलने चाहिए।

दूसरी बात जिसकी ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ वह यह है कि इस कानून का फायदा कुछ और लोगों ने भी

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

उठाया है जिनको पोलीटीकल सफरर कहा जाता है। उन लोगों ने भी इस नहरी एरिया में जमीन अलॉट कराई। इसमें दो बातों पर विशेष रूप से अर्ज कर देना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि जिनको पोलिटीकल सफरर बनाया गया है उनकी लिस्ट देखी है। उसमें अधिकांश ऐसे लोग हैं जो कभी जेल नहीं गये, जिन्होंने एक पैसा कभी जुर्माने का नहीं भरा, जिनका कोई रोज़गार बर्बाद नहीं हुआ। xxx उनकी परवरिश के लिए कुछ लोगों को यह जमीन दी गयी........

श्री निरंजननाथ आचार्य : xxx होने के बाद ही तो सफरर हुए हैं।

श्री हरदत्तसिंह : पोलिटीकल शोषक हैं और वे किसानों के ऊपर बोझ हैं। यह बात ध्यान देने की है। इसमें ज्यादा तादाद उन लोगों की है जो कि खेती नहीं करते, टीलर्स ऑफ दी साइल नहीं हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस तरह के इस नहरी एरिया में जो सरकार को बचत रकबा मिली, किसान की जमीन काट कर जिनको जमीन दी गयी वे मिडल–मैन हैं और ऐसे मिडल मैनों की जमात सरकार ने खड़ी की है। १५ ए के मुताबिक उनको खातेदारी हकूक दे दिए। तो मैं निवेदन करूंगा कि अगर आपकी सरकारी बैंचों की तरफ से, जो काफी समाजवाद का नारा लगाया जाता है वह सरकारी समाजवाद है, कागज़ी समाजवाद है। जहां तक किसानों का सम्बन्ध है उनका इस समाजवाद से कोई वास्ता नहीं है। अगर आप इसी को समाजवाद कहते हैं तो मैं कहूंगा कि फिर तो आपकी नीति किसानघातक नीति है। इसलिए मैं सरकारी बैंचों के ऊपर बैठे हुए माननीय सदस्यों से अपील करता हूँ कि अगर आपके दिलों में जरा भी किसानों के लिए हमदर्दी है तो फिर जैसा मैंने तीन टाइप बताये हैं उनको खातेदारी हक मत दीजिए और बीच में मिडलमैन को खत्म करने की जो नीति है उसको अमल में आने दीजिए। अगर ऐसा करते हैं, फिर तो आपका समाजवाद रह जायेगा, वर्ना आपका यह समाजवाद सिर्फ कागजों में ही रहेगा। इसके साथ ही मैं यह निवेदन करूंगा कि मेरी यह राय है कि इस बिल की पूरी जांच के लिए इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये ताकि किसानों के हकों की रक्षा हो सके।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : माननीय सभापति महोदय, आज जो टीनेन्सी संशोधन बिल यहां पर पेश हुआ और उसके बारे में प्रवर समिति को देने के लिए संशोधन प्रस्ताव भी आया उसका मैं समर्थन करता हूं। उन्होंने कौनसी मंशा से प्रवर समिति को देने का यह प्रस्ताव किया है, यह तो मैं नहीं कह सकता लेकिन जो बिल यहां पर सरकार की तरफ से आया है उसमें साफ नहीं है। उसमें वहीं तरीका है कि पूरी बागडोर भी अपने हाथ में रखें और कानून में कई तरह के ऐसे प्रोविजन देकर इसको रखा है क्योंकि आखिर में इनको भी पालना है और हमारे बड़े बड़े पैसे वालों को पालना है और बीच का आदमी कहीं कीचड़ मे फंसा रहे तो उसको निकलने वाला कोई नहीं है। माननीय सभापति महोदय, ऐसे कानून का उदाहरण, चारागाह का जो कानून बना है उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं रहने-

---

xxxअध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री हीराभाई)

वाला है । उसमें एक रुपये से १५ गुना जुर्माने का कानून बना दिया । उस कानून का तहसीलदार को मालूम नहीं है कि किस तरफ वह जाता है और उसके आधार पर कम से कम अच्छा चरागाह है या नहीं, सेटलमेंन्ट वालों ने काम किया है या गांव वालों ने चरागाह की भूमि कायम करके चारागाह कायम किये हैं। यह नहीं मालूम होता है और आंख मीच कर जुर्माना कर दिया जाता है और एक किसान पर ५००) रु० या हजार रुपये जुर्माने के हो जाते हैं । उसी तरह का यह भी कानून है । एक तरफ हम कहते हैं कि सब छूट दे देते हैं वह भूमि का अधिकार प्राप्त कर सकता है और दूसरी तरफ दावा करने की छूट देते हैं। दो के बजाय चार कर दिया और तीन के बजाय ६ कर दिया । दूसरी तरफ, छूट किस को देते हैं ? वह पैसे वाले को मिलेगी, क्योंकि न तो गरीब आदमी कानून का जानकार है और न गरीब आदमी कानूनी लड़ाई लड़कर अपने अधिकार प्राप्त कर सकता है; अपने अधिकारों को कायम रख सकता है । तो इस संशोधन को शामिल करने का मतलब यह है कि वे आदमी कौन होंगे जो कि कानून जानने वाले आदमी होंगे वे काश्त करने वाले आदमी नहीं होंगे वे निन्दाई-खुदाई करने वाले आदमी नहीं होंगे । वह आदमी कानूनी ढंग से क्योंकि गरीब किसान तो खुदकाश्त करनेवाला है वह अपने धन्धे में रहेगा और वह जाकर इस कानून के तहत अपना मतलब हासिल कर लेगा । उसके आधार पर गरीब के लिए कोई कानूनी पाबन्दी नहीं रहेगी कि उसकी जमीन उसके पास रहेगी ।

सिर्फ यही संशोधन लाना था कि कोई नहरी जमीन है उसके संबंध में जैसा सीलिंग में आधार है वह ठीक नहीं मानता । वहां १ बीघा में साढे पाच मन पाक होता है तो भी वह एक मन बता दे और १० मन हो तो भी एक मन बता दे । १५ एकड़ तक की कोई सीमा बना कर उसको अधिकार सरकार की तरफ से दिया जाता और कानून के पोपले में नहीं पड़ते तो मैं समझता हूं कि सीधा काश्तार के हक में संशोधन लाकर सूर्य के प्रकाश में लोगों को लाया जा रहा है । काश्तकार के नाम से कुछ अधिकार मिल जायेंगे और वह अधिकार फिर किसी को भी हो, उसमें शिकमी काश्तकार, पट्टेदार, सब-पट्टेदार काश्तकार सभी आ जाते हैं । जिनके पास में पैसा होगा अपनी जमीन ले लेंगे, बाकी जो नीचे का आदमी है वह पिछड़ता हुआ चला जायगा ।

मेरी राय है कि इस कानून को प्रवर समिति में दिया जाकर कुछ छूट कानूनी पॉइन्ट को नहीं जानने वाले हैं उन सारे आदमियों की राय ली जाय कि सस्ती जमीन कैसे प्राप्त होगी और जमीन पर दूसरे का हक तो नहीं मार लिया जायगा, उस तरह का कानून कैसे बनाया जाय, उसका रास्ता कैसे निकाला जाय तो इस तरह से सीधा रास्ता जो वकालत नहीं करते हैं ऐसे आदमियों की एक कमेटी बनाकर रास्ता साफ कर दिया जाय तो यह बिल्कुल ठीक हो सकता है और किसानों के हक में हो सकता है । करीब २ किसानों के कोई वकील नहीं हैं जो कानून में बतायें कि फलां तारीख से फलां तारीख तक अधिकार है और उस तारीख के बाद अधिकार समाप्त होता है । गवर्नमेंट को यह सीधी व्यवस्था करनी चाहिए कि किस तरह से उनको खेती के

(श्री हीराभाई)

अधिकार दिये जायं और भूमिहीनों को इस आधार से भूमि दिलाये जाने का प्रोविज़न बनायें तब तो ठीक है। यह तो इस तरह की बात हो गई कि गांव में जिस प्रकार से ठग और धूर्त लोग जाते हैं और जाकर कहते हैं कि तुम्हारे यहां यह बुराई आने वाली है उसको दूर करने के लिए हम आये हैं और बहुत बड़े जानकार हैं और समझदार हैं और कई तरह के ढोंग करके और नक्शा लेकर बताते हैं कि १००, ५०वीं पीढ़ा आई है और तुम इसको पूरा कर दो और बदनियती का व्यवहार रखोगे तो पीड़ा ज्यादा बढ़ने वाली है। वह इस तरह से धमकी देकर अपना मतलब हासिल कर लेता है और ५०–६० रु० की पूंजी लेकर चला जाता है। तो उसी तरह से सरकारXXX जो नाम पड़ता है वह नाम नहीं रखकर उस तरह की पॉलिसी से गरीबों की खाल खींचने और अपने हाथ में बाग-डोर लेने और पंचायतों को अपने हाथ में लेने का कानून पास करना चाहे तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन गरीबों के हक में कानून बनाना है तो सोच विचार कर कानून बनाया जाय। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इसको प्रवर समिति को दिया जाय।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : सभापति महोदय, सरकारी बैन्चेज की ओर से अक्सर यह नारा दिया जाता है कि हम समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं। मैं यह कहूँ कि और किसी क्षेत्र में एक भी कदम इस प्रकार से नहीं बढ़ाया गया, केवल काश्तकारों के क्षेत्र में कुछ कदम इस सरकार ने जरूर ऐसे उठाये हैं जिससे हम कह सकते हैं कि वे समाजवादी समाज की स्थापना की ओर कुछ बढ़े हैं। लेकिन ज्यों ज्यों समय निकलता जाता है त्यों त्यों यह प्रतीत होता है कि सरकार समाजवाद के अपने नारे पर पुनर्विचार कर रही है। सबसे पहले जो राजस्थान प्रोटेक्शन ऑफ टीनेन्सी ऑर्डिनेन्स था उसमें जो किसानों को सुविधायें दी गई थी वह सामन्ती युग में जिस प्रकार से किसान मनमाने ढंग से बेदखल कर दिये जाते थे उससे पहले २ आपने उनको बचाया; तो वह सबसे अच्छा कानून था किसानों के हित में, जिसमें इस बात का कोई खयाल नहीं रखा गया कि वह टीनेन्ट किस प्रकार का है। सब को समान रूप से बेदखली से प्रोटेक्ट करने की सुविधा दी गई थी चाहे वह असली टीनेन्ट हो, चाहे टीनेन्ट ऑफ खुद काश्त हो या सब टीनेन्ट हो किसी बेदखल नहीं किया जा सकता। टीनेन्सी एक्ट के आने के साथ ही एक तरह के टीनेन्ट्स थे जिनको दफा १५ के अन्दर जो बहैसियत टीनेन्ट काबिज थे उनको खातेदारी अधिकार दिये गये। पहले दो प्रकारके टीनेन्टस ऐसे थे टीनेन्ट ऑफ खुदकाश्त और सब-टीनेन्ट जिनको दफा २० और १९ की तहत अक्षुण्ण रखने की कोशिश की गई। लेकिन हम देखते हैं कि दफा १९ और २० में जो संशोधन लाया जाता है उससे मालूम होता है कि सरकार उस पर पुनर्विचार करके उनको अरक्षित करना चाहती है। पहले यह था कि ६ महिनों के अन्दर यह कहे कि खातेदार बनना चाहता है या नहीं, अब उसकी तीन वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। होना यह चाहिये था कि जिसने ६ महिनों में ऑप्शन नहीं दिया है उसको ऑटोमेटिकली मानते हैं कि वह खातेदार है और ऑटोमेटिकली उसको खातेदारी

XXXअध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

(श्री नत्थीसिंह)

अधिकार मिलना चाहिये। अब दफा २० में प्रपोज़ किया जा रहा है कि २ वर्षों में मालिक कम्पेन्सेशन क्लेम कर सकता था उसको और समय दिया जाकर ४ वर्ष किया जा रहा है। एक तरफ हम यह कहते हैं कि हमारी नीति यह है कि टिलर्स ऑफ दी लैंड को एश्योर करना चाहते हैं कि जिस जमीन पर वह काबिज है उस पर से उसको बेदखल नहीं किया जा सकता और यह चाहते हैं कि वह अपनी जमीन पर सुधार करे। दूसरी तरफ हम रोजाना कानून बदलते जा रहे हैं जिससे किसान के दिल में भय पैदा होता है कि पता नहीं किस दिन क्लॉज़ बना दिया जाय जिसको पहले से लागू मान लिया जायगा और उसको उस भूमि से दूर जाना पड़ेगा। एक तरफ आप चाहते हैं कि अधिक अन्न उपजा कर 'ग्रो मोर फ़ूड' की स्कीम को पूरा करें और दूसरी तरफ ऐसी स्थिति रख देते हैं जिससे पता ही नहीं चले किसान को कि मेरी जिस भूमि के बारे में निर्णय हो चुका है वह किस दिन बदल जाय। जो संशोधन प्रपोज किये गये हैं उनसे सरकार की जो मूलभूत नीति है, जिसको समाजवाद की नीति कहते हैं उस पर आघात होता है। इसलिये जरूरी है कि इन अमेन्डमेन्ट्स पर अच्छी तरह से विचार किया जाय और जल्दबाजी में इन्हें पास नहीं किया जाय। यदि इस तरह से जल्दबाजी में पास करते गये तो बहुत मुमकिन है कि किसान यह मानने लगें कि समाजवाद की नीति कांग्रेस की बातचीत की नीति है और पुनः खतरे में डालने के लिए यूज़ कर सकते हैं और यह नहीं देखते कि इस संशोधन से कितना बड़ा फर्क पड़ेगा किसानों के अधिकारों के अन्दर।

इसी तरह से धारा १८० में संशोधन प्रपोज़ किया गया है। यदि समाजवाद में विश्वास करते हैं तो यह दूसरी तरह का होना चाहिये। इसको दो धाराओं में बांटा है। पहले (बी) और (सी) ये दो हिस्से थे उनको दो धाराओं में बांटा है :

"(b) that he is a tenant or sub-tenant holding from year to year :"

यदि हम समाजवाद की नीति में विश्वास रखते हैं तो यह होना चाहिये था कि जिन लोगों ने अब तक काश्तकारों को बेदखल नहीं करवाया है उन्होंने अपना अधिकार तर्क कर दिया है और जो लोग जमीन पर काबिज हैं, चाहे उनको जमीन ईयर टू ईयर के रूप में दी गई है फिर भी उनको मुस्तकिल काश्तकार माना जाना चाहिये था और किसान को तसल्ली दिलानी चाहिये थी कि ईयर टू ईयर को भी बेदखल किया जा सकता। उल्टा इसको और ज्यादा कर दिया है, मालिक चाहे तो बेदखल कर सकता है। यह रिट्रोग्रेड स्टेप है जो नहीं होना चाहिये। जो दूसरी धारा रखी है (सी) वह गलत है। इसमें प्रोविजन किया गया है :

"(c) that the lease or sub-lease granted after the commencement of this Act undet section 45 has expired or will expire and the land-holder requires the land for his personal cultivation."

जब एक माननीय सदस्य ने कहा था कि इस संशोधन में 'विल एक्सपायर' को नया जोड़ा गया है तो मिनिस्टर–इन्चार्ज महोदय ने ऐतराज किया था, ऐसी बात नहीं है। "विल एक्सपायर" यहां है वह ओरीजनल में भी था

(श्री हीराभाई)

और इसको चेन्ज किया है ! "विल एक्सपायर" के साथ पहले और शब्द जुड़े हुए थे : "...or will expire before the end of the current agricultural year." अब इन शब्दों को हटा दिया गया है। एक तरह से उनको बेदखल करना चाहते हैं और इसके लिये मालिकों को खुली छूट दी है कि वे चाहें तभी कर सकते हैं। जहां एक तरफ पहले बाधा थी कि बेदखल तभी हो जब लीज़ करेंन्ट एग्रीकल्चर ईयर से पहले खत्म हो रहा था अब उसको बदल रहे हैं। अब जो संशोधन पेश किया गया है उसमें मालिक को छूट दी गई है, उसको अधिकार दिया है कि किसान को चाहे जब बेदखल कर दे। इस तरह से उनको बेदखल करने का प्रावधान किया है। जो सुरक्षा का अधिकार किसानों को मिलना चाहिये उल्टा उसका गला घोटा जा रहा है। यह कैसा समाजवाद है कांग्रेस सरकार का, यह समझ में नहीं आ रहा है। आप उनको सुरक्षित करने के बजाय अरक्षित कर रहे हैं। कानून में संशोधन लाते हैं तो उस पर अच्छी तरह से विचार करना चाहिए; अर्थ नीति के खिलाफ नहीं जाना चाहिये, जल्दबाजी में विचार नहीं करना चाहिये। मेरा निश्चित मत है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय और वहां सोचा जाय कि किस तरह से इसको पास किया जाय जिससे कि मूलभूत नीति पर अमल करके किसानों को सुरक्षा मिले, उनको सुरक्षा न मिले जो किसानों को बेदखल करना चाहते हैं। यही निवेदन करना है।

(३.० म. प.)

श्री मनिकचन्द सुराणा (कोलायत) : सभापति महोदय, प्रस्तुत संशोधन के ऊपर बहुत से माननीय सदस्यों ने अपनी राय जाहिर की है। जो बातें कही जा चुकी हैं मैं उनको दोहराना नहीं चाहता लेकिन नीति के तौर पर यह कहना चाहता हूं कि प्रस्तुत संशोधन हमको एक दम आगे की ओर ले जाता है तो दो कदम पीछे की ओर भी ले जाता है। जहां तक धारा १५ (ए) में संशोधन का प्रश्न है वह निश्चित रूप से प्रगति की ओर ले जाने वाला है, इसमें शक नहीं। हमारे एक माननीय सदस्य ने ऐतराज किया है कि बड़े बड़े पूंजीपतियों ने, व्यापारियों ने और बनियों ने जमीन खरीदली है। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार को चाहिये कि इन संशोधनों के साथ साथ सीलिंग के कानून को भी एक साथ लागू करे ताकि जहां नहरी क्षेत्र में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो सकें वहां सीलिंग की सीमाओं से जो ज्यादा जमीन उसके पास है उसका नाजायज रूप से फायदा नहीं उठा सके, इस ओर ध्यान देना आवश्यक है।

राजस्थान में जमीन की बहुतायत नहीं है, जमीन की कमी है और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा भूमिहीनों को आबाद करने और जमीन देने का है। राजस्थान सरकार जो राजस्थान नहर और दूसरे नहरी क्षेत्र हैं वहां निश्चित तौर से भूमिहीनों को जमीन देने की नहीं है, वहां की जमीन सरकार बेचती है, एलॉटमेन्ट और सेल के कायदे बनाये हैं। वहां की जमीन की ऊंची कीमत पर ऑक्शन किया जाता है। इसके फलस्वरूप आज जमीन उनको नहीं मिलती है जो भूमिहीन हैं बल्कि उनको मिलती है जो मालदार हैं; जिन्होंने पहले से ही सबसे ज्यादा भूमि पर कब्जा कर रखा है

(श्री मानिकचंद सुराणा)

और जिनकी क्रय शक्ति ज्यादा है। वे राजस्थान नहर क्षेत्र में ज्यादा जमीन खरीद रहे हैं। इस बात की बाधा लगा कर कि नहरी क्षेत्र में जहां सरकार जमीन नीलाम कर रही है, इसका फायदा जमीन वाले नहीं उठा सकें, सरकार को चाहिये कि शीघ्रता के साथ सीलिंग कानून को लागू करे।

धारा १५ का मैं स्वागत करता हूँ क्योंकि किसान को आगे लेजाकर खातेदारी राइट दिलाता है।

हमारे नहरी इलाके का बहुतसा हिस्सा बीकानेर डिविजन में है। बीकानेर स्टेट में वहां पर सामन्तशाही में जमीन पर किसानों को कोई खातेदारी राइट नहीं था, जागीर क्षेत्र में किसान खातेदारी हासिल नहीं कर सकते थे। सामन्तशाही खत्म हुई उसके बाद सन् ५५ में नया कानून राजस्थान में आया। लेकिन इस नये कानून के बाद भी जो रेगिस्तान के इलाके में काश्त करते थे, पीढियों से जमीन पर अपना गुजर बसर करते थे उनको खातेदार नहीं बनाया। १५ के द्वारा जो जमीन पीढ़ियों से बाप, दादा, परदादा बोते थे उनको भी खातेदारी अधिकार नहीं दिये गये। सरकार को यह दलील कि वहां पर नहर आ रही है इसलिये जो पहले से आबाद थे, काश्त करते थे उनको नहरी क्षेत्र में खातेदारी से महरूम करने की दलील, मैं समझता हूँ, गलत दलील है। यदि सदियों से लोगों ने किसी जमीन को काश्त किया है, सदियों से जमीन की सेवा की है और सदियों के बाद जो नहर आती है और उसमें सरकार का बहुत बड़ा धन लगता है तो इसके बावजूद भी मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग वहां बैठे हैं उनकी इस बात की जांच जरूर की जानी चाहिये कि कौन कौन लोग हैं जो विलेज के बोनाफाइड रेजीडेन्ट हैं। जो लोग कदीमी निवासी हैं उनको निश्चित रूप से खातेदारी राइट्स से महरूम किया है और इस दफा १५ ए में जो गलती थी उसको सही नहीं किया गया है। अभी तो नये रूप से जमीन को बेचा जा रहा है, अलॉटमेंट के द्वारा बेचा जा रहा है, सेल के द्वारा जमीन को बेचा जा रहा है और खातेदारी हक उनको प्रदान किये जा रहे हैं तो जो न्याय रूप में खरीदते हैं और उनको खातेदारी हक दिये जाते हैं तो उसका मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन साथ ही मैं कॉशन (Caution) करता हूँ कि लोग ज्यादा जमीन न दबा लें। इसलिए सीलिंग के कानून को इस एक्ट के साथ साथ लागू करना चाहिए, नहीं तो जो आप अर्थ करना चाहते हैं उसकी जगह अनर्थ न हो जाय।

इसके साथ ही दफा १६ और दफा २० में संशोधन पेश किये हैं। मैं उनका तीव्र विरोध करना चाहता हूँ। सरकार की नीति मेरी समझ में नहीं आती। जो सरकार अपने आपको समाजवाद की ओर बढ़ाना चाहती है वह किस तरह जो खुद काश्त लैंड होल्डर्स को ६ महीने का समय कानून में दिया था उसको बढ़ा कर तीन वर्ष करना चाहती है यानि अभी तक जिन्होंने मुआवजे की एप्लीकेशन नहीं दी है उनके लिए पहले जो ६ महीने का समय लिखा गया था उसको अब तीन साल तक बढ़ाते हैं और वह तभी से बढ़ा हुआ समझा जायगा, यह नोटीफिकेशन तभी से इफेक्ट में आया माना जायगा। यह

[redacted]

(श्री मानिकचंद सुराणा)

गलत है । यह बहुत से संशोधनों में लिखा है; हमेशा यह कहा जाता है– "it shall be deemed to have been read from the very beginning of the Act."

ये जो वर्डिंग्स हैं, ये बिल्कुल गलत हैं। और जितने भी संशोधन कानून में किये जाते हैं वे प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होने चाहिए। उनको आप रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से रख देते हैं, यह बिल्कुल गलत है । मैं तो कहता हूं कि दफा २० में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है । जिन लैंड होल्डर्स ने मुआवजे की दरख्वास्त नहीं दी है, अब उन्हें कोई हक नहीं है कि वे दरख्वास्त दें । लेकिन जो सरकार का नरम रवैया है वह इस बात का द्योतक है कि वह आज भी ऐसे काश्तकारों और लैंड होल्डर्स के प्रति सोफ्ट रवैया रखती है ।

इसके साथ ही दफा १६ ए में संशोधन किया गया है । उसके प्रति में कहना चाहता हूँ कि सब–सेक्शन ४ में जो यह लिखा गया है कि ६ महीने की जगह तीन साल जोड़ा जायगा । मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस संशोधन को करने की भी क्यों आवश्यका पड़ी कि १६ में जो छ: महीने का अर्सा दिया गया है वह तीन साल का अर्सा दिया गया है । जो १६ (४) है वह इस प्रकार है :

"(४) खुदकाश्त का प्रत्येक आसामी अथवा शिकमी आसामी, जिसको उपधारा (१) अथवा उपधारा १ (का) के अन्तर्गत अधिकार प्राप्त हों, अपने भूमिधारी को इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार निश्चित मुआवजा चुकाने के लिये बाध्य होगा ;

परन्तु शर्त यह है कि ऐसी आसामी या शिकमी आसामी क्षेत्राधिकार रखने वाले सहायक कलेक्टर को, नियत तारीख के छ: मास के भीतर, लिखित में सूचित कर सकेगा कि वह उक्त मुआवजा देकर खातेदारी अधिकार अवाप्त करना नहीं चाहता है ।"

हमारे सदन ने जो कानून बनाया कि कृषक यह कहे, छ: महीने के भीतर अपनी इच्छा जाहिर करे कि वह खातेदारी हक नहीं लेना चाहता है । अब हमारी सरकार यह कहे कि छ: महीने में नहीं, तीन साल में कृषक कह सकता है कि मैं खातेदारी हक नहीं लेना चाहता । मैं नहीं समझता कि कौनसा कृषक है जो यह कहे कि खातेदार नहीं बनना चाहता । यह हो सकता है कि वह मुआवजा न दे पाये, मुआवज़ा देने से मजबूर है तो कलेक्टर या सहायक कलेक्टर को यह दरख्वास्त दे कि मैं खातेदारी हक नहीं लेना चाहता । अगर ऐसा नहीं है तो फिर मैं समझता हूं कि लैंड होल्डर्स के दबाव के अलावा कोई बात नहीं हो सकती जो इस बात के लिए मजबूर करे कि कृषक कहे कि खातेदार नहीं होना चाहिए । इसके लिए जो १६ (४) में अमेंडमेंट किया गया है वह अनावश्यक है । इसका परिणाम यह होगा कि कृषक को मजबूर करके, दबा करके, अगर वह कर्ज से दबा हुआ है, पुराने अहसानों से दबा हुआ है, या रिश्तेदारी के प्रभाव से दबा हुआ है तो जब यह कानून महीने, दो महीने में लागू होगा तो ऐसे हजारों किसानों से दरख्वास्तें लगवाई जायेंगी कि

(श्री मानिकचंद सुराना)

हम खातेदारी नहीं लेना चहाते । अगर सरकार चाहती है कि हमारे जो कृषक हैं, वे खातेदार न बनें और कानूनन खातेदार बन गये हैं तो वे खातेदारी के अधिकार को छोड़ दें तो यह अमेंडमेंट आवश्यक है, अन्यथा सरकार समाजवादी समाज को मानती है, लैंड टू दी टिलर के सिद्धान्त को मानती है, इस सिद्धान्त को अख्तियार करती है तो १९ (४) में इस अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं है ।

इसी तरह से दफा १८० में संशोधन किया गया है । इस संशोधन का क्लाज बी जो है, उसका मैं समर्थन करता हूं क्योंकि इससे कानून सिम्पलीफाई होता है, कानून सरल बनता है, इसलिए इसमें कोई विरोध की बात नहीं है । लेकिन जहां तक दफा बी के एक्सप्लेनेशन का सवाल है उसको आप पढ़ेंगे, तो सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक बहुत महत्वपूर्ण नीति जो रेवेन्यू बोर्ड ने, राजस्थान के बोर्ड ने तय कर दी है उस नीति को इस एक्सप्लेनेशन के द्वारा हमारी सरकार बदलना चाहती है । रेवेन्यू बोर्ड ने एक फैसला किया जिसमें तय किया कि एक टीनेन्ट एक सीमा तक, दो साल तक, तीन साल तक की अवधि तक टीनेन्ट है और टीनेन्ट की अवधि समाप्त हो जायगी तो वह उसके बाद जमीन पर काबिज रहता है । अब उस रेवेन्यू बोर्ड की डिविज़नल बैंच के फैसले को खारिज किया जा रहा है । डिविज़नल बैंच ने फैसला किया है वह नहीं है, यह रेवेन्यू बोर्ड की फुल बैंच ने फैसला किया है, जिसमें इस सिद्धान्त को प्रतिपादित किया है ।

एक बार जमीन काश्त के लिए दी । अब उसकी अवधि समाप्त हो गई या नहीं, अगर वह अवधि से ज्यादा बैठ गया तब भी उसे लैंड होल्डर नहीं कहा जा सकता, वह टीनेन्ट माना जायगा या सब–टीनेन्ट माना जायगा, यह इस एक्सप्लेनेशन के जरिये कहा गया है । यह कहा गया है कि उस टीनेन्ट की अवधि समाप्त हो गई, उसने लैंड रेवेन्यू चुकाया, जमीन का किराया दिया, अगर वह लैंड होल्डर की अनुमति से उस जमीन पर बैठा रहा तभी उसे माना जायगा अन्यथा नहीं माना जायगा । यह क्लॉज़ है: "Explanation. For the purpose of clause (b) a tenant or sub-tenant holding from year to year shall include a tenant or sub-tenant who remains in possession of the holding after the determination of the lease or sub-lease and the lessor or his egal lrepresentive accepts rent from the tenant or sub-tenant, or otherwise assents to his continuing in possession." यदि वह उससे राइट न ले, यदि वह उसके पजेशन को कन्टीन्यू करने की स्वीकृति न दे तो आपका एक्सप्लेनेशन कहता है कि वह टीनेन्ट नहीं रहेगा । मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि रेवेन्यू बोर्ड ने फैसला कर दिया, फुल बैंच ने एक सिद्धान्त का प्रतिपादन कर दिया उसकी हत्या इस एक्सप्लेनेशन से होगी और यह किसी तरह भी एक प्रगतिशील कानून की परिभाषा में नहीं आना चाहिए । इसलिए इस हिस्से को हटा देना चाहिए । क्योंकि जब रेवेन्यू बोर्ड ने फैसला कर दिया है तो कोई आवश्यकता नहीं है कि इसको जोड़ें । अगर उसकी हत्या करना चाहते हैं तब

(श्री मानिकचंद)

तो बात दूसरी है और उस स्थिति में इस एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता पड़ेगी।

तो सभापति महोदय, जो संशोधन किये गये हैं उन पर इस दृष्टिकोण से अपने विचार रखते हुए सदन के समक्ष मेरी यह राय है कि रोज रोज जो टीनेन्सी एक्ट में संशोधन आते हैं उनकी वजह से किसानों को बड़ी तकलीफ होती है, साधारण मनुष्यों को उससे बहुत बड़ी तकलीफ होती है। और यह टीनेन्सी एक्ट ऐसा है जिसका १०० में से ८० आदमियों पर असर पड़ता है। इसलिए इसमें सोचने के बाद संशोधन लाने चाहिए। मैं संशोधनों का विरोधी नहीं हूँ, जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं, कानून में संशोधन होने चाहिए। लेकिन साल में एक बार आप संशोधन ले आयें। अगर बहुत सी कानूनी परिस्थितियों का मुकाबला करना है तो उनका मुकाबला करना चाहिए और उसके लिए आप साल में एक बार संशोधन ले आयें। लेकिन राजस्थान में साल में तीन बार, चार बार ऐसी आवश्यकता पड़ती है जब टेनेन्सी एक्ट में परिवर्तन करने होते हैं और ऐसे अमेंडमेंट जब असेम्बली सेशन में न हो तब और जल्दी होते हैं। ऑर्डिनेन्स इश्यू कर दिया जाता है और असेम्बली के बैठने पर उस ऑर्डिनेन्स को सदन की मेज पर रख दिया जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर हमारी सरकार संशोधन करना चाहती है....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : On a Point of Order, Sir, the Bill is being piloted but the Hon'ble Member-in-charge is not in the House.

श्री सभापति : Two Hon'ble Deputy Ministers are there.

श्री रामानन्द अग्रवाल : They are not members of the Cabinet.

श्री सभापति : It is the combined responsibility of the whole Cabinet and hence there is no lacuna.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : It is entirely the responsiblity of the fullfledged Minister to pilot the Bill.

श्री सभापति : साधारणतया यह सारी केबिनेट की रेस्पोन्सिबिलिटी समझी जाती है और डिप्टी मिनिस्टर....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : रूल्स देख लीजिये।

श्री सभापति : डिप्टी मिनिस्टर भी उसमें इन्कलूडेड हैं और जो भी यहां हैं वे उनकी तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : डिप्टी मिनिस्टर आ गये हैं।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेडा) : सदन में सूनापन मालूम पड़ता है, उत्साह नहीं है। मेरा सजेशन है कि निरुत्साह और फीकापन सदन में नजर आता है....

श्री सभापति : माननीय सदस्यों में काफी उत्साह है, उससे प्रेरित होंगे।

एक माननीय सदस्य : मैं यह सदन के सामने अर्ज करना चाहता हूँ कि बिल पेश करने वाले मिनिस्टर महोदय सदन में उपस्थित नहीं हैं। अब पधार गये हैं।

श्री सभापति : आप अपना स्थान ग्रहण करें।

(विराम)

(श्री मानिकचन्द से) आप जारी रखिये।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं समझता हूँ कि अब तो मंत्री महोदय भी आ गये हैं और उप-मंत्री भी मौजूद हैं।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि इन परिस्थितियों में हमें चाहिये कि इस बिल को सलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करें। सरकार चाहे कितने ही एक्ट बनावे मगर मैं यह कहूँगा कि सरकार अपनी यह नीति बना ले कि साल में एक बार हो संशोधन आने चाहिये और वह ऑर्डिनेन्स के द्वारा लागू नहीं किया जाना चाहिये। मैं संशोधन लाने का विरोधी नहीं हूँ, जैसा मैंने पहले अर्ज किया है। मगर मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने संशोधन आप करना चाहें एक ही बार में उस एक्ट में कर दें; यह नहीं कि हमने आज चार क्लॉजेज़ में संशोधन कर दिया, उसके बाद दो महीने बाद दो क्लॉजेज़ में एमेंडमेंट करें और फिर कोई एमेन्डमेंट के लिये ऑर्डिनेन्स निकालें। इससे मैं यह कहूँगा कि न तो जनता को और न लॉइयर्स को लाभ हो सकता है और अगर आपके एक्सपर्ट भी जब कोप विथ नहीं कर सकते तो साधारण आदमियों के लिये तो यह और भी मुश्किल हो जाता है उसको कोप विथ करना। इसलिये इसको सलेक्ट कमेटी को भेजा जाना चाहिये। बहुत से सुझाव आये हैं; कुछ संशोधन मंजूर करने के लिये हैं कुछ तिरस्कार करने और रिजेक्ट करने के लिये और कुछ वाकई में मुनासिब बातें हैं इसलिये इसको सलेक्ट कमेटी में दिया जाना जरूरी है।

एक बात मैं यह निवेदन करूंगा कि अभी भी एक संशोधन ऐसा रखा गया है, क्लॉज़ ६ के रूप में कि : "Amendment of Third Schedule to Rajasthan Act 3 of 1955-Column No 2 of S. N. 36...." इसमें यह कहा गया है कि थर्ड शिड्यूल के सिरियल न० २ में "(५)" की जगह "(२)" पढ़ा जायेगा। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह कितनी बड़ी गल्ती हुई है। वास्तव में सरकार यह कहती है कि इसको १६ (५) के बजाय १६ (२) पढ़ा जावे। जब हम इसके पीरियड ऑफ लिमिटेशन को पढ़ते हैं जो दो वर्ष का है। यह दो वर्ष का समय जो समाप्त कभी हो चुका। इसके कॉलम ४ में आपने दो वर्ष की अवधि रखी है। चूंकि दो वर्ष समाप्त हो चुके हैं इसलिये दो वर्ष के बजाय ४ वर्ष की अवधि रखी जावे। दो वर्ष तो ६२ में बीत गये ताकि १६ (५) के बजाय (२) पढ़ कर उसका फायदा ले सके, अन्यथा कोई फायदा नहीं ले सकते हैं। इसलिये सेक्शन ६ में जो संशोधन करना चाहिये वह पीरियड निर्धारित होगा।

इन सभी बातों के बाद में मेरा यह निवेदन है कि इस बिल को सलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाना चाहिये।

श्री मोहरसिंह (चुरू) : सभापति महोदय, मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं। आम बहस में जो बातें विरोध करने वाले माननीय सदस्यों की तरफ से कही गई वे वास्तव में मेरे खयाल से मिस कन्सेप्शन पर आधारित हैं। इस एमेन्डमेंट बिल की सही मंशा है वह यह है कि पहले के कानून बनाने में जो खामियें रह गई हैं उनको दूर किया जावे। जो अधिकार दूसरे लोगों को प्राप्त हो चुके हैं या जो जमीनें लोगों ने प्राप्त कर ली हैं और कीमतें दे दी जा चुकी है और उस पर वे काबिज हैं उसमें किसी तरह का झगड़ा न होवे, अधिकार किसी कानूनी कमी की वजह से उनको नहीं मिलते हैं म्युटेशन में जो जो सरकारी कागजातों में कोई चीज दर्ज करने में कोई बाधा आती है तो उसके लिए यह संशोधन मंजूर करना बहुत जरूरी है। एक एतराज यह उठाया कि जो जमीन लोगों ने अपने बच्चे और बच्चियों के नाम से ले ली हैं उससे पैसे वालों को फायदा हो जायगा और गरीब जमीन से वंचित हो जावेंगे तो मैं यह कहूँगा कि यह बात तो सीलिंग से अपने आप समाप्त हो जाती है। एक तरफ सदन यह चाहता है कि सीलिंग जल्दी से जल्दी लागू किया जाये....

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा इस समय आप इस बिल को सलेक्ट कमेटी को दिया जावे या नहीं, इसी पर अपने विचार व्यक्त करें। संशोधनों के विषय में क्लॉज बाई क्लॉज पर जिस समय संशोधन आवेंगे उस समय आपको अवसर मिलेगा।

श्री मोहरसिंह : इस पर ही निवेदन करूंगा।

संशोधन बिल है इससे यह चार दफा बहुत ही सिम्पलीफाई हो जाता है और इसमें किसी प्रकार की कमी के कारण मुकदमाबाजी होती है वह कम हो जावेगी और अधिकांश मुकदमाबाजी समाप्त हो जावेगी और बहुत सारे मुकदमे अदालतों में चलते हैं वे समाप्त हो जावेंगे।

एक बात कही जाती है वह यह कि मुआवजे को प्राप्त करने के लिए समय की अवधि क्यों बढ़ाई जानी चाहिए? इसके लिए मेरा निवेदन है कि जिन लोगों ने दरख्वास्तें देकर मुआवजा प्राप्त कर लिया है वे लोग बहुत होशियार और समझदार व चतुर हैं और इस अवधि का जिन लोगों ने फायदा नहीं उठाया है वे लोग अनपढ थे या अपने अधिकारों से परिचित नहीं थे। इससे ऐसे देहात के लोगों को फायदा मिलेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि यह संशोधन बहुत उपयुक्त है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : यह तो काश्तकारों के लिए है जो जमीदारी राइट्स प्राप्त नहीं करना चाहते।

श्री मोहरसिंह : यह बार बार ऐसा समझा जाता है कि इस बिल को सलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने के लिए मैं बोल रहा हूं या नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि ये चारों धाराएं ऐसी सैद्धान्तिक है कि इसको सलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर इस बिल को सलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया तो इसमें समय लगेगा

(श्री मोहरसिंह)

और वे आशंकाएं और झगड़े और बढ़ेंगे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल को सलेक्ट कमेटी के सुपुर्द नहीं किया जाना चाहिए।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : सभापति महोदय, यह जो एमेन्डमेंट पेश हुआ है इसमें दफा १५ (ए) को जिस प्रकार से एमेन्ड किया है उसके द्वारा काश्तकारों को राहत देने के लिए या फायदा पहुंचाने का कार्य किया है। बहुत से लोगों को इससे यह आशंका पैदा हो गई है कि जो लोग ज्यादा जमीन लेकर बैठ गये या इस प्रकार की कोई व्यवस्था होगी उसके सम्बन्ध में खास तौर से यह प्रोविजन रखा गया है कि इतने अर्से में जिन लोगों ने जमीनें खरीद कर पैसे दे दिये हों उनको कानून को वजह से राहत नहीं मिली हो तो उनको राहत देने के लिए यह कानून बनाया है, और कोई खास बात नहीं है।

सेक्शन १६ में जो अमेंडमेंट किया गया है ६ महीने के बजाय तीन साल की अवधि का अमेन्डमेन्ट इसलिये किया गया है कि ऐसे बहुत से काश्तकार होते हैं जिनके पास पैसा देने को नहीं है, जो खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं करना चाहते, जो राइट्स उनको एक्रू हो गये हैं, जो टीनेन्ट बने रहना चाहते है या मुआवजे के पैसे नहीं देना चाहते, वैसे लोगों को सोचने का समय दिया गया है। ६ महीने का समय कम होता है। बहुत से काश्तकार ऐसे होते हैं जिनको समय का ज्ञान पूरा नहीं होता उनके लिये यह समय बढाया गया है कि वे लोग अच्छी तरह से सोच-समझ कर एप्लाई करें कि वे खातेदारी अधिकार चाहते हैं कि नहीं। तो यह तो उनके हित में है, न कि खिलाफ।

इसी तरह सेक्शन २० में दो साल से ४ साल की अवधि बढ़ाई गई है। यह उन लोगों के लिये है जिनके पास थोड़ी जमीन है; १० बीघा, ५ बीघा जमीन होती है, खुदकाश्त नहीं करने से काश्तकारों के पास यह जमीन रहती है, ये लोग खुद काश्त नहीं करते। ऐसी दशा में इन्टरमीजियरीज़ कहे जा सकते हैं। टीनेन्सी एक्ट के तहत जब अधिकार मिल जाता है तो लैंड होल्डर्स को मुआवजा प्राप्त करने के लिये दो साल की अवधि रखी गई थी। ऐसे लोग भी अनपढ होते हैं, समय पर एप्लाई नहीं कर सकते इसलिये दो साल से ४ साल की अवधि बढाई है। ऐसे गरीब आदमी जिनकी जमीनें हैं, पर जो खुदकाश्त नहीं करते ऐसे लोगों को सुविधा देने के लिये यह अवधि बढ़ाई गई है।

इसलिये मेरा सुझाव है कि जो अमेंडमेंट किया गया है वह बिल्कुल वाजिब है और इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द नहीं करना चाहिये।

श्री रामप्रसाद लडढ़ा (उप-मन्त्री, राजस्व) : सभापति महोदय, राजस्थान टीनेन्सी (अमेंडमेंट) बिल, १६६२ सदन के समक्ष विचारार्थ है....

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : सुनाई नहीं देता है।

श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा : इसमें एक

(श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा)

माननीय सदस्य ने यह प्रस्ताव रखा है कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। मैं उस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। जब इस बिल के मुख्य उद्देश्य को आप अच्छी प्रकार से सोचें तो आप स्वयम् यह महसूस करेंगे कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाना आवश्यक नहीं है। बहुत सारी चीजों में अमेंडमेंट के जरिये दुरुस्ती की जा सकती है। इस बिल पर डिस्कशन के समय, अमेंडमेंट्स पर डिस्कशन के समय इस सम्बन्ध में विचार किया जा सकता है। स्कोप ऑफ दी बिल के बाहर जाकर तो इस प्रवर समिति में भी कुछ नहीं कर सकते। जो अमेंडमेंट बिल यहां पर लाया गया है उसी पर चर्चा की जा सकती है। इस संबंध में कई माननीय सदस्यों ने अमेंडमेंट रखे हैं। उन अमेंडमेंट्स पर जिस समय चर्चा होगी उस समय भी इन सब चीजों पर विचार किया जायगा। इसलिये जहां तक इन क्लॉजेज़ का सम्बन्ध है इनमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं रह जाती है कि उसके लिये प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस उद्देश्य से अमेंडमेंट रखा गया और किन परिस्थितियों के बीच में ये अमेंडमेंट्स रखे गये। उसको सुनने के बाद आप महसूस करेंगे कि मूल विधेयक में कोई खास अमेंडमेंट नहीं है, कुछ गलतियों का सुधार है, कुछ मियाद का इजाफा है और राजस्थान केनाल के कमान्डेड एरिया में खातेदारी राइट देने का सवाल है। ये तीन-चार सवाल इसमें दिये हैं। पर यहां जो बहस हुई उसमें इन चार क्लॉजेज के अलावा और भी कई विचार रखे गये। एक माननीय सदस्य ने तो यहां तक कहा है कि क्या सरकार ने अपनी नीति बना ली है कि काश्तकारों को ऊपर न उठने दे। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि ये टीनेन्सी लॉज हर महीने, ६ महीने बाद बार बार इस सदन में आते हैं, इससे सरकार की अदूरदर्शिता का परिचय मिलता है। एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि सरकार जो ये टीनेन्सी लॉज़ बार बार अमेंड करती है उससे समाजवादी समाज की रचना करने का मुख्य उद्देश्य था उससे सरकार गिरती चली जा रही है, पीछे जा रही है, कानून ऐसे बना रही है जिससे प्रगति के बजाय नीचे को ओर जांय और काश्तकारों को सुख-सुविधा के अधिकार देने के बजाय उनके अधिकारों को छीनें।

इस सम्बन्ध में मुझे थोड़ा सा खेद है और मैं निवेदन करना चाहता हूँ, राजस्थान ही सारे देश में ऐसा प्रांत है जहां पर भूमि सुधारों के सम्बन्ध में एक स्पेशल बैक ग्राउन्ड था, उसके होते हुए भी इस अर्से में जो भूमिसुधारों की शृंखला बांध कर किसानों को अधिकार और उपज बढाने से खुशहाल किया है वह बाकी दूसरी स्टेटों के मुकाबले में काफी अच्छा है। किसानों को इतने अच्छे हक देते हुए भी सदन के माननीय सदस्य यह राय रखें कि इस सरकार ने किसानों के लिये कुछ नहीं किया और सरकार की नीति है कि किसानों को ऊपर नहीं उठने दिया जाय, तो यह न्यायसंगत नहीं है और किसी काम का एप्रीसियेशन नहीं है। १० साल पहले हम जिस स्थिति में थे, जागीरदारी, जमीदारी, बिस्वेदारी, खेवटदारी, जितनी भी दूसरी इन्टर-मीजियरी एजेंसीज थी वे समाप्त हुई और जो जोतता है, बोता है वह जमीन का मालिक

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

बना और इसके बाद जितने कानून आये वे पीछे ले जाने वाले नहीं बल्कि आगे बढाने के लिये, कठिनाइयां को हल करने के लिये हुए। समय समय पर कठिनाइया आई, असेम्बली में सवाल उठाये गये और उनमें किसानों के हित को देखते हुए परिवर्तन किये गये और वे सदन द्वारा किये गये। ऐसे परिवर्तनों को केवल इस तरह से इग्नोर कर देना कि वह उनको पीछे ले जाने वाले हैं, सरकार दूरदर्शी नहीं है इसलिये परिवर्तन करती है, यह वांछनीय नहीं कहा जा सकता। जो परिवर्तन कानून में हुए हैं वे सदन द्वारा कठिनाइयों को दूर करने, विभिन्न प्रोब्लम्स समय समय पर आती रही उन्हें हल करने के लिये हुए। ऐसा कोई कानून टीनेन्सी का नहीं आया जिसमें किसानों को अपने अधिकारों से वंचित रखने की कोशिश की हो या पीछे ले जाने की कोशिश की हो। इसलिये कानूनों का जहां तक सवाल है, वे किसानों की बहबूदी के लिये बनाये गये हैं। अभी जो अमेंडमेंट बिल आपके विचाराधीन है वह भी इन्हीं जैसी विशेष परिस्थितियों में सदन के सामने लाया गया है। वे इतनी माकूल परिस्थितियां थीं कि ऑर्डिनेन्स निकाला गया और ऑर्डिनेन्स के बाद यह बिल सदन में रखा जा रहा है। मैं उन कारणों और उद्देश्यों को बताना चाहता हूँ जिनके कारण यह बिल सदन में लाया गया।

दफा १८० पर बहस की गई। वैसे दफा १८० इस बात के लिये है कि जो खुदकाश्त के टीनेन्ट, सब–टीनेन्ट, गैर खातेदार हैं वे किस कानूनी सूरत में बेदखल किये जा सकते हैं जब कि उनके पास जमीन १,२००) रुपये की आमदनी नेट इन्कम हो सकती है, उतनी जमीन रहने के बाद बचती है और लैंड होल्डर को पर्सनल कल्टीवेशन के लिये आवश्यक हो तो ले सकता है।

बी और सी के इन्टरप्रिटेशन के बारे में "holding for year to year and lease and sub-lease granted under section 45......"

इन दो सेक्शन्स के बारे में हाई कोर्ट में ४–५ रिट हुए और रिट्स में इन्टरप्रिटेशन्स को क्वेश्चन किया गया; यह ऑब्जेक्शन किया गया कि जिस प्रकार बी और सी मूल विधेयक में रखे हुए हैं वे एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी हैं और ओवर लेपिंग्स हैं। ये हाई कोर्ट के ऑब्जेक्शन्स थे। अपने जजमेंट में राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट को रिकमन्ड किया कि दोनों की इन्कन्सिस्टेन्सी एण्ड लोवर लेपिंग nature के defeect को Amendment के जरिये दूर किया जाय। उस हाईकोर्ट जजमेंट की इज्जत करते हुए सरकार ने मुनासिब समझा कि C क्लॉज को "holding land for year to year......" तक रखा जाय और D क्लॉज अलग रखा जाय।

इस दफा के मातहत सरकार के ऊपर इल्जाम लगाया गया है कि वह पीछे जा रही है। यह दफा पीछे बना हुआ है। ओवरलेपिंग नेचर के–इन्कन्सिस्टेन्ट ऑफ बी. एण्ड सी.—दूर किये जा रहे हैं। इसलिए जो ऑर्डिनेन्स लाया गया है और बिल के रूप में आपके सामने विचारार्थ है इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमको पीछे ले जाने वाली हो। इसमें केवल वही

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

चीज है जो हाईकोर्ट ने डाइरेक्ट की है, रिकमण्ड की है और सरकार ने उसको इज्जत कर उसके मुताबिक तरमीम पेश की है।

दफा १८० के बाद दफा १५ ए, १६ और २० के बारे में बहस में कई माननीय सदस्यों ने भाग लिया। १५ ए के बारे में कई माननीय सदस्यों ने कहा कि सरकार का यह स्टेप अच्छा है, खातेदारी के लिए दरवाजे बन्द कर दिये थे, दरवाजे खुले हुए नहीं थे, उनको सरकार ने खोल दिया है। उन्होंने इसका स्वागत किया। कुछ माननीय सदस्यों ने इसके बैकग्राउन्ड को, इसके उद्देश्यों को न समझने के कारण विरोध भी किया। मैं माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहता हूं कि दफा १५ टीनेन्सी एक्ट की खातेदारी राइट्स एक्रू कराने की है। भाखरा और चम्बल प्रोजेक्ट के अन्तर्गत खातेदारी राइट्स एक्रू है या नहीं, नहीं है तो क्यों नहीं हैं, इसके लिए इसमें प्रावधान किया गया था। यह प्रावधान राजस्थान केनाल के लिए नहीं था। अब सवाल यह रहता है कि इसके बारे में खातेदारी राइट्स देने के लिए सरकार की क्या नीति है? १५ ए इस सदन ने पास किया था जिससे खातेदारी राइट्स के दरवाजे बन्द कर दिये थे लेकिन कोलोनाइजेशन एक्ट और कोलोनी कन्डीशन्स के तहत खातेदारी राइट्स देने का प्रावधान है और प्रिमियम से जमीन बेची जाती है, ऑक्शन से जमीन बेची जाती है, रुपया देकर जमीन खरीदता है, खरीदता है उन कन्डीशन्स को पालन करने की शर्त के साथ कि जो कोलोनाइजेशन एक्ट और कोलोनी कन्डीशंस है उनका पालन करेगा और फिर भी पालन न करे तो अन्याय हो सकता है उनको दूर करने लिए यह प्रोविजो एड करने के लिए संशोधन रखा है। प्रोविजो यह है कि जागीर रिजम्प्शन एक्ट की जो धारा है उसके अन्तर्गत केनाल प्रोजेक्ट एरिया में खुदकाश्त के लिए आन पेमेन्ट ऑफ प्रिमियम केअगेनस्ट लेने का अधिकार है। जब कोई आदमी नीलामी तरीके से या और कोई तरीके से जमीन खरीदता है तो उसको खातेदारी राइट्स क्यों न दें इसको १५ ए के प्रोविजो में शामिल किया है। यह हमको पीछे ले जानेवाला, जैसा कहा गया नहीं है। दलील दी गई कि पैसेवाले जमीन ले लेंगे और गरीब नहीं लेगे। जब इन प्रोजेक्ट्स पर करोड़ों रुपया लगाया है और लगाया जावेगा तो जिन प्रोजेक्ट्स पर करोड़ों रुपया खर्च होता है तो आमदनी भी होनी चाहिये। इस तरह से नहीं हो सकता है कि ऑन पेमेन्ट न दें। जब टेक्स लगाते हैं तो विरोध किया जाय और बेचते हैं तो विरोध किया जाय तो आखिर यह कैसे हो कि साधन जुटाने की सरकार कोशिश न करे। गरीबों को जमीन देने का अलग से कानून है और उनको जमीन दी जाती है और इस क्लॉज में व्यवस्था न होने का मतलब यह नहीं है कि ऐसे किसानों को और जगह जमीन नहीं मिलती।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : मोल देते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंगनगर) : तक ही मुफ्त देते हैं तो बताइये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हजारों और

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

लाखों बीघा दी है। केनाल एरिया में नहीं दी गई। लैंडलैस टीनेन्ट्स को मुफ्त में जमीन देते हैं....

श्री श्योपतसिंह : मोल देते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : इस सम्बन्ध में जो नियम बने हुए हैं क्या उनको सदन की मेज पर रख देंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कमान्डेड एरिया में नहीं देते हैं वहां बारानी लैंड होती है तो वह निःशुल्क दी जाती है। माननीय सदस्य उस लैंड एलॉटमेन्ट कमेटी के सदस्य हैं, वे जमीन देंगे और उनको मालूम होगा कि जमीन दी जाती है।

एक माननीय सदस्य : खातेदारी राइट्स का क्या हो ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उसमें नम्बर ऑफ पर्टिकुलर ईयर के साथ जिस साल में जमीन अलॉट हो तो उसी साल खातेदारी राइट्स नहीं मिलते हैं। अवधि दी हुई है उसके अनुसार खातेदारी राइट्स प्राप्त होते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बारानी लैंड का भी मूल्य निर्धारित है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नोन प्रोजेक्ट एरिया के लिए कहा है, प्रोजेक्ट एरिया में है।

एक माननीय सदस्य : कमान्डेड एरिया में मूल्य से क्यों दी जाती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो पैसा प्रोजेक्ट्स पर लगाते हैं वह मिले।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : धरती में पानी लगा ही नहीं है और उस किसान में क्या इतनी शक्ति आ जावेगी कि वह उसका मूल्य अदा कर सके ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तो मैं बता रहा था कि खातेदारी राइट्स देने के लिए इसमें यह प्रोविजो एड किया है। उससे लोगों को राहत मिलती ही है। किसी से कोई छीना नहीं है, दिया ही है सरकार ने।

दफा १६ और २० पर भी बहस की गई। दफा १६ कन्फरमेन्ट ऑफ खादेदारी राइट्स ऑन टीनेन्ट्स एण्ड सब-टीनेन्ट्स के बारे में है। यह पीछे ले जानेवाला प्रावधान नहीं है। पहले ऑटोमेटिक कन्फरमेन्ट नहीं था तो इसमें तरमीम करके ऑटोमेटिक कन्फरमेन्ट ऑफ खातेदारी राइट्स का प्रावधान किया है। इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा यह है कि जिन लोगों का, जिन काश्तकारों का नाम एन्युअल रजिस्टर में टीनेन्ट ऑफ खुदकाश्त और सब-टीनेन्ट्स दर्ज हो उनको राइट्स ऑटोमेटिकली मिल जायं। दूसरा हिस्सा वह है जो सब टिनेन्ट्स और टीनेन्ट्स ऑफ खुदकाश्त भी हैं, लेकिन उनके नाम एन्युअल रजिस्टर में दर्ज नहीं हुए हैं। जो काश्तकार पहले की श्रेणी में आते हैं वे ऑटोमेटिकली खातेदारी राइट्स बन जाते हैं और जो दूसरी श्रेणी में आते हैं जिनके नाम रजिस्टर में दर्ज नहीं हैं वे समझते हैं कि वे टीनेन्ट्स ऑफ खुदकाश्त हैं और खातेदारी के एन्टाइटल्ड हैं। तो इसमें प्रावधान

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

रख दिया गया है कि निश्चित अवधि में इसकी डिक्लेयर करवाने के लिए सम्बन्धित अधिकारी के पास अपना दावा पेश कर सकते हैं जिससे उनको खातेदारी राइट्स प्राप्त हो सकें। इसके बाद सब–सेक्शन (४) में प्राव-धान यह है कि अगर उस व्यक्ति को इस कानून के तहत खातेदारी राइट्स एक्रू होते हैं, खातेदारी अधिकार एवं राइट्स इन इम्प्रूवमेंट सबजेक्ट टू दी कन्डीशन्स ओन पेमेन्ट ऑफ कम्पन्सेशन होते हैं तो जिस व्यक्ति को खातेदारी के अधिकार मिलते हैं जमीन में इम्प्रूवमेंट होने पर, लेकिन इम्प्रूवमेंट की कोस्ट कम्पेन्सेशन के रूप में लैंड होल्डर को देनी पड़ती है। इसलिए सब–सेक्शन (४) रखा गया है कि कोई व्यक्ति चाहे कि उसको खातेदारी राइट्स होने चाहिये अगेन्स्ट पेमेंट ऑफ कम्पन्सेशन पैसा वह कम्पन्सेशन के रूप में दे नहीं सकता तो खातेदार नहीं बन सकता है। तो इसके लिए अवधि ६ महीने की है। बहुत सारे काश्तकार समझते नहीं हैं, प्रार्थना–पत्र भी पेश नहीं किये और पैसा भी नहीं है कि कम्पेन्सेशन और इम्प्रूवमेंट की कोस्ट को चुका सकें। अगर इम्प्रूवमेंट की कोस्ट न चुका सकें सब्जेक्ट टू पेमेन्ट ऑफ कम्पेन्सेशन, पैसा नहीं है इसलिए फोरगो कराना चाहते हैं उसके लिए छः महीने की अवधि है। ऐसे रीप्रेजेन्टेशन्स किसानों के आये हैं। रात को सोये और सबेरे सरकार ने फैसले कर लिये हों, ऐसा नहीं है। किसानों के वेरियस रिप्रेजे-न्टेशन्स आये हैं। यह पता नहीं रेन्ट रेट ज्यादा है, खातेदारी राइट्स लेने के लिए पाबन्द नहीं हैं और इसलिए इसकी अवधि को बढ़वाया है। उनके उसी रिप्रेजेन्टेशन के आधार पर यह किया गया है····

श्री हरदत्तसिंह (नोहर) : क्या आप यह बता सकते हैं इस प्रकार का रिप्रेजेन्टेशन किस क्षेत्र की ओर से आया था, किन किसानों की ओर से आया था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं एकाध का नाम तो बता सकता हूं झुंझूनूं डिस्ट्रिक्ट से आया था। झुंझुनूं के सदस्य इस बात को जानते हैं। इस प्रकार के रिप्रेजेन्टेशन्स आये उसी आधार पर फैसला लिया गया और छः महीने की अवधि रखी। छः महीने की अवधि को कम बताया, उनकी इस इनकन्वी-निएन्स को दूर करने के लिये छः महीने के बजाय तीन साल की अवधि की गई जो कल खत्म हो जायगी। ५–४–५६ को यह अमेन्ड-मेन्ट रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देता है। इसलिये कल तक जिसने खातेदारी राइट नहीं चाहे हैं या जिसने सम्बन्धित अधिकारी को खातेदारी के लिये आवेदन-पत्र दे दिया है उस पर विचार होकर फाइनल डिसीजन हो जायगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह कानून कल तक के लिये बना रहे हैं। किसान को यह कैसे मालूम होगा कि यह कानून ५ अप्रेल तक के लिये ही बनने वाला है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह कानून ऑर्डिनेन्स के रूप में गजट में छाया हो चुका है। इसी तरह से अखबारों में भी यह निकला है। आप और हम भी जानकारी देते रहते हैं; इसके अलावा और तरीका क्या हो सकता है ?

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

श्री मानिकचन्द सुराना : आपने आर्डिनेन्स को शाया किया है, लेकिन असेम्बली तीन साल की मियाद रखती है या चार साल की रखती है, यह उनको कैसे मालूम हो ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कहीं भी आर्डिनेन्स को सेट असाइड कर दिया गया हो, ऐसा कहीं भी उदाहरण नहीं। आर्डिनेन्स के रूप में जब कोई चीज आ जाती है तो यह मान कर चलना चाहिये कि आर्डिनेंस की मियाद चालू रहेगी। आप ऐसी कोई मिसाल बता सकते हैं जिसमें लिमिटेशन के पोइन्ट को इधर-उधर किया गया हो ?

यही स्थिति सेक्शन १६ की है। इसके अन्दर जो व्यवस्था तरमीम मियाद के करने की रखी गई है वह ऐसी व्यवस्था नहीं है जो पीछे ले जानेवाली हो। सेक्शन १६ जैसा कि पहले था वैसा ही अब भी है जिसमें गरीब काश्तकारों को सुविधा दी हुई है वही प्रावधान यहां रखा गया है।

तीसरा एक ऑब्जेक्शन दफा २० के बारे में किया गया। दफा १६ में खातेदारी कनफर्म करने दो तरीके हैं, एक तो टीनेन्ट ऑफ खुदकाश्त सब-टीनेन्ट की हैसियत से नाम दर्ज करावे। अगर इस तरह से नाम दर्ज नहीं कराता है तो सब–टीनेन्ट, टीनेन्ट ऑफ खुद–काश्त है उसको डिक्लेअर करना पड़ता है, विदिन टू ईयर्स यह करना पड़ेगा। डिक्लेरेटरी प्रोसीडिंग्ज अदालत में चलती हैं। कभी कभी साल, डेढ़ साल और दो साल तक लग जाते हैं। जब तक डिक्लेरेशन न हो जाय क्लेम का फार्म सब्मिट नहीं कर सकता। कम्पेन्सेशन के बारे में जो मियाद दी है वह अवधि सेकिन्ड टाइप ऑफ केसेज़ के लिये निकल जाय तो फिर टाईम बार्ड हो जाता है। इसलिये इसमें इस बात का प्रावधान किया गया है धारा १६ (२) के तहत डिक्लेरेशन की दर्ख्वास्त देनी पड़ती है; उसकी अवधि चार साल कर दी जाय। फ्राम विच डेट इस अधिकार की घोषणा चार साल की कर रहे हैं क्योंकि इस प्रकार की कार्यवाही में समय लग जाता है, तीन साल का अधिकार है। नोन एक्रुअल ऑफ रेन्ट्स के लिये मुझे खातेदारी अधिकार नहीं चाहिये, उसको वेट करना पड़ता है। मुझे कम्पेन्सेशन लेने की क्या जरूरत है, इसलिये इस अवधि का अधिक होना जरूरी है।

श्री हरदत्तसिंह : यह जो चार साल की अवधि बढ़ाना चाहते हैं उसमें किसानों के लिये क्या सुविधा है, इसमें उनको क्या लाभ है; यह सब बताने की कृपा करें ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : किसानों का यह नैतिक कर्तव्य है कि खातेदारी राइट वे प्राप्त करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अब किसानों के लिए नैतिकता की ही बात रह गई, धरतो की बात नहीं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तीन की जगह चार साल कर दिये। तीन साल तक वेट करना पड़ता है और यदि वह कह देता है कि मुझे खातेदारी अधिकार नहीं चाहिये वैसी हालत में कम्पेन्सेशन लेने का प्रश्न ही नहीं होता, जब कि इसके अन्दर अवधि तीन साल की है

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

जब पहले छः महिने थे तो दो साल थी। अब जहां तीन साल की है तो वहां दो साल के बजाय चार साल की है।

श्री हरदत्तसिंह : यह तो महज रेश्यो का सवाल है किसान को इससे क्या फायदा है, यह तो बतलाइये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह किसी के फायदे का प्रश्न नहीं है, कानून का प्रश्न है, अधिकारों का प्रश्न है। किसान के कम्पेन्सेशन के अधिकार, वहां हमें जस्टिस करना होता है।

श्री श्योपतसिंह : आप किसान को तो नैतिकता का सबक देना चाहते हैं किन्तु आपने यह भी सोचा है कि जो लैन्ड होल्डर है उसने भी मुआवजा प्राप्त नहीं किया होगा, क्या उसकी नैतिकता नहीं है कि वह भी मुआवजा क्लेम नहीं करे ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या नैतिकता के कारण ही सरकार लैन्ड लेस टीनेन्ट्स हैं उनको जमीन नहीं दे रही है ?

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : क्या आप यह अन्दाजा लगा सकते हैं कि जिनसे मुआवजा तलब किया जाने वाला है उनकी पर केपिटा इनकम क्या है और क्या वह मुआवजा देने के लिये उस इनकम में से बचा भी सकते हैं या नहीं ?

श्री सभापति : I will request the Hon'ble member to please cooperate and not reduce the debate into conversation.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हम तो क्लेरिफिकेशन चाहते हैं जिससे मालूमात हो जाय।

श्री सभापति : थोड़ा बहुत क्लेरिफिकेशन करवा सकते हैं लेकिन बातचीत ही शुरू हो जाय, इससे तो काम नहीं चलनेवाला है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बड़ी हवाई दलीलों के आधार पर बुनियाद रखी जा रही है जो हमें कन्विन्स नहीं कर सकते, इससे खातेदारी हकूक नहीं प्राप्त कर सकते। एक तरह से हवाई बात कह दी कि एक झुंझनूं से रिप्रेजेन्टेशन आया उसके आधार पर यह कर दिया गया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हवाई बात नहीं, यह सरकार का डिसीजन है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं चैलेन्ज के साथ सदन में कह सकता हूँ, इस तरह से कोई भी गरीब किसान खातेदारी हकूक नहीं चाहता होगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमंत्री): अगर कोई आदमी खातेदारी हकूक नही छोड़ना चाहता तो ऐसा कौनसा कानून है जिसके अनुसार कम्पेन्सेशन नहीं दें ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसी आधार पर तो दलील चली आ रही है। खातेदारी हकूक तीन साल में वापिस कर सकते हैं और चार साल की कम्पेन्सेशन की बात कर रहे हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने यह निवेदन किया कि काश्तकार को अधिकार दिया

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

है, तीन साल के भीतर असिस्टेन्ट कलेक्टर को दर्ख्वास्त दे सकता है कि खातेदारी राइट नहीं चाहिए। तीन साल में दर्ख्वास्त देता नहीं वैसी हालत में लैन्ड होल्डर को खातेदारी राइट वेस्ट होते हैं; उसमें उसको अधिकार नहीं होगा। इसलिए इस अवधि की बात रखी गई। उसमें जो तीन साल रखा है उसकी जगह चार साल रखा है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : अगर कम्पेन्सेशन देना नहीं चाहते और न खातेदारी राइट्स ही देना चाहते, वैसी हालत में खातेदारी राइट किनको मिलेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : खातेदारी राइट नहीं मिलेंगे सब-टीनेन्ट की तौर पर प्रोटेक्टेड हैं फुल्ली।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं समझता हूं कि शायद मुझे समझने में भूल हुई है। मैंने यह निवेदन किया कि चूंकि काश्तकारों को यह अधिकार दिया है कि वह ३ वर्षों के बाद ही असिस्टेन्ट कलेक्टर के पास दर्ख्वास्त दे सकते हैं कि उनको खातेदारी राइट्स नहीं चाहिए। अगर दे देता है तो लैन्ड होल्डर, उसके कम्पेन्सेशन की कोस्ट खातेदारी राइट के साथ रहती है। इस अवधि के बाद ही वह अपना कम्पेन्सेशन ले सकते हैं। इसलिए मैंने यह निवेदन किया। चूंकि यह अवधि ३ साल रखी है....

एक माननीय सदस्य : यदि कोई काश्तकार खातेदारी राइट लेना चाहे तो खातेदारी राइटस किसको मिलेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : खातेदारी राइट नहीं मिलेंगे।

एक माननीय सदस्य : यदि वह कम्पेन्सेशन नहीं लेना चाहे और खातेदारी राइट भी न ले तो उस लैन्ड पर खातेदारी राइट किसको मिलेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : खातेदारी राइट नहीं मिलेंगे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस प्रकार ४ वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है।

बाकी जो प्रिन्टिंग एरर बताई गई है कि १६ (२) के बजाय १६ (५) छप गया इसलिए उसको १६ (२) किया जावे। इसके बजाय कोई महत्वपूर्ण एमेन्मेडन्ट पेश नहीं किया है जिसके बारे में बहुत विचार करने की जरुरत हो।

एक दलील माननीय सदस्यों ने पहले भी दी है—पर्सनल कल्टीवेशन और माइनर व विडोज को कम्पेन्सेशन देने के बारे में। मैं दोनों बातों का जिक्र करना चाहता हूं।

जिस जागीरदार की जागीर रिज्यूम हुई इसका मतलब यह कि उसके जो राइट्स पहले थे वे सब गवर्नमेंट में वेस्ट हो गए। अब वही जमीन उसको खुदकाश्त के लिए रेन्ट पर मिलती है तो वह भी इसी तरह से रेन्टेड टीनेन्ट की केपेसिटी में आता है, चाहे वह जागीरदार हो। उसकी हैसियत वैसी ही है जैसी दूसरे टीनेन्ट की है। अभी दूसरे टीनेन्ट की जमीन का कोई काश्तकार खातेदारी राइट एक्वायर कराता है तो उसको कम्पेन्सेशन

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

इम्प्रूवमेन्ट का देते हैं । जब एक टीनेन्ट और सब टीनेन्ट से इम्प्रूवमेन्ट का कम्पेनसेशन ले लेते है तो जागीरदारों की जागीरें समाप्त हो गई हैं और उनको दूसरों की तरह से ट्रीट किया जाता है, उनकी पोजीशन और दूसरों की पोजिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है वह भी टीनेन्ट है । वैसी हालत में दोनों में डिस्क्रिमिनेशन करने में कोई जस्टीफिकेशन नहीं पाते ।

एक बात पर्सनल कल्टीवेशन के बारे में बताई और एक माननीय सदस्य ने इस संबंध में यहां तक कह दिया कि जब खेत में खड़े खड़े काम करते करते पसीना हो जाय तो वैसे आदमी को पर्सनल कल्टीवेटर कहा जाता है । जब वह पसीना बहा दे और सब काम खुद करे तब वह पर्सनल कल्टीवेशन के बारे में आ सकता है वर्ना नहीं। जब हम इन प्रावधानों को एप्लाई करने की सोचते हैं, जब हम उन व्यक्तियों को इजेक्ट नहीं करना चाहते जो माइनर हैं । अब आप कहेंगे कि वह पर्सनली कल्टीवेट नहीं करता; मैं कहूँगा कि वह नहीं कर सकता । इसलिये जब पर्सनल कल्टीवेशन के बारे में जो माननीय सदस्य ने राय दी है उससे मैं इत्तफाक नहीं करता । हमारे मूल एक्ट में पहले से ही इसकी डेफिनेशन दी गई है और सोच-समझ कर सदन के द्वारा पारित की गई है तो मेरे खयाल से इसमें एतराज की आवश्यकता नहीं आती, क्योंकि दबी जबान से आप मानते हैं....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : दबी जुबान से नहीं, खुली जुबान से कहते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : They are not disabled persons.

ऐसी कितनी ही श्रेणियें हो सकती हैं । लेकिन हमें कानून इस प्रकार का बनाना पड़ता है जिससे हम सभी चीजों को मीट कर सकें । आप बार बार कहते हैं कि बार बार एमेन्डमेन्ट आते हैं । एक्स सर्विसमैन....

एक माननीय सदस्य : जमीदारों को, एक्स सर्विस मैनों आदि को क्यों मुक्त किया जाता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जागीरदारों की बात नहीं है । पर्सनल कल्टीवेशन में जो किसान खेती करता है वह है, इसमें महाजन भी आ सकता है और दूसरे भी आ सकते हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपके समाजवाद में यह बुनियादी खयाल बना है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपके समाजवाद आने पर....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हम भी कानून से मांग कर रहे हैं और आप डर रहे हैं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पर्सनल कल्टीवेशन के बारे में मैं यह निवेदन करूंगा कि इसमें संशोधन करने की बात प्रिन्सिपल बिल के स्कोप में नहीं आती है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह कहिये कि आपके दिमाग में नहीं आती है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं कर नहीं सकता । इसलिये जो प्रस्ताव माननीय सदस्य ने इसको प्रवर समिति में भेजने का रखा है

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

उसका विरोध करता हूं। इसमें कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिससे इसको सलेक्ट कमेटी में भेजना जरूरी हो। क्लॉज बाई क्लॉज के समय एमेंडमेंट कोई हो तो उनको पॉइन्ट आउट किया जा सकता है और नतीजे पर पहुंच सकते हैं। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इसको विद्ड्रा कर लें ताकि क्लॉज बाई क्लॉज लिया जाए।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अभी माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि १९ (५) के बजाय १९ (२) पढ़ा जावे। आपने १९ (४) के द्वारा जब ६ महीनों में सरेन्डर करने का समय रखा था वह ३ साल का किया जा रहा है। क्या सरकार दो वर्ष के बजाय भी ४ वर्ष का कर रही है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं इस संबंध में कुछ नहीं कह सकता। जब इस पर क्लॉज बाई क्लॉज डिस्कशन होगा उस समय देखा जावेगा; अभी मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): माननीय मन्त्री महोदय ने मेरे प्रस्ताव को वापिस लेने का आग्रह किया है, लेकिन उनकी ओर से जो उत्तर प्राप्त हुआ है उसको मैं ऐसा समझता हूं कि जो इन्टरप्रिटेशन उन्होंने किये है वे उनके स्वयं के हैं या उन्होंने स्वयं ने लगाया है। जो अमेन्डमेंट आया है और जो उसकी मंशा है उस पर सदन के समस्त माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। उनको देख कर यह मालूम होता है कि सभी सदस्यों का समर्थन है। इसमें जहां जहां इन्टरप्रिटेशन है जो उन्होंने संशोधन में किये हैं; क्या धारा १५ ए, क्या धारा १९ और क्या धारा २० सब पर उनकी भिन्न भिन्न मान्यतायें हैं। जब आज हम इस धारा के द्वारा किसी विशेष चीज को तय करने जा रहे हैं, आज उन संशोधनों के द्वारा नया मोड़ कानून को देना चाहते हैं, कोई नई सुलभ चीजें काश्तकार को देना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि आप किसी चीज को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनायें और हम ठंडे दिमाग से इसको सोचें।

(४०. म. १)

(श्री भीमसेन, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि इस स्टेज पर रिप्लाई की जरूरत नहीं है। यदि आप विद्ड्रॉ करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं विद्ड्रॉ नहीं करना चाहता और निवेदन करना चाहता हूं कि इसे प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाये।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान टीनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १९६२ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान टीनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १९६२ को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : (मुख्य मंत्री) : चेयरमैन महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल को कल विचारार्थ लिया जाये। इस बीच में कुछ माननीय सदस्य और जो मंत्री महोदय इस बिल को पायलोट कर रहे हैं उनको कुछ भ्रान्तियां हैं, उनके संबंध में जैसी कि पहले भी चर्चा करते रहे हैं कुछ सूचनायें प्राप्त करने का प्रयत्न कर सकेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि सदन का कम समय लगेगा और ज्यादा आसानी से सारी बातें सम्भव हो सकेंगी। इस समय इससे अगले बिल को ले लिया जाये तो उचित होगा।

श्री सभापति: यदि सदन की अनुमति हो तो इस विधेयक को आगे लिया जाये।

(विचार विमर्श के पश्चात्)

राजस्थान टीनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १९६२ कल विचारार्थ लिया जायेगा।

राजस्थान कृषि ऋणिता निवारण (संशोधन) विधेयक, १९६२

(खण्डशः विचार-विमर्श)

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान रिलीफ ऑफ एग्रीकल्चरल इनडेटेडनैस (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६२ को विचारार्थ लिया जावे।

श्री सभापति: श्री हरिप्रसाद।

श्री हरिप्रसाद (पाटन) : सभापति महोदय, राजस्थान कृषि ऋण निवारण के लिए जो संशोधन हेतु विधेयक विधान सभा में प्रस्तुत हुआ है मेरी ऐसी मान्यता है कि जो यह कृषक हेतु कानून बनाया गया है यह पूर्ण नहीं है। क्योंकि किसानों के साथ साथ इसमें जो जोड़ा गया है कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए भी यह राहत दी जाये तो मेरी प्रार्थना है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर देना चाहिए क्योंकि इसमें सही माने में उन लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है और यह जो कानून बना हुआ है यह एक प्रकार से अपंग है। क्योंकि जो बैकवर्ड क्लास की जाति है, गरीब मजदूरों का वर्ग है चाहे फैक्ट्री का चपरासी हो, मजदूर हो या ठेला चलाने वाला हो, कोई भी गरीब आदमी हो उसको यह राहत मिलनी चाहिए। आज हम देखते हैं कि ब्याज पर ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज लेकर गरीबों का शोषण किया जाता है। आज जब कि मजदूर कर्जा लेता है तो मजबूर होकर वह उधार लेता है। जब वह अदा नहीं कर सकता तो उसके बोनस को और तनख्वाह की कुर्की करवा लेते हैं और उसको पूर्ण रूप से राहत नहीं मिलती। इसलिए मेरा निवेदन है, कानून जिसको प्रगतिशील कहा जा सकता है किन्तु यह पूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, इसलिए मेरी मान्यता है कि यह प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये ताकि वह इस पर विचार करे और सोचे, और गरीब जनता जिसको पैसे की बहुत आवश्यकता आती है उस पर विचार करेंगी तो सभी को इस कानून के तहत राहत मिल सकेगी। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि इसे प्रवर समिति

(श्री हरिप्रसाद)

के सुपुर्द किया जायें ।

श्री सभापति: श्री विजयसिंह झाला ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : सभापति महोदय, जो प्रस्ताव माननीय सदस्य ने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं क्योंकि इस संशोधन का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य यह है कि जिस गरीब जाति के लोगों पर कर्जा ज्यादा है उसको ज्यादा से ज्यादा सुविधा देकर उसे ऋण से मुक्त किया जाये । जहां तक शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्टस को जो इस एक्ट के अन्तर्गत लाया गया है मैं उसका स्वागत करता हूँ । लेकिन साथ ही साथ कई ऐसे व्यक्ति भी हैं जो इस अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आ सकते जिनको कि आना चाहिए और सबसे पहले मैं जो बैकवर्ड क्लास के व्यक्ति हैं इस प्रावधान के रहते हुए भी बैकवर्ड क्लास के लोगों को इस संशोधन के अन्दर सुविधायें नहीं दी गयी हैं । इस मूल एक्ट के अन्दर जो एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनेशन दी गयी है, जो परिभाषा दी गयी है वह परिभाषा बहुत ही लिमिटेड है और उस परिभाषा में बैकवर्ड क्लास की कोई भी जाति उसमें नहीं आती । जो राजस्थान में बैकवर्ड क्लास की एक सूची बनी हुई है वह सूची मैं सदन के समक्ष रखना चाहूंगा जिसके अन्दर ऐसे व्यक्ति आते हैं जो दरअसल में गरीब हैं और जिनके ऊपर कर्जा है । लेकिन इस संशोधन के बाद भी वह इसके अन्तर्गत किसी भी प्रकार की रियायत नहीं पा सकते । जैसे बनजारे, बगरिये, घोई, दमामी, दरोगा, धोबी, ढोली, गाडरी और इसी प्रकार से जितने भी २७-२८ बैकवर्ड क्लास की सूची में हैं उसके अन्तर्गत वे लोग काश्त नहीं करते इसलिए इस एक्ट की जो मूल धारा २ है उस परिभाषा में नहीं आते और जो नया संशोधन आया है उसके अन्तर्गत भी बैकवर्ड क्लास को नहीं लिया गया है । इसलिए इस पर भी सोचना बहुत आवश्यक है । साथ ही साथ ऐसे गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स जो कि दरअसल में गरीब हैं और मजबूरी से कहीं जाकर सरकारी नौकरी कर लेते हैं चाहे उनको २५ रुपये मिले या ५० रुपये मिले या केवल सरकारी नौकरी होने से या किसी प्राइवेट फर्म में नौकरी करने से उस आदमी को इस संशोधन या इस एक्ट के अनुसार रियायत नहीं दी जाये, यह भी कोई न्यायोचित कदम नहीं कहा जा सकता । साथ ही ऐसे आदमी जो कि बिजनेस करते हैं या बिजनेस की तो परिभाषा लम्बी-चौड़ी हो सकती है लेकिन कोई आदमी भूंगड़ा बेचे, ऐसे गरीब आदमी को इस रियायत से वंचित किया जाये, यह भी कोई उचित कदम नहीं कहा जा सकता । इसलिए इन सारी बातों पर सोचना आवश्यक है । हमें यह भी सोचना है कि व्यापारी की बहुत लम्बी-चौड़ी परिभाषा है । एक सब्जी बेचने वाला भी व्यापारी की परिभाषा में आता है, इसलिए कोई छोटा सा बिजनेस करे दरअसल में जिसके ऊपर ऋण है और बिजनेस करने के लिए दूसरों का कर्जदार है उसको इस रियायत के अन्दर नहीं लें और बैकवर्ड क्लास का आदमी जो कि खेती नहीं करता सेक्शन २ की परिभाषा में नहीं आता उसको इस रियायत में न लें तो यह वैधानिक या उचित कदम नहीं कहा जा सकता । साथ ही साथ १००) रुपये से अधिक जिसके ऊपर ऋण है उसको ही यह रियायत दी जायेगी,

(श्री विजयसिंह झाला)

इसके ऊपर भी हमको सोचना आवश्यक है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उनके ऊपर कर्जा १००) रुपये से ज्यादा है तो ऋण नहीं देंगे तो ऐसे बहुत से गरीब आदमी है जिनके ऊपर कर्जा है जो कि १०० रुपये से कम दूसरों का ऋण लिये हुए हैं। वह इस रियायत से वंचित रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में इन सारी बातों को देखते हुए जो माननीय सदस्य ने अभी प्रस्ताव रखा कि यह संशोधन प्रवर समिति के सामने रखा जाये मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सभापति महोदय, जो बिल सरकारी पक्ष की ओर से रखा गया है और जिसके सम्बन्ध में इसे प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिए एक संशोधन प्रस्तुत किया गया है हम महसूस करते हैं कि इस बिल में कोई ऐसी उलझनें नहीं हैं कि जिनको हम हमारे संशोधनों पर बहस करते समय हल नहीं कर सकें। यह एक नया कानून है और इस कानून से आम गरीब लोगों को, किसानों को कुछ राहत मिल सके, इस दृष्टिकोण से बनाया गया है।

अब जो इसमें ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स दिये गये हैं उसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को और शामिल करने का प्रावधान किया गया है। हम यह समझते हैं कि यह कानून और भी ज्यादा व्यापक हो तो अच्छा हो। लेकिन इस दृष्टिकोण से कि इसमें अभी जितनी सहूलियतें हैं और जो माननीय सदस्यों की तरफ से एमेन्डमेन्ट्स आये हैं वे भी काफी अच्छे हैं और महत्वपूर्ण हैं और दूसरे तबके जिनको कि राहत मिलनी चाहिए कर्जे में उनको भी इन एमेंडमेंट्स पर विचार करते समय और भी सोच सकते हैं। इसलिए हम ऐसा महसूस करते हैं कि प्रवर समिति को सुपुर्द करके इस बिल को हम अगले सदन के लिए, जो कि शायद आगे ६ महीनों में आये, पोस्टपोन कर देंगे और इस अर्से में इसका जो फायदा किन्हीं तबकों को मिल सकता है उनसे उन तबकों को वंचित कर देंगे। इसलिए इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करना हम जनहित में नहीं समझते हैं और इसीलिए इसको प्रवर समिति को सुपुर्द किये जाने का विरोध करते हैं।

श्री हरदत्तसिंह (नोहर) : सभापति महोदय, गरीबों को कर्जे से राहत देने के लिये सरकार ने जो बिल रखा है उसके लिए वह धन्यवाद की पात्र है। लेकिन इसके प्रभाव को जो परिधि रखी है वह बहुत संकीर्ण है और उस संकीर्णता को दूर करने के लिए कुछ माननीय सदस्यों ने दूसरे संशोधन रखे हैं। मेरी यह मान्यता है कि जहां तक कर्जे का सवाल है वह कोई खास तबके तक या किन्हीं जातियों तक ही महदूद नहीं है। अगर सरकारी आंकड़ों को जांचा जाय तो निम्न मध्य वर्ग है जो सबसे ज्यादा कर्जे में डूबा हुआ है और उनको राहत देने के लिए माननीय सदस्यों ने सुझाव रखे हैं व सरकारी संशोधनों के रूप में परिधि को बढाया है। अगर इसको तबकेवार लिया जाय, इसकी श्रेणियां बनाई जायं, और जो भी नौकरी पेशा लोग हैं उनको सरकारी और

(श्री हरदत्तसिंह)

गैर सरकारी के हिसाब से क्रमबद्ध किया जाय, और इसमें तांगे वाले और दूसरे गरीबों को शुमार किया जाय तो श्रेणियां बनाने में काफी गुन्जायश है। यह बहुत गम्भीर विषय है। कानून की यह मान्यता है कि जो भी कानून लागू होते हैं किसी वर्ग के लिए तो एक इकाई के रूप में वर्ग को लिया जाता है। इसमें कर्जदार को राहत देने की बात कही गई है तो कर्जदार एक इकाई के रूप में आया है। और सरकारी पक्ष की ओर से जो प्रस्ताव आया है वह एक इकाई अंग के रूप में पूर्ण नहीं हैं। उसमें पहले से किसान मौजूद है। कुछ अंग और जोड़ दिये गये हैं। और सारा शरीर सम्पूर्ण हो इसलिए इस पर विचार करने के लिए मैं सोचता हूँ कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने और विचार करने के लिए समय दिया जाना जरूरी है।

श्री जयकृष्ण शर्मा (थानागाजी) : अध्यक्ष महोदय, आज सुबह टीनेन्सी एक्ट में कुछ एमेन्डमेन्ट्स आये थे, उस समय भी प्रवर समिति की बात रखी गई थी और अब एक क्रांतिकारी जो कदम उठाने जा रही है सरकार उसके लिए प्रवर समिति के सुपुर्द करने की बात कुछ सदस्यगण कहना चाहते हैं। मैं यह समझता हूं कि इस बार सदन में जब से नये प्रतिनिधि चुन कर आये हैं सब ने, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों सोश–लिस्टिक पैटर्न की बात कही है। मैं समझता हूं कि धीरे धीरे इन लोगों की जो सोशलिस्टक पैटर्न की बात कहना चाहते हैं कलई खुलती जा रही है बिलों के मार्फत या प्रस्तावों के अन्दर जो एमेंडमेन्ट्स आये हैं उनमें। उनकी बातों को लेकर साफ जाहिर हो जाता है कि वे किन मनसूबों और किन बातों को लेकर उनके हृदय के अन्दर क्या जजबात हैं, किन बातों में किस प्रकार का सुधार चाहते हैं। आप देखेंगे कि जब देश के अन्दर कोई सुधार की बात होती है, कोई किसान को राहत देने की बात होती है, सुबह जो एमेन्डमेंट था उसमें और अब भी जब यह रखा गया है उसमें कुछ रियायतें देने की बात है तो रियायतें देने की जो बातें हैं उनको लेकर, जो क्रांति आती है, जो तरक्की आती है उसको रोकने के लिए प्रवर समिति को सुपुर्द करने की बात करते हैं और जो एक बात इस बिल के अन्दर रखी गई है....

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : ओन ए पोइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सर, पहले से ज्यादा रियायतें देने का सवाल हैं, कम का नहीं है। आपने गलत समझा है। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रियायतें दी जायं।

श्री जयकृष्ण शर्मा : आप खुद गलत समझते हैं।

श्री विजयसिंह झाला : आप गलत समझ रहे हैं।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा) : दोनों ही ठीक हैं।

श्री जयकृष्ण शर्मा : कई सदस्यगण इस बात को लेकर कि यह बिल जो इतना क्रांति–कारी है जिसको कांग्रेस सरकार पेश करने जा रही है उससे उनके जो इरादे हैं उनके ऊपर एक प्रकार से प्रभाव पड़ता है इसलिए वह

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

प्रवर समिति को सुपुर्द करना चाहते हैं। एक बिल नया पास कर रहे हैं और सब को विचार करने का मौका है। एमेन्डमेंट्स रख सकते हैं इसलिए इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करना मैं समझता हूँ कि हमारी जो समाजवादी नीति है उसके खिलाफ है। इसलिए सदन के सदस्यों का ध्यान, अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत आकर्षित करना चाहता हूँ कि जो यह बिल रखा गया है इस पर विचार किया जाय और इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने........

श्री हरदत्तसिंह (नोहर) : ओन ए पोइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन सर, क्या आपके खयाल में प्रवर समिति को सुपुर्द करना समाजवाद के खिलाफ है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : इस तरह से कोई भी सुधार कानून आता है, कोई भी सुधार करने जाते हैं उसमें देरी करना अपने कदम को पीछे हटाना है। इसलिए मैं अपने विचारों से इस बात को कहना चाहता हूं....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : दो वर्ष से पड़ा हुआ है और आपने कानून में संशोधन के रूप में नहीं रखा है। तो उस वक्त पीछे नहीं चले गये थे क्या ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : तब से आ रहा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : क्रांति की आग के ठंड लग गई।

श्री जयकृष्ण शर्मा : जी हां, आपके मायने में।

इसलिए मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द नहीं करना चाहिए और इस पर विचार करके जो भी अपने विचार हैं, जो भी एमेंडमेंट्स है पेश करें और उन पर विचार रखें जिससे यह बिल पास होकर गरीब किसानों को राहत मिल सके। यही बात मैं कहना चाहता हूँ।

श्री महेंद्रसिंह (बीगोद) : सभापति महोदय, इस बिल में किसानों को ऋण से मुक्त करने का सरकार ने कदम उठाया है, उसी प्रकार सरकार धनवाले व्यक्तियों से गरीब मजदूरों को ऋण से मुक्त करे। ऐसा एक कदम उठाना चाहिये, और मैं समझता हूँ कि इस बिल में उन मजदूरों को और उन गरीब धंधेवालों को भी शामिल कर लिया जाय जो आज अपना अधिकतर जीवन दूसरों से ऋण लेकर चलाते आ रहे हैं। आज मैं देखता हूँ कि गरीब आदमी लगातार उन मालदारों के कर्जदार हो रहे हैं और उनको अपनी मजदूरी का पैसा ब्याज के रूप में देना पड़ता है और इस प्रकार गरीब आदमी दिन ब दिन गरीब होते जा रहे हैं। यदि संशोधन में जोड़ दिया जाय कि जिस प्रकार किसान मुक्त हो सकते हैं उसी तरह से गरीब आदमी को भी मुक्त किया जा सके तो मैं समझता हूँ गरीब आदमियों की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है और जो सुझाव कुछ लोगों की तरफ से सदन के समक्ष आये हैं उनको जोड़ने के लिये इस प्रस्ताव को प्रवर समिति के सुपुर्द करना अति अनिवार्य है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : सभापति महोदय, जो यहां प्रश्न आया है कि इस अमेंडमेंट बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय उसको मैं सदन के समक्ष दूसरे रूप में रखूंगा। जहां तक इस जजबात का सवाल है कि आज वर्ग जो शोषण करता है उससे मुक्ति काश्तकारों के साथ साथ मजदूरों को भी मिले, मध्यम वर्ग के जो व्यक्ति हैं चाहे वे व्यापारी हों, चाहे वे नौकर हों, चाहे वे कुली हों, किसी भी श्रेणी के व्यक्ति हों उनको इससे मुक्ति मिले, इसमें दो राय नहीं हो सकती और मैं भी इससे सहमत हूँ। लेकिन जो मुख्य प्रश्न है वह यह है कि एक्ट जिस नाम से परिभाषित है, एग्रीकल्चर रूरल इन्डेटेडनैस एक्ट, आज जिस प्रकार का संशोधन लाया जा रहा है या बिल में जो संशोधन रखा है शिड्यूल कास्ट या शिड्यूल ट्राइब्स के नाम से, यद्यपि वे काश्तकार हों या न हों, क्योंकि वे पिछड़े हुए हैं, गिरे हुए हैं, गरीब हैं, उनको भी इससे मुक्ति दिलाई जाय। मैं जहां तक मुक्ति दिलाने का प्रश्न है सहमत हूँ कि मुक्ति मिले लेकिन कहीं ऐसा न हो कि काश्तकार की परिभाषा को तोड़ मरोड़ न डालें और दूसरे देखनेवालों को ऊपर से ऐसा लगे, लेकिन इसके अन्दर मजदूर का नाम लेकर आ जायगा, शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स को लेकर आ जायेगा चाहे वह काश्तकार है या नहीं। तो इस गम्भीर समस्या, काश्तकार को लेकर कानून लाया गया है, इसमें ये शब्द रह सकते हैं या नहीं, इस पर सोचना चाहिये। जजबात जाहिर करना ठीक होता है। लेकिन उसके साथ यह सोचना पड़ेगा कि क्या इसके अन्दर शिड्यूल कास्ट, शिड्यूल ट्राइब्स या अन्य पिछड़े लोगों को राहत दें या न दें। तो मैं इस प्रश्न को लेकर निवेदन करूंगा कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

श्री गोकुलचन्द (कटूमर) : सभापति महोदय, यह जो बिल सदन में प्रस्तुत है, वास्तव में यह बहुत महत्वपूर्ण है। विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य जो इसे प्रवर समिति को सुपुर्द करने के विचार रखते हैं, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। इसलिये सहमत नहीं हूं कि वास्तव में सही बात है कि जो कानून गरीबों के हित में है, किसानों के हित में है, ऐसे लोगों के हित है जिनके लिये सरकार को संरक्षण देना आवश्यक है तो ऐसे बिल को जल्दी से जल्दी पास करना उचित है।

अभी एक माननीय सदस्य ने यह बात कही है कि इसमें शिड्यूयल कास्ट को संरक्षण देने का प्रश्न नहीं आता है। मैं अर्ज करूंगा कि यह ठीक बात है कि वे इस देश में ऐसे वर्गों के लोग हैं जो सरकार से संरक्षण पाने के हकदार हैं, लेकिन हरिजनों को अनुसूचित जाति वालों को, अनुसूचित जन जाति वालों को इसमें लेने की जो चर्चा की गई है वह इसलिए जरूरी है कि अव्वल तो उसमें से अधिकतर लोग काश्तकार हैं और काश्तकार नहीं हैं तो भी ऐसे लोग हैं जिनको काश्तकारों या जमींदारों द्वारा संरक्षण मिलता है। वे लोग काश्तकारों और जमींदारों की मदद करते हैं और उनकी सेवा करके अपना गुजर करते हैं तो काश्तकारों के अलावा उनको भी संरक्षण देना आवश्यक है।

श्री भैंरवलाल 'काला बादल' (अकलेरा) : सभापति महोदय, राजस्थान कृषि

(श्री भैरवलाल 'काला बादल')

ऋण निवारण (संशोधन) बिल के ऊपर माननीय सदस्यों ने इसे प्रवर समिति में भेजने की बात कही है, मैं उसका विरोध करता हूं, और विरोध इसलिये करता हूं कि हमारा राजस्थान आर्थिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा हुआ है और राजस्थान एक कृषि प्रधान प्रान्त है। यहां के कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर के इलाकों में जाकर व्यापार करते हैं लेकिन उनके मकानों को संभालने के लिये और दूसरे कामों के लिये बेचारे यहां के लोग बिना कुछ लिए दिए देख भाल करते है। क्योंकि बड़े बड़े पैसे वालों के वे कर्जदार हो जाते हैं और गरीबों से कितना हो ब्याज कमाते रहते है और एक साल में दिए हुए सौ रुपयों का ब्याज १० साल में ५००) रु. दे देते हैं तो भी १००) रू० बने रहते हैं। उन सौ रुपयों का कई गुना ब्याज दे देने पर भी सौ रुपये बने ही रहते हैं। इससे मैं समझता हूँ कि यदि इस बिल को पास करने में देरी की तो यही हालत होगी जैसी कि पहले टीनेन्सी एक्ट बनाया था तब किसानों को खातेदारी राइट दिये थे, जो किसान तीन तीन साल से कब्जा किये हुए थे उनसे बड़े बड़े जमींदारों ने, भूमिपतियों ने किसान के खातेदारी राइट छीन लिये और कह दिया कि अब की बार तो तुम नया खेत जो लो। तो बरसों से खेत जोतने वालों से नये खेत जुतवा लिये और पुराने खेत उनसे छुड़वा कर अपना कब्जा उन पर कर लिया और किसान को खातेदारी अधिकारों से वंचित कर दिया। यही हालत इस कानून की रही तो चर्चा बाहर जायेगी और वे लोग किसी और नाम से जेवर गिरवी रखवा लेंगे। पुराने कर्जे को जेवर के रूप में दे देंगे। यदि यह प्रवर समिति में जायगा तो उससे पहले ही किसानों के जेवर गिरवी रखवा लेंगे। सभापति महोदय, मैं समझता हूँ इसको जल्दी ही पास कर दिया जाय........

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : On point of order, Sir....

श्री भैरवलाल 'काला बादल' : इसको जल्दी ही पास करना चाहिये क्योंकि लोगों की विचारधारा बदलते देर नहीं लगती। यह भी कहा गया कि तांगे वाले भी इस बिल में शामिल कर लिये जावें। लेकिन इस बिल का नाम है 'राजस्थान कृषि कर्जा निवारण बिल'। इस नाम के साथ ताँगेवालों का कैसे जोड़ दिया जाय ? तांगेवालों के लिये दुबारा कानून बन जायगा........

श्री हरदत्तसिंह (नोहर) : इस एक्ट में शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब का जिक्र किया गया है, क्या इससे आपके एग्रीकल्चरिस्ट पर फर्क नहीं पड़ता है ?

श्री भैरवलाल 'काला बादल' : शिड्यूल कास्ट ऐसी कौम थी जो बरसों तक कुचली जाती रही है, आपको मालूम होना चाहिये। मैं बीच में कहने वाला था। यहां पर १६ हजार जरायम पेशा लोग थे। आज उनको जमीन मिलनी चाहिये। लेकिन आज जो किसान खेती करनेवाले बड़े बड़े लोग हैं, आज सरकार सोचती है कि उन बेचारों को मुक्त किया जाय, धन्धे पर लगाया जाय, उनका आर्थिक स्तर ऊंचा उठाया जाय ताकि बड़े बड़े पैसे वाले सुख की नींद सोवें। इसलिये इसको जल्दी पास करना चाहिये.......,

श्री विजयसिंह झाला : सभापति महोदय, माननीय सदस्य को गलतफहमी हो गई है कि हमने विरोध किया है कि शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइबर को नहीं लिया जाय। ऐसी बात नहीं है। हम भी चाहते हैं कि शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब के लोगों को भी रियायत दें। लेकिन इसके साथ ही तांगेवालों को भी रियायत मिल जाय तो मेरी समझ में माननीय सदस्य को विरोध हो, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : सभापतिजी, यह सबसे पहला कानून है। तांगेवालों के लिए अलग बने, तांगे हैं, रिक्शे हैं, ठेले हैं, इनको चलानेवालों के लिए अलग बने। यह कृषक से सम्बन्ध रखने वाला कानून है, इसलिए इसको जल्दी पास करना चाहिए।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : सभापति महोदय, वैसे मुझ से पहले एक माननीय सदस्य सदन के सम्मुख यह बात पेश कर चुके हैं कि कानून की जहां पेचीदगियां आती हैं तो उनको देखना चाहिए। जैसे आज कोई व्यक्ति किसी में पैसा मांगता है तो वह अदालत में जाता है। उस मायने में इस सदन की नीयत इतनी अच्छी है कि उस कर्जदार को राहत मिले। लेकिन जहां कानून में पेचीदगियां आती हैं, उनको देखना चाहिए कि इसमें कहां कहां कॉम्प्लीकेशन्स आ सकते हैं। अगर किसी ने इस कानून के प्रति रिट लगा दी तो उससे बचने के लिए यह कानून सफीशियेन्ट नहीं होगा क्योंकि इस कानून के नाम के साथ कृषि जोड़ कर ऐसा बता दिया है कि यह केवल कृषि या काश्कारी करने वालों के लिए है।

इसके साथ ही साथ सदन में दो रायें हैं, एक तरफ कहा जाता है कि तांगेवाले हैं, गरीब मजदूर हैं, स्कूल मास्टर हैं या क्लर्क हैं वे भी गरीब है, उनकी जिन्दगी के ऊपर भी रहम खाना चाहिए, उन पर भी तरस खाना चाहिए। क्या वे कर्जदार की फहरिश्त में नहीं आते हैं? क्या मजदूर और गरीब आदमी इस फहरिश्त में नहीं आते हैं? तो जहां तक शिड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को जोड़ा गया गया है,वह ठीक है। लेकिन इसे प्रवर समिति के सामने पहुंचाने का मतलब यह नहीं है कि इसको डिले किया जाय; बल्कि यह है कि इस कानून के साथ साथ कॉन्स्टीट्यूशन रखा जाय, दूसरे कानून रखे जायं और उस कमेटी में कानून के माहिर रखे जायं जो यह निर्णय दे सकें कि इसमें कहीं पेचीदगी आ सकती है या नहीं। वैसे कानून बनाने में क्या है, आप सौ कानून पास कर दें। इसके लिए असेम्बली आजाद है,असेम्बली के माननीय सदस्य आजाद हैं। लेकिन हर आदमी के लिए हाई कोर्ट में जाने का रास्ता खुला हुआ है, उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। वहां जाकर हमको नीचा देखना पड़े नहीं, यह हमें ध्यानमें रखना चाहिए। मैं समझता हूं कि प्रवर समिति में पहुंचाने का मतलब यह नहीं है कि इसको डिले किया जाय। हम यह नहीं चाहते हैं क्योंकि जो गरीब हैं उनको यह रियायत मिलनी चाहिए।

अब एक मसला आता है कि पंचायत के स्थान पर न्याय पंचायत के नाम को इनसर्ट किया है। तो पंचायत की जगह जो

(श्री अब्दुलजब्बार)

न्याय पंचायत का नाम लिखा है, उस न्याय पंचायत का अधिकार १००, २५० तक के दावे सुनने का है। लेकिन जो इससे बियोन्ड के केस होते हैं उनका क्या किया जायगा? तो इस चीज को भी मद्दे नजर रखा जाय। मैं समझता हूं कि जब कानून बनाते हैं तो सब मुद्दों पर सोचना चाहिए। जो ताजीरात हिन्द है और दूसरे कानून हैं उनमें कभी कोई संशोधन करने का सवाल नहीं आता है। तो जो पब्लिक सेफ्टी के कानून बनाये जाते हैं उनमें सब मुद्दों को देखना होता है। इसलिए हमारे कानून ऐसे होने चाहिए जो हथोड़े रुपी विरोध की टक्कर से बचे रह सकें। इसलिए सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि यह बिल सलेक्ट कमेटी के सम्मुख जाना चाहिए ताकि अच्छी तरह से इस पर विचार हो सके।

श्री किशनसिंह (लक्ष्मणगढ़) : सभापति महोदय, इस बिल के बारे में जो चर्चा रही है, मैं उस सिलसिले में निवेदन करूंगा कि मैं कोई वजह नहीं पाता हूं कि इस बिल को प्रवर समिति के सामने भेजा जाय। कोई दलील नहीं बताई माननीय सदस्य ने कि इस कारण से देरं लगाई जाय। सिर्फ इस बिल में देर लगाने की वजह से प्रवर समिति में भेजेंगे तो आज से ६ महीने के बाद वह वहां से विचार होकर आवेगा और फिर हम उस पर विचार करें। अब अगर सलेक्ट कमेटी में वे इस पर विचार न करें और वैसा का वैसा बिल लाकर रख दें तो फिर प्रवर समिति को भेजा जायगा। तो इतनी देर लगती है, उसके कारण गरीबों का नुकसान होगा। इसमें केवल इतना बताया गया कि तांगेवाले जोड़ दिया जाय, तो तांगेवाले भी हैं, रिक्शे वाले भी हैं, मोटर टैक्सीवाले भी हैं, मास्टर भी हैं, उनके लिए दुबारा बिल आ जायगा उस पर विचार कर लेंगे। लेकिन इसमें ऐसी कोई दलील नहीं बताई गई कि जिसकी वजह से इसको रोका जाय और फिर विचार किया जाय। मैं तो यह कहूँगा कि इस बिल पर विचार कर लिया जाय और क्लॉज बाई क्लॉज जिनको जो कुछ कहना है,वे कहते रहें। इतना ही कहने के बाद मैं कहना चाहता हूं कि इस पर विचार किया जाय।

श्री दलपतसिंह (आबू) : सभापति महोदय, इस बारे में कई सदस्यों ने अपने विचार प्रगट किये हैं कि प्रवर समिति में भेजा जाय मैं उसका विरोध करते हुए, सभापति महोदय, सदन के सामने यह विचार प्रकट करुंगा कि जो काश्तकार अभी तक इतने कर्ज से दबे हुए हैं उनको रिलीफ देने के लिये राजस्थान सरकार ने यह क्रांतिकारी बिल पेश किया है, इसको सलेक्ट कमेटी में नहीं भेजना चाहिए और जल्दी से जल्दी पारित करना चाहिए। आप देखते हैं कि आज से तेरह वर्ष पहले हमने कहा था कि किसान कर्ज में पैदा होता है, कर्ज में रहता है और कर्ज में मर जाता है, एक कर्ज का गट्ठर उसके सिर पर लदा रहता है। आज देखते हैं कि काश्तकार के पास जमीन होते हुए, कुंए होते हुए भी काश्तकार क्यों दबा हुआ है-- क्योंकि आज भी वह कर्ज से दबा हुआ है। इस कर्ज़ से उसे इस बिल से रिलीफ मिल जायगी तो वह प्रगति कर सकेगा।........

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : On a point of information, sir

श्री दलपतसिंह : इसलिए इस बिल को जल्दी से जल्दी पारित किया जाय और सलेक्ट कमेटी के सामने नहीं भेजा जाय। आज आप देखते हैं कि आज जो किसान दबा हुआ है उसका सबसे बड़ा कारण है कि वह कर्ज से दबा हुआ है। उसके पास भी अक्ल है। इसमें सन्देह नहीं है कि गांव के काश्तकार भी अच्छी से अच्छी अक्ल रखते हैं। इसलिए चाहे साधनों की कमी न हो, चाहे विकास के सारे साधन हों लेकिन जब तक वह कर्ज से दबा हुआ है तब तक उसका विकास होही नहीं सकता है। इसलिए सरकार ने जो क्रांतिकारी बिल रखा है उसको सलेक्ट कमेटी में भेजने से टाइम खराब होगा। इसलिए मैं इसका विरोध करता हुआ अर्ज करूंगा कि इसे सलेक्ट कमेटी में न भेज कर इसे जल्दी से जल्दी पास किया जाय।........

श्री विजयसिंह झाला : ओन ए पोइन्ट आफ इन्फॉर्मेशन........

श्री दलपतसिंह : अब एक बात कही गई है कि शिड्यूल्ड कास्टस में भाट वगैरह कई ऐसे लोग हैं, जिनके नाम इसमें नहीं आये हैं। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे जो गरीबों के नाम नहीं आये हैं और जो हमेशा से काश्तकार का धन्धा करते हैं उनको एड कर देना चाहिए। इसलिये मैं चाहूँगा कि इस बिल को जल्दी से जल्दी पारित किया जाय और सलेक्ट कमेटी में नहीं भेजा जाय।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : सभापति महोदय, इस बिल को प्रवर समिति में भेजने के बारे में जो बहस चल रही है, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जहां तक जिन महानुभाव ने प्रस्ताव प्रवर समिति में भेजने का रखा है उनकी मन्शा इस बिल की खिलाफत करने की नहीं है। 'हां' पक्ष केलोगों का खयाल है........

एक माननीय सदस्य : वे देर करना चाहते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : वह हम भी महसूस करते हैं कि जिन माननीय सदस्य ने प्रवर समिति में भेजने की शिफारिस की है, उन्होंने प्रस्ताव में लिखा है कि एक महीने के बाद प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट पेश करे और यह स्पष्ट है कि एक महीने के बाद असेम्बली की मीटिंग नहीं होगी। इसलिए ऐसा लगता है कि वे इसमें देर करना चाहते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि इस बिल को प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता है। क्योंकि जो अमेंडमेंट विस्तार से रखे गये हैं उन पर विस्तार से विचार कर सकते हैं, उन पर क्लॉज बाइ क्लॉज विचार कर सकते हैं।

'हां' पक्ष के लोगों का जहां तक कहना है कि यह बहुत प्रगतिशील बिल रख रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा प्रगतिशील बिल नहीं है जिससे एग्रीकल्चरिस्ट के डेट (Debt) ही खत्म हो रहे हों। लेकिन जो बहुत मामूली रिलीफ, पांच पर्सेन्ट, दस पर्सेन्ट को रिलीफ मिलती है तो उसका स्वागत करते हैं। जो समाजवादी दृष्टिकोण से रिलीफ देते हैं और एक डेटर (debtor) की परिभाषा में शिड्यूल्ड कास्ट्स को और

(श्री मानिकचंद सुराणा)

शिड्यूड ट्राइब्स को शामिल करना चाहते हैं, उसका स्वागत करते हैं । उसमें एक पर्सेन्ट भी मतभेद होने की बात नहीं है कि डेटर की परिभाषा में शिड्यूल्ड ट्राइब्स को शामिल न किया जाय, जिन्होंने सुझाव रखा है उनका कहना है कि इसमें लेबर को भी इन्कलूड किया जाय, तांगेवालों को भी इन्क्लूड किया जाय। उस पर विचार हो सकता है और उसको ठीक किया जा सकता है । लेकिन इस प्रकार के संशोधन के लिए कहना कि यह संशोधन समाजवादी नहीं है, गलत है । यह ठीक है कि बिल एक क्लास के वास्ते बनते हैं तो एग्रीकल्चरल रिलीफ के लिए बिल अलग रहे, लेबर के लिए अलग रहे । 'हां' पक्ष के लोग या जो मिनिस्टर इसका जवाब देंगे वे कहेंगे कि लेबर को रिलीफ देने का बिल बनाया है, उसमें डिले करेंगे । इसलिए इसमें जो रियायत है और जिसको प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस रियायत में क्या उनका स्थान नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा उनसे यह आपका महत्वपूर्ण संशोधन नहीं है । यह महत्वपूर्ण है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को इसमें शामिल करना चाहते हैं, इसको फौरन स्वीकार कर लेना चाहिए । इसलिए मेरा निवेदन होगा कि जो प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा है उसको वापिस ले लें क्योंकि इस बिल को वहां भेजने की आवश्यकता नहीं है । इस निवेदन के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ ।

श्री सतीशकुमार शर्मा (बानसूर) : माननीय सभापतिजी, कोई भी कानून हम बनाने लगते हैं तो उससे पहले उसकी वजुहात हमारे दिमाग में आती है । हम देखते हैं कि किस तरह की वजुहात पैदा हो गई कि जिससे इस क्लास के लिए कानून बनना चाहिए । जब उसी तरह की वजुहात दूसरी क्लास में देखते हैं, जैसे काश्तकारों ने परेशानी महसूस की शिड्यूल्ड कास्ट्स ने परेशानी महसूस की, हरिजनों और शिड्यूल्ड ट्राइब्स ने परेशानी महसूस की उसी तरह तांगे वाले, रिक्शे वाले हैं । उनमें आज देखते हैं तो वे वजुहात उनमें भी मौजूद हैं । कोई कारण नहीं मालूम पड़ता कि क्यों नहीं विचार करने के लिये थोड़ी देर ठहरें। जैसे आपने टीनेन्सी एक्ट में देखा तो जाहिरा तौर से कमजोरी मालूम पड़ती है कि किस तरह से राजस्थान वाले कानून बनाते हैं कि हर तीसरे महीने उसमें संशोधन करना पड़ता है, ऐसा बाहर के प्रांतों के लोग भी कहेंगे । तो आप इस पर विचार कर लीजिये, बैठ कर तो कौनसा गुनाह हो जावेगा ? यह इन्नोसेन्ट सजेशन है । जो यह कहते हैं कि देरी करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी दिन छिपने से पहले पास कर दीजिये । इसके बारे में एक ऑर्डिनेन्स पहले से ही लागू हुआ है । अगर इसके विचार करने में महीना, बीस दिन लग भी जावे तो चार, छः महीना में क्या होनेवाला है....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : ६ महीनों तक ऑर्डिनेन्स रहता नहीं है ।

श्री सतीशकुमार शर्मा : इसलिये हम तो देर नहीं करना चाहते । इसके लिये जल्दी हो तो टाइम मुकर्रर किया जा सकता है और विचार करने में ही आपको आक्षेप हो तो यह दूसरी बात है । इसके माने यह हैं कि पांच साल बाद यह संशोधन लाये, फिर पांच

(श्री सतीशकुमार)

साल बाद दूसरा संशोधन लावेंगे, रोज रोज अमेंडमेंट लाते रहेंगे। अगर एक बार में ही अच्छी तरह सोच समझ कर विचार कर लिया जाय तो फिर रोज रोज अमेंडमेंट लाने की जरूरत नहीं रहेगी। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : प्रवर समिति का जो सुझाव आया है इसका मैं विरोध करता हूं। मेरा निवेदन यह है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति काफी अर्से से समाज के ऋण से दबी हुई थी उनको राहत देने के लिये ही यह कानून बनाया गया है। गांवों में आपने देखा होगा कि ये लोग अधिकतर बिचोलिये लोगों के यहां सीजारी या हाली को तरह से काम करते हैं। जहां से मैं आया हूं, मेरे क्षेत्र में मैंने अनुभव किया है कि बहुत से ऐसे महाजन या इस प्रकार के लोग होते हैं जो सौ दो सौ रुपया देकर इन लोगों से बरसों तक बेगार और परिश्रम कराते हैं और ऋण से इनको बेबाक नहीं होने देते। इनको राहत देने के लिये यह संशोधन बहुत उपयुक्त है। इससे अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को बहुत काफी राहत मिलेगी।

बहुतों ने यह कहा कि कालबेलिये और दूसरे दूसरे लोग इसमें नहीं आते हैं, उनके सम्बन्ध में भी निवेदन है कि इसमें 'ट्राइबल कम्युनिटी के लिये शब्द आया है। अनुसूचित जन जाति और अनुसूचित जाति मे, सभी कौमें करीब करीब आ जाती हैं जो गरीब और पिछड़ी हैं।

दूसरा प्रश्न यह है कि बहुत सों ने यह सुझाव दिया है कि लेबर और मजदूरी करने-वाले लोग इसमे शामिल नहीं हुए। मेरा ऐसा निवेदन है कि ज्यादातर मजदूरी करने वाले भी इन जातियों में से ही होंगे। बहुत कम दूसरी जाति के होंगे। इसलिये उनका यह जो सुझाव है कि उनको भी एड किया जावे इसकी जरूरत नहीं रह जावेगी, उनकी मंशा भी करीब करीब इससे पूरी हो जाती है।

एक महानुभाव ने सुझाव दिया कि ऑर्डिनेन्स चल रहा है, इस बीच में इसे प्रवर समिति में भेज दिया जावे तो कठिनाई नहीं होगी। तो जहां तक कायदे की बात है, ६ महीने से ज्यादा ऑर्डिनेन्स नहीं चल सकता। इसलिये जल्दी से इसे पास करना है। ऐसी हालत में मेरा यह निवेदन है कि इसको जल्दी से जल्दी पास कराया जाकर इन अनुसूचित जाति व जन जातियों के लोगों को राहत दिलाई जावे। इसी में हमारा और हमारे समाज का भला है।

श्री सभापति : श्री नत्थीसिंह।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : जो बिल हमारे सामने विचारार्थ है और जिसके विषय में कहा गया है कि इसे प्रवर समिति में भेज दिया जावे तो इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इस बिल में कोई ऐसी बात नहीं है, कि जिससे जो अब तक सुविधाएं मिली हुई हैं उनमें कमी होती हो; बल्कि वे सुविधाएं कुछ ऐसे लोगों के लिये और बढ़ाई जा रही हैं जिनको वे पहले प्राप्त नहीं थी।

(श्री नत्थीसिंह)

शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग एग्रीकल्चरिस्ट की परिभाषा में नहीं आते थे तो उनको भी इसमें ले लिया जा रहा है। ऐसी हालत में इस बिल को जल्दी पास करने से कोई नुकसान नहीं होगा और प्रवर समिति में जाने से कोई फायदा नजर नहीं आता।

दूसरी बात कही गई है कि जो सुविधा दी गई है जिसका टाइम में क्लेम नहीं आता है तो उनका क्लेम भी वेब हो जाता है, इससे भी इन्डेटेड लोगों को फायदा होता है। दूसरी सुविधा अब और हो गई है कि एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में अपना केस ट्रांसफर कर सकता है, जो पहले नहीं प्राप्त थी।

इस तरह से बिल पहले एक्ट का बैटर-मेंट है। इससे नुकसान नहीं, फायदा ही होता है। ऐसी स्थिति में इसे जल्दी ही पास किया जाना चाहिये। प्रवर समिति में भेजे जाने के प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूँ।

श्री हरिराम (तिजारा) : सभापति महोदय, प्रवर समिति में इसे भेजे जाने का मैं विरोध करता हूँ और माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूँ कि कभी कभी तो ऐसे कानून और संशोधन आते हैं जिससे गरीब को राहत मिल तो जाती है इन लोगों के हाथों से, तो उसे तो हासिल करें। और बाकी लोगों को राहत नहीं मिलती है तो इसके लिये अपन यहां आकर बैठे हैं, संघर्ष करेंगे उसके लिये क्योंकि अभी जिन लोगों को इसमें जोड़ा गया है हरिजनों को और जनजातियों को तो यह बहुत जरूरी है। इनकी हालत काफी दयनीय है। इस पर अपन को कोई भी इस किस्म का कदम नहीं उठाना चाहिये कि जिससे उनका वह सवाल छः महीने, चार महीने या दो महीने या हो सके तो उलझन पड़ जावे तो बारह महीने भी आगे पड़ सकता है। तो इसलिये यह जो भी रिक्शावालों का या अन्यों का सवाल है या और किसी मध्यम वर्ग का सवाल है या और जितने भी लोग हैं उनको राहत देने का जहां तक सवाल है, मेरे खयाल से मेरे जो दोस्त हैं वे यह समझे बैठे हैं कि दरअसल में यह समाजवादी सरकार है और सब गरीबों को राहत देने का इसने ठेका ले रखा है, वे गलती में हैं। इस सरकार पर तो जनता का जब दबाव पड़ता है तो कोई जाकर छोटी मोटी रियायत दे देती है, वर्ना तो यह हम आम लोगों की सरकार नहीं है। यह खास किसी वर्ग विशेष का नेतृत्व करती है और इनके हाथ से उनका ही भला होना सम्भव है और यह जो थोड़ी रियायत ये बरत रहे हैं वह भी इसलिये है कि इस चुनाव में हरिजनों ने कुछ न कुछ साथ इस सरकार का दिया है तो यह समझ कर कि चलो हरिजन हमें वोट दे देते हैं तो हर पांचवें साल कुछ न कुछ इनको राजी कर दिया करें, तो कुछ मिलता रहेगा। तो इस राहत में भी देने में इस सरकार का यह नजरिया हो सकता है। बाकी समाजवाद की तरफ बढ़ने की आशा इससे करना दुराशा मात्र है या और किसी तरह की मुकम्मिल रियायत इससे चाहें तो वह कुछ भी आपको मिलनेवाली नहीं है।

तो इसलिये मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि आप बहुत ही गम्भीरता से विचार करें और जो भी कुछ मिलता है जैसे कहावत

(श्री हरिराम)

भी है कि भागते भूत की लंगोटी ही सही; "तो अगर भागते भूत की लंगोटी हमें मिल रही है तो चलो उसी को छीनें, और उससे आगे कुछ और लेना है तो संघर्ष करेंगे, हम इसीलिये तो यहां आकर बैठे ही हैं।

एक बात और उठाई गई कि इस तरह से तो रोज रोज संशोधन आवेंगे तो आने दीजिये न रोज रोज संशोधन। हम लोग तो आये ही यहाँ इसीलिये हैं कि वे जो भी रियायत दें, रोज रोज संशोधन लाकर दें तो भी हम लेने को तैयार हैं। जिनको, छोटे दुकानदारों को अथवा कि छोटे कर्मचारियों को अगर आज के कानून के अन्तर्गत राहत या रियायत नहीं मिल सकती है तो हम आये ही इसीलिए हैं कि ज्यादा से ज्यादा इस सरकार पर दबाव डाला जा सकें जिससे जनता को राहत मिल सके। इसलिये आपसे दर्ख्वास्त करूंगा कि वे साहब अपने प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव को वापिस ले लें और इसी के ऊपर बहस करें। अभी तो और बाकी की रियायतों के लिये आगे संघर्ष जारी रखें।

यह कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री सभापति : Hon'ble Minister-in-charge of the Bill.

श्रीमती प्रभा मिश्रा (उप-मन्त्री' विधि): सभापति महोदय, आज इस बिल पर विचार करते समय माननीय सदस्यों ने जो विचार रखा, सुझाव दिया है और जिस कारण से वे इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करने की सिफारिश करते हैं उनका यह भय कि कोई ज कोई खामी रह जायगी, कोई ऐसी गलती नहीं रह जाय जिससे फिर संशोधन करने पड़े, मैं समझती हूँ, यह न्याय संगत नहीं है। जिस समय बिल पर क्लॉज बाई क्लॉज डिस्कशन होगा तो संशोधन देकर जो सुझाव हों दे सकते हैं।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहूँगी कि यह बिल एक ऑर्डिनेन्स के बाद पेश हुआ है और जो बिल ऑर्डिनेन्स के बाद पेश होता है वह असेम्बली की फर्स्ट सिटिंग से ६ सप्ताह के अन्दर अन्दर पास हो जाना चाहिये।

मुझे दुःख है कि मैं आपके सुझाव को नहीं मान सकती और आशा करती हूँ कि जो प्रस्ताव रखा गया है उसे वापिस ले लेंगे।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : एक प्रश्न मैं मन्त्री महोदया से पूछना चाहता हूँ कि रिक्शेवाले को आप किस डेफिनेशन में लेंगी, काश्तकार की डेफिनेशन में तो वह आता नहीं है ?

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : रिक्शावाला जनसंघ के घोषणा पत्र में है क्या ?

श्री विजयसिंह झाला : जनसंघ के घोषणापत्र को पढें तो सब बातें आपको मालूम हो जायेंगी।

श्री केदारनाथ : जो एम० एल० ए० बन कर आये हैं वे भी कर्जदार हैं, तो इस पर्पज के लिये उनको किस स्कोप में लिया जायगा ?

There is no reason to refer this Bill to the Select Committee and I propose that it should be taken into consideration today.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान रिलीफ ऑफ एग्रीकल्चरल इन्डेटेडनैस (अमेंडमेंट) बिल, १९६२ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान रिलीफ ऑफ एग्रीकल्चरल इन्डेटेडनैस (अमेंडमेंट) बिल, १९६२ को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री दलपतसिंह (आबू) :कल ही विचारार्थ ले लीजिये, आज तो टाइम हो गया है।

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल) : अभी तो ५ मिनट बाकी हैं।

श्री सभापति : क्लॉज २। श्री विजयसिंह झाला।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : सभापति महोदय, जो संशोधन बिल रखा गया है उसमें मैं अपनी तरफ से एक संशोधन और रखना चाहता हूं और वह यह है कि जो रियायत शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को दी गई हैं उसके साथ ही साथ बैकवर्ड क्लास और वे गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स जिन की सेलेरी २५० से कम हो और बिजनेस मैन जिनकी मंथली इन्कम २५० से कम हो उनको भी वह रियायत दी जाय तो अच्छा हो। इस लिए मैं यह संशोधन रखूंगा कि क्लॉज २ में :

" In part (i) after the words 'scheduled tribe' occuring in clause (cc) insert the words "or backward class or labour class or those Government servants and private servants whose monthly salary is less than Rs. 250/- or those businessmen whose monthly income is not more than Rs. 250/-"

क्योंकि बहुत से ऐसे भी गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स हैं जो गरीब हैं जिन पर कर्जा है और इस एक्ट के अनुसार उनको रियायत देनी बहुत आवश्यक है। जब आदमी मजबूर होता है तो उसको नौकरी करनी पड़ती है, नौकरी के लिए किसी प्राइवेट फर्म या गवर्नमेंट का मुंह ताकना पड़ता है। इधर हम उसको इस प्रकार की रियायत नहीं देंगे तो यह उचित नहीं होगा। इसलिये मैं संशोधन रखूंगा कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के साथ बैकवर्ड क्लॉस के लोगों को भी इस प्रकार की रियायत मिलनी चाहिए। बैकवर्ड क्लास में, जो गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज की है उसमें बहुत से गरीब आदमी नहीं आते। कुम्हार ऐसा है जो खेती नहीं करता, अदालत में वह खाली बयान दे दे कि मेरा काम बर्तन बनाने का है, केवल इसी कारण से उसको काश्तकारों में शुमार नहीं करते। इसी तरह नाई और बहुत से ऐसे हैं जो उस सूची में नहीं आते उनको बैकवर्ड क्लास की सूची में जोड़ा जाना आवश्यक है। इसी तरह गवर्नमेंट सर्वेन्ट जिनको २५० से कम तनख्वाह मिलती है,गरीब दुकानदार जिनकी आय २५० से कम है, लेबर क्लास जिनमें रिक्शे तांगे-

(श्री विजयसिंह झाला)

वाले आ जाते हैं उनको भी यह रियायत दी जानी चाहिए । दूसरा क्लॉज इसमें यह है :

"The words 'one hundred rupees be replaced by the words fifty rupees' in clause (cc)."

माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी जनता है जिनको १००) रुपयों से ज्यादा ऋण नहीं दिया जाता। किसी एक जिले के ग्रामों की सूची बनाई जाय तो बहुत से ऐसे लोग पायेंगे जिन्हें कम कर्जा मिला है। हो सकता है कि कई जगह से थोड़ा थोड़ा कर्जा लिया हो। हम ने रियायत उन लोगों को दी है जिनका कर्जा १००) रुपया है। इसलिए मेरा अमेंडमेंट है कि १००) रुपयों के बजाय घटा कर ५० रूपये कर दिया जाय, इससे गरीबों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिलेगी।

क्लॉज २ में जो मेरा संशोधन है ठीक वैसे ही उन्हीं वर्ड्स के संशोधन क्लॉज ३,४ और ५ में हैं कि शिड्यूल्ड ट्राइब्स के आगे उन वर्ड्स को बढ़ा दिया जाय जो मैं अभी निवेदन कर चुका हूं और १००) रूपये के बजाय ५०) रुपया कर दिया जाय।

श्री सभापति (श्री भीमसेन) : सदन की कार्यवाही कल प्रातः काल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म.प. ५ बजे दिनांक ४ अप्रेल, ६२ के म.पू. ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

संक्षिप्त–विवरण

(मंगलवार, ३ अप्रेल, १९६२)

	स्कम्भ
तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	२०४१
चिकित्सा सम्बन्धी व्यवस्था ।	
पोलिटैक्निक स्कूल का भवन निर्माण, बीकानेर शहर ।	
खनिज सर्वे–नाथद्वारा तहसील ।	
निम्बाहेड़ा हाई स्कूल को कॉलेज में परिवर्तित किया जाना ।	
सिंचाई योजनाओं पर सुधार शुल्क।	
भूमि का सोइल टैस्ट।	
ब्यावर में 'बी' श्रेणी के अस्पताल का खोला जाना।	
शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देने के नियम।	
सीमेन्ट कम्पनी, लाखेरी के लिये जमीन ।	
नये आयुर्वेदिक औषधालयों का खोला जाना।	
बीकानेर सिटी इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा अपने क्षेत्र को बढ़ाने का प्रस्ताव ।	
गिरवां तहसील के करनाली तालाब की मरम्मत ।	
गंगापुर कस्बे के विकास की योजना ।	
नहरें–पाटन तहसील	

	स्कम्भ
अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा	२०८०
श्री अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि जनलेखा समिति, १९६२-६३ के लिये श्री हरिदेव जोशी तथा प्राक्कलन समिति, १९६२-६३ के लिये श्री मोतीलाल चौधरी को सभापति नियुक्त किया गया है।	
स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष की व्यवस्था	२०८०
वित्त मंत्री द्वारा दिनांक ३० मार्च, १९६२ को विदेशी स्पिरिट और शराब पर कर में वृद्धि करने के संबंध में सरकार के निर्णय की घोषणा की जाने तथा उस आबकारी कर की तुरन्त वसूली के लिये कदम न उठाये जाने के संबंध में श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) ने २ अप्रेल, १९६२ को एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी जिस पर श्री अध्यक्ष ने आज अपनी व्यवस्था देते हुए उसे सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी।	
विधायी कार्य–विचारार्थ लिये गये विधेयक	
१–राजस्थान टीनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १९६२	२०८९
श्री रामप्रसाद लड्ढा, उप-मंत्री,	

राजस्व के इस प्रस्ताव पर कि उप-रोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, श्री कृष्णकुमार गोयल(६१) ने विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

इस पर किये गये वाद-विवाद में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:—

१. श्री दुर्गालाल आढ़दार
२. श्री मथुरेशबिहारी
३. श्री रामानन्द अग्रवाल
४. श्री अब्दुलजब्बार
५. श्री भीमसेन
६. श्री रघुनाथ बिश्नोई
७. श्री सतीशकुमार शर्मा
८, श्री केदारनाथ
६. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा
१०. श्री मुकुटबिहारीलाल
११. श्री हरदत्तसिंह
१२. श्री हीराभाई
१३. श्री नत्थीसिंह (भरतपुर)
१४. श्री मानिकचन्द सुराणा
१५. श्री मोहरसिंह
१६. श्री गिरधारीलाल व्यास।

श्री रामप्रसाद लड्ढा, उप-मंत्री के उत्तर के पश्चात् संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया एवं विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंडशः विचार बुध-वार, दिनांक ४ अप्रैल, १६६२ के लिये स्थगित किया गया।

२–राजस्थान कृषि ऋणिता निवारण (संशोधन) विधेयक, १६६२ २२०५

श्री नाथूराम मिर्धा, कृषि मंत्री के इस प्रस्ताव पर कि उपरोक्त विधेयक को विचारर्थ लिया जाय, श्री हरिप्रसाद शर्मा (६३) ने विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

इस पर किये गए वाद-विवाद में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :–

१. श्री विजयसिंह झाला
२. श्री जयकिशन
३. श्री महेन्द्रसिंह
४. श्री कृष्णकुमार गोयल
५. श्री गोकुलचन्द
६. श्री भैरवलाल 'कालाबादल'
७. श्री अब्दुलजब्बार
८. श्री किशनसिंह बाटड़
६. श्री दलपतसिंह
१०. श्री मानिकचन्द सुराणा
११. श्री सतीशकुमार शर्मा
१२, श्री गिरधारीलाल व्यास
१३. श्री नत्थीसिंह (भरतपुर)
१४. श्री हरिराम (तिजारा)।

श्रीमती प्रभा मिश्रा, उप-मंत्री, विधि के उत्तर के पश्चात् संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया

एवं विधेयक को विचारार्थ लिए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। तत्पश्चात् विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खंड २ पर बहस हो रही थी कि सदन की बैठक ५.०० बजे बुधवार दिनांक ४ अप्रेल, १९६२ को प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई।

बुधवार, दिनांक ४ अप्रेल, १९६२ की कार्य सूची

१. राजस्थान कृषि ऋणिता निवारण (संशोधन) विधेयक, १९६१

(अग्रेतर खण्डशः विचार-विमर्श एवं पारण)

२. राजस्थान कृषि भू-धारण (संशोधन) विधेयक, १९६१

(खण्डशः विचार-विमर्श एवं पारित)

३. राजस्थान पंचायत शुल्क तथा वाद-मूल्य निर्धारण (संशोधन) विधेयक, १९६२ (विचारार्थ एवं पारण)

४. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९६२।

(खण्डशः विचार-विमर्श)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८४ का उत्तर देखिये)

सूची जिन योजनाओं पर आसुधार शुल्क निश्चित कर दिया गया है।

नाम बन्ध	स्वीकृत दर प्रति एकड़ (बारानी भूमि पर) एक साथ जमा करने पर	दस वार्षिक किश्तों में जमा कराने पर
मेजा	५०)	६२)
सरेरी	५०)	६२)
केजर	४६)	५६)
अणोलिया	४६)	५६)
गुढा	५०)	६२)
मोमलत	५०)	६२)
बून्दी का गोठडा	५०)	६२)
पाईवालापुरा	५०)	६२)
पेच की बावड़ी	५०)	६२)
जेवाई	४५)	५४)
बांकली	४५)	५४)
ओडा	४२)	५०)
भूला	४२)	५०)

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८७ का उत्तर देखिये)

RAJASTHAN GAZETTE

(Vol. J. No. 80, dated 18th February, 1957, page 1110)

EDUCATION DEPARTMENT

ORDER

Jaipur, February 9, 1956.

No. F. 18 (11) Edu/54 His Highness the Rajpramukh has been pleased to approve of the revised rules for grant-in-aid to institutions functioning in Rajasthan for the educational institutions and cultural development of the State and the same are published for general information.

M. G. Dalela.
Dy. Secretary to Government.

GRANT-IN-AID RULES

All institutions functioning in Rajasthan for the educational and cultural development of the State will be eligible for grant-in-aid under these rules.

2. These institutions will be classified under two categories:—

(a) Educational Institutions:—In this category will be included all institutions which impart regular education and follow either the curriculum prescribed or approved by the Department or the University or their own special schemes of education and independent curricula.

(b) Other institutions:—In this category will be included institutions dealing with other aspects of education such as institutions for research in the publication of old literature, adult Education Centres, Public libraries, Nursery Schools, Vocational and Child Guidance Clinics, Sports Clubs, Physi-

cal Culture Association, Hiking and Camping Clubs, Scout and Guides Association, Music and Fine Arts Societies etc.

3. An Institution category 2 (a) shall be eligible for grant-in-aid only if it is registered as a public Society under the Societies Registration Act and recognised by the Department of Education or the Government or the University and it satisfies the following conditions:—

(1) That its records and accounts are open to inspection and audit by persons authorised by the Department for the purpose.

(2) All the information required by the Department is punctually furnished.

(3) That the facilities provided by it are available to all sections of people without any distinction of caste or creed.

(4) That the institution is not run for profit to any individual or body of individuals and its Governing body can be trusted to utilise its assets only for the furtherence of the objects of the Society.

4, An institution of category 2 (b) shall be eligible for grant-in-aid only if it is registered as a public society under the Societies Registration Act and satisfies the following conditions:—

(1) That is serves useful purpose and the facilities provided by it are available to all sections of people without any distinction of caste or sect.

(2) that the institution confines itself only to educational work.

(3) That the constitution of the Governing body of the institutions is approved by the Director and no changes are made therein without his approval. Among other things the Constitution should ensure the non-communal character of the Governing body by specifically laying down that not more than two-third of the members of the Governing body shall belong to any one caste, sect or community.

(4) that any changes in the personnel of the Governing body are promptly reported to the Department.

(5) that institution is not run for profit to any individual or a body of individuals and its Governing body can be trusted to utilise its assets only for furtherence of the objects of the society.

(6) that the quality of instructions or other activity is of the approved standard.

(7) that its financial resources when supplemented by grant-in-aid will be adequate to enable it to carry on its work efficiently and to pay suitable remuneration and where scales have been prescribed by Government or other competent authority remuneration in accordance with such scales to its whole time staff regularly.

(8) that the number of pupils on rolls and average attendance in the institution or the number of persons deriving benefit from it does not fall below a standard or number, prescribed by or on behalf of Government.

(9) that its records and accounts are open to inspection and audit by persons authorised by the Department for the purpose.

(10) that all the information required by the Deparment is punctully furnished.

(11) that all instructions necessary for the efficient running of the institutions issued by the Department are promptly complied with.

Annual recurring grant to institutions of either of the above categories shall not ordinarily exceed 50% of the approved expenditure for the previous year or 75% of the next approved expenditure for the previous year. If an amount equal to 50% of the total approved expenditure is more than the amount calculated on the net approved expenditure the greater of the two amounts will be admissible as grant-in-aid. In the case of institutions carrying on the work of education on experimental and pioneering lines particularly in the field of basic or Women's education or education of backward people of other specialised field such as the education of defective children this aid may be given upto 60% of the approved expenditure or 90% of the next approved expenditure.

Provided however that the total recurring grant-in-aid from this state shall not exceed the difference between the total approved expenditure and the income from the fees and other recurring sources including grants from other states or Central Government.

Any grant even in lump sum from Central Government or other State towards recurring expenditure shall be treated as a recurring grant for the purpose of this proviso.

No. 1. The net approved expenditure will mean total approved expenditure minus income from fees and other recurring sources (for instance membership subscription in case of clubs) except grants from other states or the Central Government and donations.

2. The previous year would mean the financial year preceding the year in which the grant is paid. For instance the grant-in-aid for the year from April, 1955 to March, 1956 will be calculated on the expenditure for the year April, 1954 to March. 1955.

6. Approved expenditure referred to in Rule 5 would relate to the following items only:—

(a) Salaries and provident fund contribution not exceeding 6¼% in respect of the teaching staff,

(b) Salaries and provident fund contribution not exceeding 6% in respect of the ministerial and subordinate staff.

(c) Dearness allowance.

(d) Stationary and printing charges.

(e) Water and lighting charges.

(f) Hot and cold weather charges.

(g) Recurring expenditure on equipment and apparatus.

(h) Ordinary repairs to buildings (if they belong to institution) and furniture,

(i) Building rent (if the building is rented).

(j) Recurring expenditure on books library and reading room.

(k) In the case of residential institutions or educational socieities running more than one institution such expenses on management as are necessary for and incidental to the establishment and maintenance of the institution or Society.

(l) Recurring net expenditure on games, physical education and on other extra curricular activities e. g. camps, annual functions dramas, educational tours, excursions, social service programmes etc etc.

(m) Recurring expenditure on crafts including Agriculture Dairy, Home Science etc. after deducting the income accruing from crafts.

(n) Expenditure on travelling of teachers in attending conferences. T. A. will be regulated according to the scale prescribed by the Director of Education in this behalf with the concurrence of the Government.

(7) Even though annual recurring grant-in-aid will ordinarily be calculated on the basis of previous financial year's approved espenditure an additional grant on the basis of any specially approved expenditure for the current year may also be made at the discretion of the sanctioning authority.

(8) No new institution shall be eligible for grant-in-aid unless it has functioned successfully at least for one year. In very special cases however this condition may be waived by the Government.

(9) Expenditure on hostels shall not be reckoned as approved expenditure of an institution.

A recurring grant not exceeding 60 P. C. of the approved expenditure for the previous year may however be sanctioned on the following itmes of espenditure :—

(1) Salary or allowance of the Warden, Superintendent or a Matron as the case may be.

(2) Ministerial and class IV establishment considered necessary.

(3) Other ordinary office contigencies.

10. Grants of non recurring nature may be given for items of expenditure such as purchasing of furniture and equipment for books and libraries and

laboratories; eredtions, repairs or extension of building (including hostels) etc. The exact amount of special grants will be decided according to the merits of each case but in no case will the amount exceed one half of the total approved expenditure for that purpose. Except in very special cases, such grants shall not be sanctioned if the work is started or the purchase completed before the grant has been sanctioned and plans and estimates for which have been approved by the Government.

11. An institution requiring grant-in-aid or a special grant for any financial year shall apply to the Director of Education or to the Secretary to the Government in the Department of Education as the case may be. Separate applications shall be made for recurring and non-recurring grants in the prescribed forms. All applications shall be made by the end of August preceding the commencement of the financial year for which the grant in aid is desired submitting the following statements:—

(1) Duly audited accounts for the financial year endning on 31st March, preceding.

(2) Statements of actual expenditure for the first four months (April to July) and of budgetted expenditure for the later eight months (August to March) of the financial year in which application is made. The statements will show recurring and non-recurring items of expenditure separately.

The grant-in-aid or special grant to be sanctioned to an institution or the next financial year shall be tentatively calculated and sanctioned on the basis of No. 2 above. When the audited accounts relating to No. 2 above are submitted in the following year, necessary adjustments will be made in view of any difference between the estimated expenditure as shown in No. 2 above and the actual expenditure as shown in the audited statements.

12. The grant shall liable to be withheld, reduced or withdrawn at the discretion of the sanctioning authority if in its opinion the institution fails or ceases to satisfy any of the conditions enumerated in rules 3 and 4 above, but before any action is taken under this rule the management shall be informed in writing of the grounds on which action is intended to be taken and also be given an opportunity to give a reply to the charges laid against it. It will also be open to the management to appeal to the Government against the order of withholding, reducing or withdrawal of the grant.

13. All applications for recurring grants to new institutions for increase in the percentage of recurring grant and for all non-recurring grants

shall be considered and recommended by the Committee to be constituted as follows:—

(1) Director of Education.

(2) Deputy Director of Education of the range.

(3) One Principal of Post Graduate or Degree College to be nominated by the Government.

(4) Three eminent educationists from amongst the non-officials.

(5) A nominee of the Finance Department.

14. The authority for approving the expenditure and sanctioning the recurring grant-in-aid in accordance with these rules for institutions already on the grant-in-aid list will be the Government in the case of Degree and Post Graduate Colleges and the Director in the case of all other institutions. Recurring grants to new institutions as also all recurring grants will, however, require the concurrence of the Finance Department.

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८६ का उत्तर देखिए)

क्रम संख्या १	नाम स्थान जहां औषधालय खोला गया है मय जिले का नाम २	दिनांक ३
१.	चकेरी, जिला सवाई माधोपुर	५.२.१६६२
२.	जागुवास, जिला अलवर	४.२.१६६२
३.	शीशोदा, जिला उदयपुर	६.२.१६६२
४.	घोड़, जिला भीलवाड़ा	१.२.१६६२
५.	मनीवाली, जिला गंगानगर	२१.२.१६६२.
६.	गूंती, जिला अलवर	११.२.१६६२
७.	जोनायचांकला, जिला अलवर	१६.२.१६६२
८.	गूंतोली, जिला अलवर	१६.२.१६६२
६.	खारडा, जिला पाली	१६.२.१६६२
१०.	पुनासा, जिला जालौर	१६.२.१६६२
११.	आगरिया, जिला उदयपुर	१७.२.१६६२
१२.	धानमण्डी, जिला उदयपुर	१७.२.१६६२
१३.	कुचोरआथुनी, जिला बीकानेर	१६.२.१६६२
१४.	दिवड़ा बड़ा, जिला डूंगरपुर	१०.२.१६६२
१५.	गांवडा वामनिया, जिला डूंगरपुर	११.२.१६६२
१६.	मेवाड़ा, जिला डूंगरपुर	६.२.१६६२
१७.	धनेरिया, जिला उदयपुर	१७.२.१६६२
१८.	मूणियां, जिला बाडमेर	१६.२.१६६२
१६.	बामडला, जिला बाड़मेर	२४.२.१६६२
२०.	बस्सी मोटी, जिला बांसवाड़ा	१४.२.१६६२
२१.	फलवा, जिला बांसवाड़ा	२२.२.१६६२
२२.	दूदू, जिला जयपुर	१६.२.१६६२
२३.	मोरीजा, जिला जयपुर	७.२.१६६२

१	२	३
२४.	बनार, जिला जयपुर	१६.२.१९६२
२५.	सिरोही, जिला सिरोही	१६.२.१९६२
२६.	घटियाली, जिला अजमेर	१९.२.१९६२
२७.	बड़गांव, जिला अजमेर	१९.२.१९६२
२८.	पड़ासोली, जिला भीलवाड़ा	२१.२.१९६२
२९.	लाडपुरा, जिला भीलवाड़ा	२४.२.१९६२
३०.	हरिया ढाणा, जिला जोधपुर	१९.२.१९६२
३१.	दूदू, जिला बाड़मेर	१९.२.१९६२
३२.	साजीयाली, जिला बाड़मेर	२०.२.१९६२
३३.	डूंगलावानी, जिला बांसवाड़ा	निश्चित तारीख प्राप्त नहीं हो सकी है
३४.	अजमेर, जिला अजमेर	२४.२.१९६२
३५.	रणेडडा, जिला उदयपुर	२४.२.१९६२
३६.	मेताली, जिला डूंगरपुर	१७.२.१९६२
३७.	इन्दोड़ा, जिला डूंगरपुर	१७.२.१९६२.

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक ३ अप्रेल, १६६२)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
२०४५	८	yeras	years
२०४७	५	तो कृपया इस जिले में	तो इस ज़िले में
,,	अन्तिम से २	जीआलेजिक्ल	जोऑलोजिकल
२०४८	अन्तिम से ४	अतए व	अतएव
२०५३	अन्तिम पंक्ति	समि तियों	समितियों
२०५६	७	श्री विजसिह	श्री विजयसिंह
२०६२	१८	श्री परसराम मद्रेणा	श्री परसराम मदेरणा
२०६४	१५	मार्शलिंग	मार्शलिंग
२०६६	११	का सफल	को सफल
२०७०	१४	मेज दें।	भेज दें।
२०७२	१-२	सम्बधित	सम्बन्धित
,,	१०	सारणा	सारण
२०७८	२२	श्री अध्वक्ष	श्री अध्यक्ष
२०८२	४	कस्ने	करने
,,	१६	हुइ	हुई
२०८५	२१	pleese	please
२०८६	२७-२८	राजस्थान टीनेन्सी एक्ट, १६५५ से लागू किया गया।	यह राजस्थान टीनेन्सी एक्ट १६-५५, १५ अक्टूबर १६५५ से लागू किया गया।
२०८८	१८	thet	that
२०६०	१२	deen	been
,,	१३	commencment	commencement
२०६४	३०	दर्ख्वाश्त	दर्ख्वास्त
२०६५	१७	शरमायेदार	सरमायेदार

१	२	३	४
२०९९	२०व२४	स्टेट्स	स्टेटस
२१००,	७	स्टेट्स	स्टेटस
२१०२	१३	परन्सं	परसन्स
२१०५	२३	डिफिक्लटीज़	डिफिकल्टीज
,,	अन्तिम पंक्ति	अमेंडमेंन्टस	अमेंडमेन्ट्स
२१११	६–७	सरकार ने की उसे	सरकार ने उसे
२११४	२	रिस्तेदारों	रिश्तेदारों
२१२६	२०–२१	प्रेविजन	प्रोविजन
२१३०	८	काश्तकार	काश्तकार
२१३३	२६	तवव्जोह	तवज्जोह
२१४३	२२	किसानो	किसान
२१४६	८	जमीन	जमीन
,,	२७	संशोधन पर	संशोधन पर संशोधन
,,	अन्तिम से३	संशोधन के लेजिस्लेशन्स के	के लेंजिस्लेशन्स के
२१५०	अन्तिम पंक्ति	दरख्वास्त	दर्ख्वास्त
२१५१	२४	उस ी	उसकी
२१५२	६	जो जी में है	जो 'जी' में है
२१५३	अंतिम से ४	eease	lease
२१५६	६	१५ए व के	१५ ए के
२१६३	शीर्षक	(संशोघन)	(संशोधन)
,,	१८	कामून	कानून
२१६४	८	काश्तार	काश्तकार
२१६५	शीर्षक	टीने सी	टीनेन्सी
२१६६	२१	टीनेन्टस	टीनेन्ट्स
,,	२३	उसकी	उसको

१	२	३	४
२१६८	२७	undet	under
२१६६	शीर्ष	(श्री हीराभाई)	(श्री नत्थीसिंह)
२१७१	२	मैं	में
२१७५	१४	सिम्पली फाई	सिम्पलीफाई
२१७६	२०	egal lrespresentive	legal representative
२१८७	शीर्ष	राजस्थान	राजस्थान
२१८८	१८	defeect	defect
२१८६	२४	राइट्रस	राइट्स
२१६०	अंतिम से ३	(रायसिंनगर)	(रायसिंहनगर)
२१६८	१-२	क्लेटिफिकेशन	क्लेरिफिकेशन
२२०७	१०	कास्टस	कास्ट्स
२२११	शीर्षक	कृपि	कृषि
२२१२	अंतिम से ५	श्री जयकष्ण	श्री जयकृष्ण
२२१४	६	में	मैं
२२१६	५	(कट्ठमर)	(कठूमर)
,,	१७	सिड्यूयल	शिड्यूल
२२१७	२	भाननीय	माननीय
२२१६	४	ट्राइवर	ट्राइब्स
२२२०	११	कास्टस	कास्ट्स
,,	१२	गया गया	गया
२२२४	११	शिफारिस	सिफारिश
२२२५	३	मतमेद	मतभेद
,,	४	परिभाषा में	परिभाषा में शिड्यूल्ड कास्ट्स और
२२३१	१२	अथवा कि छोटे	अथवा छोटे
,,	२६	उप मन्द्री ‘	उप-मन्त्री,

१	२	३	४
२२३२	१	ज कोई	न कोई
२२३३	२४	ट्राइल्स	ट्राइब्स
२२४७ /	५	Gcvernment	Government
२२४८	३	socieities	societies
२२४८	१६	espenditure	expenditure
२२४९	१५	endning	ending